

बाल कल्याण बजट Child Welfare Budget

2024-25



प्राक्कथन

राज्य के सतत पोषणीय विकास के लिए बच्चों का सर्वांगीण विकास होना अत्यंत आवश्यक है। उनके सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। यह तभी सम्भव है, जब बच्चों का विकास संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यू.एन.सी.आर.सी.) के चार आयामों उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और सहभागिता के अनुसार हो। उक्त आयामों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार बाल कल्याण बजट के माध्यम से बाल विकास का वित्तीय प्रबंधन करती है।

भारत का संविधान बच्चों के मौलिक अधिकारों की गारंटी उपलब्ध कराता है। राज्य बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने एवं उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान करता है।

बाल कल्याण बजट का मुख्य उद्देश्य बच्चों एवं किशोरों के विकास के लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित करना होता है, जिससे उनकी जरूरतों एवं समग्र विकास को दिशा प्रदान किया जा सके। यह बजट उन उपबंधों को पृथक रूप से दशनि का प्रयास है, जो विशेष रूप से बच्चों के विकास के लिए किया जाता है। इस बजट के द्वारा राज्य सरकार की बच्चों के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धताओं का वित्तीय मूल्यांकन होता है।

2011 की जनगणना के अनुसार, बाल जनसंख्या में बिहार 4.98 करोड़ (47.8 प्रतिशत) के साथ संपूर्ण भारत में दूसरे स्थान पर (0-18 वर्ष) है। यह देश की कुल बाल जनसंख्या का लगभग 11 प्रतिशत है। इसमें 2.35 करोड़ लड़कियां तथा 2.62 करोड़ लड़के शामिल हैं। बच्चों की आबादी के विभिन्न समूहों का वितरण इस प्रकार है- 38.4 प्रतिशत (0 से 6 वर्ष के), 45.4 प्रतिशत (7 से 14 वर्ष के) और 16.2 प्रतिशत (15 से 18 वर्ष के)। वर्ष 2001 से 2011 के बीच बाल जनसंख्या में 20.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बिहार में बाल कल्याण हेतु बजट निर्माण प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ हुई है। वर्तमान बाल कल्याण बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्राक्कलन के साथ-साथ तीन साल की अवधि यथा वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी), वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट अनुमान) और वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित अनुमान) का संकलन है। विगत दस वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बाल कल्याण बजट व्यय में 20.50 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है।

Preface

The holistic development of children is very important for the sustainable nutritional development of the state. The responsibility for their all-round development lies with the state government. This is possible only when the development of children is in accordance with the four dimensions of the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), which are survival, development, protection and participation. Keeping the above dimensions in mind, the state government is doing financial management for child development through the Child Welfare Budget.

The Constitution of India guarantees fundamental rights to children. The state ensures the necessary provisions to protect the rights of children for their welfare.

The main objective of the child welfare budget is to ensure an adequate budget for the development of children and adolescents so that their needs and overall development can be given a direction. This budget aims to show those provisions separately, which are specifically made for the development of children. The financial evaluation of policy commitment for the children of the state government is done by this budget.

According to the 2011 Census, Bihar stands at the second place in India with 4.98 crore child population (0-18 years) among them 2.35 crore are girls and 2.62 crore are boys. This is about 47.8 percent population of the state and almost 11 percent of the total child population of the country. The distribution of different groups of child population are as follows - 38.4 percent among 0 to 6 years, 45.4 percent among 7 to 14 years and 16.2 percent among 15 to 18 years. There is an overall increase of 20.3 percent in the child population between 2001 and 2011.

The process of child budgeting started in Bihar since 2013-14. The current child budgeting document for the financial year 2024-25 presents a Budget Estimate of 2024-25, and a compilation of the financial status of a three-year period, which includes Actual Expenditure for 2022-23, a Revised Estimate for 2023-24 and Budget Estimate of 2023-24. In the last 10 years, between 2013-14 and 2022-23, the expenditure on children increased at the rate of 20.50 percent annually.

भारत और बिहार में बच्चों के तुलनात्मक सूचकांक

क्र० सं०	सूचकांक	भारत		बिहार	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	जनसंख्या (करोड़) (2011)	62.33	58.76	5.43	4.98
2	जनसंख्या (करोड़) (2011) (0-6 वर्ष)	8.58	7.88	0.98	0.92
3	जनसंख्या (करोड़) (2011) (0-18 वर्ष)	24.75	22.46	2.62	2.35
4	लिंगानुपात (सभी आयु वर्ग) (2011)	1000	943	1000	918
5	बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) (2011)	1000	919	1000	935
6	बाल लिंगानुपात (0-18 वर्ष) (2011)	1000	908	1000	897
7	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000) (2020)	28	28	26	29
8	साक्षरता दर (7-18 वर्ष) (2011)	89.7	86.8	81.6	75.7
9	साक्षरता दर (2011)	80.9	64.6	71.2	51.5
10	सकल नामांकन अनुपात (2021-22) (I-VIII)	99.3	101.1	95.1	97.4
11	सकल नामांकन अनुपात (2021-22) (IX-X)	79.7	79.4	63.1	66.8
12	सकल नामांकन अनुपात (2021-22) (XI-XII)	57.0	58.2	35.6	36.2
13	प्राथमिक स्तर पर छीजन दर (2021-22)	1.6	1.4	0.0	0.0
14	उच्च प्राथमिक स्तर पर छीजन दर (2021-22)	2.7	3.3	4.0	5.2

स्रोत : भारत की जनगणना, 2011 (क्रम सं. 1 से 9), भारत की प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (क्रम सं. 7), डाइस (क्रम सं. 10 से 14)

भारत और बिहार में बच्चों के तुलनात्मक सूचकांक

(प्रतिशत में)

क्र० सं०	सूचकांक	2019-21			
		भारत		बिहार	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी जन्म तिथि पंजीकृत है	88.8	89.4	74.4	77
2	3 साल से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने जन्म के 1 दिन के अंदर स्तनपान शुरू किया	86.2	87.5	83.1	86
3	सभी बुनियादी टीकाकरणों के साथ 12-23 महीनों के बच्चे	76.9	76.0	73.2	68.5
4	परिवार में आयोडिन नमक का उपयोग करनेवाले 6-59 महीनों के बच्चे	94.0	94.0	93.4	92.8
5	5 साल से कम उम्र के बच्चे जो ठिगना हैं (ऊंचाई-उम्र के लिए)	36.2	34.6	43.3	42.6
6	5 साल के कम उम्र के बच्चे जो कम वजन के हैं (वजन-उम्र के लिए)	32.9	31.2	40.7	41.4

स्रोत :राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21)

कुछ मुख्य उपलब्धियां:

- बिहार में शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गयी है और यह 2015 के 42 प्रति हजार जीवित प्रसव से 2020 में 27 प्रति हजार जीवित प्रसव हो गयी है।
- बिहार में बाल मृत्यु दर में भी अप्रत्याशित कमी आयी है और यह 2015 के 12.0 प्रति हजार से 2020 में 6.9 प्रति हजार हो गयी है।
- बिहार में 12-23 महीने के बच्चों के बीच पूर्ण टीकाकरण कवरेज 11.6 प्रतिशत (एनएफएचएस-2, 1998-99) से बढ़कर 2019-20 (एनएफएचएस-5) में 71.0 प्रतिशत हो गया है, जो 59.4 प्रतिशत अंक की वृद्धि है।
- बच्चों में बौनापन 2005-06 (एनएफएचएस-3) में 55.6 प्रतिशत से 12.7 प्रतिशत अंक घटकर 2019-20 (एनएफएचएस-5) में 42.9 प्रतिशत हो गया।
- एनएफएचएस आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष से कम उम्र के कम वजन वाले बच्चों की संख्या 2015-16 (एनएफएचएस-4) में 43.9 प्रतिशत से घटकर 2019-20 (एनएफएचएस-5) में 41.0 प्रतिशत हो गई है, जो 2.9 प्रतिशत अंक की गिरावट है।
- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर कुल नामांकन 190.23 लाख था, जिसमें 97.49 लाख लड़के और 92.73 लाख लड़कियां हैं।
- प्राथमिक स्तर (उच्चतम आयु वर्ग 14 वर्ष) पर लिंग अंतर 2015-16 में 7.29 लाख से कम होकर 2022-23 में 4.76 लाख हो गया।
- बिहार में 2016-17 से 2021-22 तक शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की छीजन दरों के आंकड़े तालिका 12.21 में प्रस्तुत है। वर्ष 2016-17 में प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 22.2 प्रतिशत थी, जो क्रमशः घटते हुए 2019-20 में 14.7 प्रतिशत और 2020-21 तथा 2021-22 दोनों वर्षों में शून्य हो गई। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसी ही हुआ। बिहार के लिए 2020-21 और 2021-22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कों और लड़कियों, दोनों के लिए छीजन दरें शून्य हो गई हैं। उच्च नामांकन अनुपात और शून्य छीजन दर से पता चलता है कि बिहार ने प्रारंभिक शिक्षा में सबके नामांकन का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है।
- बिहार के सभी प्रकार के स्कूलों में पेयजल सुविधाओं में 2018-19 और 2021-22 के बीच 0.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।
- बैंगलेस सेफ सैटरडे की अवधारणा 11 नवंबर, 2022 (शिक्षा दिवस) पर शुरू की गई है जिसके तहत छात्रों को आपदा प्रबंधन गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जाता है।
- अक्टूबर 2022 से सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक (पीटीएम) शुरू की गई है।

बच्चों के लिए सतत् विकास का लक्ष्य:

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी निवारण, सर्वत्र शान्ति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सतत् विकास लक्ष्य को सार्वभौमिक आह्वान के रूप में वर्ष 2030 के लक्ष्य के साथ अपनाया गया था। सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) वर्ष 2015 से 2030 तक बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शान्ति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक रूप से अपनाई गई सर्वगत कार्यवाही है। सतत् विकास लक्ष्य का उद्देश्य वर्ष 2030 तक दुनिया भर से भुखमरी तथा गरीबी को समाप्त कर सभी को उत्कृष्ट जीवन प्रदान करना है। इस बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए 17 लक्ष्य तथा 169 मानक निर्धारित किये गये हैं। कोई भी लक्ष्य तब तक हासिल नहीं होता, जब तक उसमें बच्चों का समवेश ना हों। सतत् विकास लक्ष्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, लैंगिक समानता इत्यादि लक्ष्य बच्चों को ही ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, क्योंकि वे ही समाज की बुनियाद हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्य के संदर्भ में युनिसेफ के अनुसार 17 एस.डी.जी. एवं इसके अन्तर्गत निहित 169 मानकों में 44 मानकों को बच्चों से संबंधित दर्शाया गया है। इन 44 मानकों को बाल अधिकार के 05 आयामों में परिलक्षित किया गया है। बाल अधिकार के विनिर्दिष्ट 05 आयाम निम्नवत् है:-

1. प्रत्येक बच्चे का बचाव, सुरक्षा एवं वृद्धि
2. प्रत्येक बच्चे को शिक्षा
3. प्रत्येक बच्चे को हिंसा, शोषण एवं कुप्रथाओं से बचाव
4. प्रत्येक बच्चे को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में जीवन
5. प्रत्येक बच्चे के जीवन में समुचित अवसर

भारत और बिहार का बाल सूचकांक

बच्चों की जनसंख्या करोड़ में (0-18 वर्ष)



भारत
47.21

बिहार
4.98

शिशु मृत्यु दर/1000 जीवित जन्म (2020)



भारत
28

बिहार
27

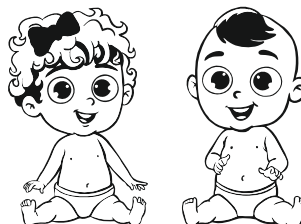
3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिन्होंने जन्म के पहले दिन से स्तनपान शुरू कर दिया (%)



भारत
86.8

बिहार
84.5

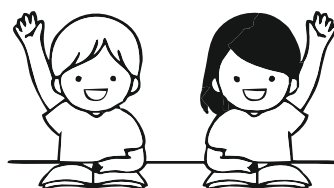
बाल लिंग अनुपात (0-6 वर्ष)/1000 पुरुष



भारत
919

बिहार
935

सकल नामांकन अनुपात (2021-22) (I-VIII)



भारत
100.1

बिहार
96.2

12-23 महीने के बीच के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण (%)



भारत
76.4

बिहार
71.0

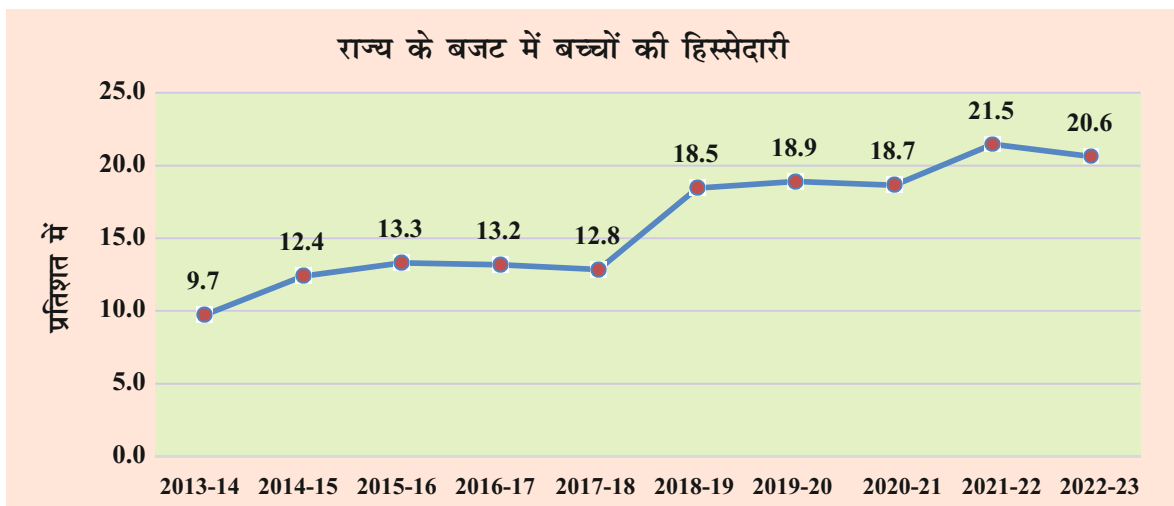
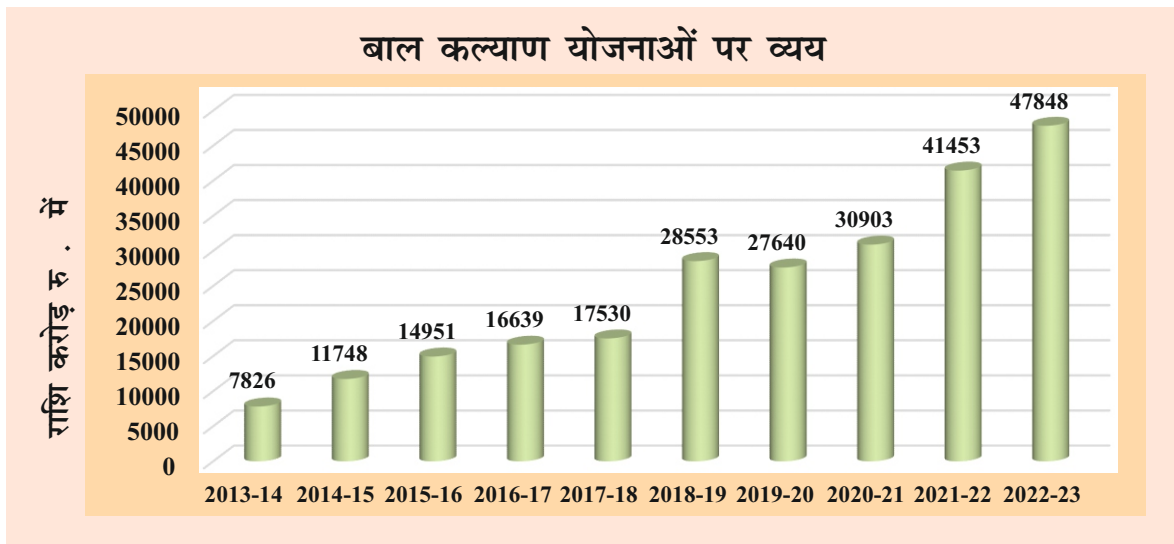
बिहार में बाल बजटिंग

मानव संसाधन विकास लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब बच्चों पर उचित ध्यान दिया जाए। बिहार में बाल बजटिंग की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई थी। बाल बजट में बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं के सभी वित्तीय विवरण शामिल होते हैं। ये आवंटन मुख्य रूप से बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और भागीदारी के चार स्तंभों पर केंद्रित हैं। बिहार सरकार का बाल बजट दस्तावेज बच्चों के विकास और कल्याण में सरकार की प्राथमिकता पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा यह दस्तावेज बिहार में बच्चों की समग्र स्थिति की निगरानी के लिए आवश्यक साहित्य और तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही, यह

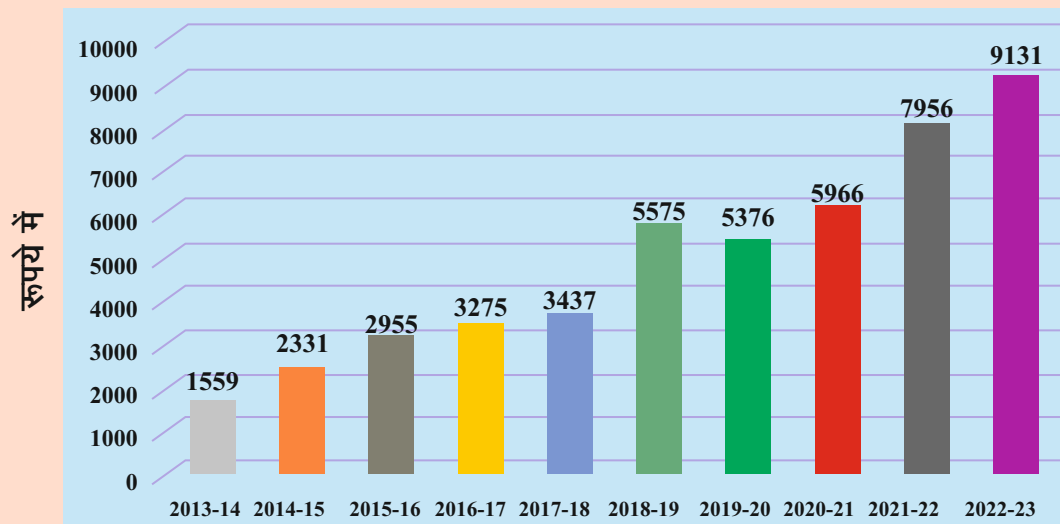
बजट वृद्धि के दायरे को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह राज्य में बच्चों के कल्याण के लिए आवंटित निधि के तथ्यों और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है।

बाल बजटिंग: एक नजर

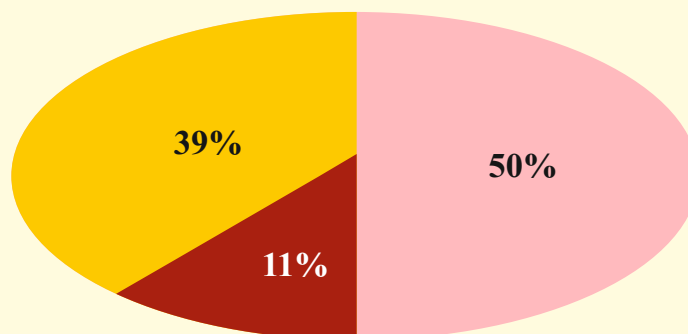
- वर्ष 2013-14 में बच्चों पर कुल खर्च 7825.7 करोड़ रुपये से 20.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर वर्ष 2022-23 तक 47847.6 करोड़ रुपये हो गया है।
- औसतन, इन दस वर्षों में राज्य के कुल बजट के बाल विकास पर व्यय का हिस्सा लगभग 16.0 प्रतिशत है।
- इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति व्यय वर्ष 2013-14 में 1559 रु. से 5.9 गुना बढ़कर वर्ष 2022-23 में 9131 रु. हो गया है।



कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्रति बालक व्यय



बाल कल्याण योजनाओं का वितरण 2024-25



- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय
- राज्य स्कीम
- केन्द्र प्रायोजित स्कीम + केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम

बालकों के समुचित विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही महत्वपूर्ण योजनाएँ

बाल कल्याण बजट दस्तावेज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किए गए उस प्रावधान को इंगित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्य रूप से बालकों का कल्याण एवं विशिष्ट रूप से बालकों का संपूर्ण (शारीरिक एवं मानसिक) विकास है। इसके लिए विभिन्न विभाग बाल कल्याण केन्द्रित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं।

बिहार सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित कर विभिन्न विभागों के परामर्श से बालकों से संबंधित विपन्न कोडों को चिह्नित किया गया ताकि बालकों के कल्याणार्थ व्यय में पारदर्शिता परिलक्षित हो।

बिहार सरकार द्वारा बालकों को केन्द्र में रखकर चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं की विवरणी निम्नांकित है :-

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

अन्य पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक (विद्यालय) छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग-1 से 10 तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालय, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा स्थापना प्रस्वीकृत विद्यालयों में कक्षा - I से X तक अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" के संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान निम्नांकित दर पर एकमुश्त किया जाएगा:-

क्र०	वर्ग	छात्रवृत्ति की दर (वार्षिक)
1	कक्षा - I से IV	₹600/-
2	कक्षा - V से VI	₹1200/-
3	कक्षा - VII से X	₹1800/-
4	कक्षा I से X तक (छात्रावास)	₹3000/-

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के तहत वर्ग-11 एवं उच्चतर कक्षा तथा डिप्लोमा/डिग्री स्तर का मेडिकल/इंजिनियरिंग/प्रबंधन एवं अन्य प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के

छात्र/छात्राओं को निर्धारित दर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की वार्षिक पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा ₹1.50 लाख निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रभाव से ₹2.50 लाख कर दिया गया है।

इसकी सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाईन है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से छात्रवृत्ति का वितरण शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना

द्वारा अत्यंत पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2008-09 से मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है।

इस योजना अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹10,000/- (दस हजार रुपये) मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना

पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, उन्हें उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजनांतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक (10वीं) परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले बिहार राज्य में स्थायी रूप से निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) मात्र तक या इससे कम हो, को प्रति छात्र ₹10,000/- मात्र एकमुश्त वृत्तिका दी जाती है। पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को यह राशि शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है।

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र योजना

यह योजना पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को यू0पी0एस0सी0/बी0पी0एस0सी0 एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाता है। प्रति केन्द्र 120 प्रतियोगियों को प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। योजना के तहत राज्य में कुल 38 केन्द्र स्वीकृत है। जिसमें से वर्तमान में 36 जिलों में केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए भुगतये किये गये परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को रसोईया-सह-सेवक की सेवाएँ, रोशनी, बर्तन इत्यादि की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं।

जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना

वित्तीय वर्ष 2008-09 में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रत्येक जिला में 100 आसन वाले “जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास” निर्माण करने हेतु इस योजना का प्रारंभ किया गया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए कुल 12 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं जिनमें वर्ग-6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क आवासन, वस्त्र, पठन-पाठन सामग्री, भोजन आदि प्रदान की जाती है। सभी विद्यालय भवनों को 520 आसन के अनुरूप निर्माण करने की कार्यवाही की जा रही है। अबतक 28 जिलों में 29 आवासीय विद्यालयों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना

“मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना” पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से संचालित है। इस योजना से पिछड़े वर्गों एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों के सदस्यों का आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के साथ-साथ राज्य के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के सदस्यों को आर्थिक रूप से सबल बनाने हेतु मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास योजना आरंभ की गई है। इस योजना के तहत श्रम संसाधन विभाग द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण केन्द्रों पर विभिन्न ट्रेडों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

इस योजना का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है जिसके अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रेत्तर तैयारी हेतु एकमुश्त ₹50000/- (पचास हजार रुपये) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना

इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। वर्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावासों में आवासित हो कर अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को

प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान देने का प्रावधान है।

छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति योजना

इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2018-19 से किया गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित होकर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को निःशुल्क प्रति माह 15 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न (9 किलोग्राम चावल एवं 6 किलोग्राम गेहूँ) की आपूर्ति की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में संबंधित छात्रावासों तक डोर स्टेप डिलीवरी योजना-2016 के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है।

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित ₹2.50 लाख से अधिक एवं ₹3.00 लाख (तीन लाख रुपये) मात्र तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति एवं योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग से कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह एक राज्य योजना है। इसका क्रियान्वयन भी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की भाँति PMS Online पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना

पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा-प्रबंधन, विधि आदि की तैयारी एवं संबंधित रोजगारपरक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, उच्च संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में भागीदारी बढ़ाने हेतु NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil आदि की तैयारी निःशुल्क करायी जाती है। योजनान्तर्गत अबतक 10 केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी है।

जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केन्द्र

राज्य में संचालित सभी जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालयों में जननायक पुस्तकालय एवं डिजिटल अध्ययन केन्द्र विकसित किया गया है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी एवं उच्च कोटि की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, डिजिटल अध्ययन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित कराना है एवं साथ ही, विशेषज्ञों तथा पूर्ववर्ती सफल छात्र/छात्राओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन सत्र आयोजित करना है।

पंचायती राज विभाग

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना

सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में ग्राम पंचायतों के वार्ड को एक इकाई मानकर प्रत्येक वार्ड के लिए एक योजना ली गई है। ग्राम पंचायत के वार्डों में जल की इस आवश्यकता को बोरिंग, समर्सिबल पम्प एवं

डिस्ट्रीब्यूशन पाईपलाईन के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जल की शुद्धता एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलस्रोत (बोरिंग) की न्यूनतम गहराई 100 मीटर रखी जा रही है। पाईप लाइन के माध्यम से घरों तक जल वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य के प्रत्येक वार्ड में ग्राम पंचायत के वार्डों में इस योजना में बाल कल्याण के विकास पर होने वाला व्यय लगभग 25 प्रतिशत अनुमानित है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना

सुशासन के कार्यक्रम, 2020-25 के अंतर्गत "आत्मनिर्भर बिहार" के सात निश्चय-2 कार्यक्रम के तहत "स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव" निश्चय के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में दस सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने का कार्यक्रम है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति चयनित सूची में खेल कूद का आयोजन स्थल, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सार्वजनिक स्थलों के प्राथमिकता के आधार पर सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन किया जाना है। इससे बालकों एवं बालिकाओं के समग्र विकास में सहायता मिलेगी।

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी राशि के सामान्य निधि (50 प्रतिशत) मद की राशि को खेल के मैदान का प्रबंधन, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक शौचालय, क्षमता निर्माण पर व्यय आदि कार्यों में व्यय किये जाने का प्रावधान है तथा पंचायत समिति के विकास निधि (30 प्रतिशत) की राशि का व्यय सरकारी विद्यालय/कॉलेज परिसर में विद्यालय/कॉलेज की सहमति से उद्यान का निर्माण किये जाने का प्रावधान है। इससे बालकों एवं बालिकाओं के समग्र विकास में सहायता मिलेगी।

15वें वित्त आयोग (Tied & Untied)

15वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली Untied एवं Tied अनुदानों की राशि को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों) को उपलब्ध कराया जाता है, उक्त राशि के Untied Grant (40%) में से खेल के मैदान/उद्यानों, खुला जिम की व्यवस्था, पंचायत में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण एवं ग्राम पंचायत भवनों/सामुदायिक भवनों में पुस्तकालय का निर्माण आदि कार्यों में व्यय किये जाने का प्रावधान है। Tied Grant (30%) राशि का व्यय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में गुरुत्वाकर्षण आधारित शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था, प्रखंड स्तरीय लाईब्रेरी का निर्माण, उच्च विद्यालयों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण आदि में व्यय किये जाने का प्रावधान है। इससे बालकों एवं बालिकाओं के समग्र विकास में सहायता मिलेगी।

15वें वित्त आयोग (स्वास्थ्य प्रक्षेत्र अनुदान)

15वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली अनुदानों की स्वास्थ्य प्रक्षेत्र अनुदान की राशि का व्यय प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किये जाने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के लिए सहायता, प्रखंड स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाईयाँ, ग्रामीण PHCs, CHCs को स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में परिवर्तित करना आदि कार्यों में व्यय किये जाने का प्रावधान है। इससे उनके सर्वांगीण विकास में सहायता मिलेगी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पटना में संजय गाँधी जैविक उद्यान के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 06 प्रमुख पार्क अनुरक्षित किये जा रहे हैं :

1. शहीद वीर कुँवर सिंह आजादी पार्क
2. नवीन सिन्हा स्मृति पार्क
3. पुनाईचक पार्क
4. शिवाजी पार्क
5. श्रीकृष्णापुरी पार्क एवं
6. श्री कृष्णनगर पार्क

गया वन प्रमंडल अंतर्गत बुद्ध विहार वाटिका एवं जे0पी0 वाटिका अनुरक्षित किये जा रहे हैं । अररिया जिला अंतर्गत पूर्णियाँ-अररिया पथ एन0एच0-57 के किनारे कुसियारगाँव जैव विविधता पार्क अनुरक्षित किये जा रहे हैं ।

इन सभी पार्कों में बाल-क्रीड़ा के उपकरण एवं साधन लगाये गये हैं । सामान्यतः इन पार्कों में कुल आगन्तुकों के लगभग 10 प्रतिशत बच्चे रहते हैं । इनके अतिरिक्त जिला जमुई के चकाई प्रखंड में माधोपुर ईको-पार्क तथा जिला बाँका के अमरपुर प्रखंड में सुपहा ईको पार्क को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है ।

स्वास्थ्य विभाग

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

इस कार्यक्रम अंतर्गत राज्य के 0-18 वर्ष के बच्चों की स्वास्थ्य जाँच कर उन्हें आवश्यकतानुसार निःशुल्क दवायें एवं रेफरल सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इस कार्यक्रम अंतर्गत स्वास्थ्य जाँच हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के आधार पर चलन्त चिकित्सा दलों का गठन किया गया है, जो अपने क्षेत्र में आँगनवाड़ी केन्द्रों एवं सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों की स्वास्थ्य-जाँच करते हैं एवं बच्चों को स्वास्थ्य-कार्ड का वितरण करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य में गुणात्मक वृद्धि लाना, विकार युक्त बच्चों का समुचित इलाज कर उनमें अंतर्निहित शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमता को उजागर करना शामिल है।

‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’ के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव स्थलों, समुदाय, आँगनवाड़ी केन्द्र एवं विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य जाँच की सुविधा प्रदान की जाती है। जाँच हेतु जन्म से 18 वर्ष के बच्चों को निम्न उपभागों में बाँट कर स्वास्थ्य-जाँच गतिविधि सम्पन्न की जाती है-

- (क) 0-6 सप्ताह के बच्चे।
- (ख) 6 सप्ताह से 6 वर्ष के बच्चे।
- (ग) 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे।

बच्चों को 22 प्रकार की शल्य चिकित्सा प्रदान करने हेतु राज्य के निम्नलिखित 09 मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के साथ करार किया गया है

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS), पटना इंदिरा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी (IGIC), पटना पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH), पटना दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (DMCH), लहेरियासराय जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (JLNMCH), भागलपुर नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (NMCH), पटना अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ANMMCH), गया श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (SKMCH), मुजफ्फरपुर

संस्थान आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई

राज्य में शिशु मृत्यु दर कम करने हेतु Facility Based Newborn Care(FBNC) के तहत सभी जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में SNCU की स्थापना, अनुमंडलीय एवं रेफरल अस्पताल में Newborn Stabilization Unit की स्थापना कर संचालित किया जा रहा है, जिसके द्वारा बीमार शिशुओं को विशेष सेवा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य के कार्यरत विशेष नवजात देखभाल इकाई में कंगारू मदर केयर वार्ड स्थापित किया जाना है। राज्य के 20 जिला अस्पताल में पेडियाट्रिक यूनिट स्थापित कर संचालित किया जा रहा है।

नवजात शिशु की घर पर देखभाल

आशा कार्यकर्ता को नवजात शिशु एवं प्रसूता माँ की देखभाल हेतु गृह भ्रमण करने के लिए ₹250/- का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। संस्थागत प्रसव के मामले में छह दौरे (तीसरे, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें और 42वें दिन) तथा घर पर प्रसव के मामले में सात दौरे (पहले, तीसरे, 7वें, 14वें, 21वें 28वें और 42वें दिन) आशा कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती महिला एवं धात्री माता की लाइनलिस्ट तैयार कर माइक्रोप्लान बनाना एवं तदनुसार प्रति माह 5-8 उक्त माताओं के समूह के साथ तीन बार बैठक करना है। इस तरह प्रत्येक तीन माह में कुल 9 बैठकों का आयोजन किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को ₹100/- प्रति तिमाही प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।

सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के दौरान आशा कार्यकर्ता द्वारा अपने क्षेत्र के कम-से कम 80 प्रतिशत घरों का भ्रमण, माइक्रोप्लान के अनुसार जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों का लाइनलिस्ट तैयार कर ए.एन.एम. को समर्पित करने एवं ओ.आर.एस. का वितरण करने के उपरांत उसे ₹100/- प्रोत्साहन राशि देय होगी।

राज्य के 13 Aspirational District में HBYC कार्यक्रम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता द्वारा 15 माह तक प्रत्येक शिशु का गृह भ्रमण क्रमशः तीसरा, छठा, 9वां, 12वां, 15वां महीना में किया जाना है। प्रत्येक आशा कार्यकर्ता द्वारा पांच सफल भ्रमण करने के पश्चात् उनको प्रोत्साहन राशि (250 ₹0) देय है।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम

कृमि मुक्ति के सफल संचालन के लिए सभी जिलों को प्रति आशा रुपये 100/- की दर से दो राउण्ड हेतु राशि उपलब्ध कराया गया है। उक्त राशि का भुगतान आशा कार्यकर्ता द्वारा अपने क्षेत्र के 1

से 19 वर्ष तक के बच्चों का लाइनलिस्ट तैयार कर ए.एन.एम. को समर्पित करने के उपरांत देय है।

एन0आर0एच0एम0 अंतर्गत पोषण पुनर्वास केन्द्र

गंभीर कुपोषित बच्चे जिनमें चिकित्सकीय जटिलता हो, उनकी मृत्यु को रोकने तथा समुचित देखभाल हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गयी है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में पोषण पुनर्वास केन्द्र में चिकित्सीय जटिलताओं के साथ अति गंभीर कुपोषित बच्चों को भर्ती किया जाना है तथा समुचित उपचार एवं देखभाल के पश्चात् वजन में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें घर भेजा जाना है, साथ ही उनका अनुवर्तन (Follow up) भी किया जाना है।

एनीमिया मुक्त बिहार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में किया जाना है। दिशा निर्देशानुसार इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु 6 माह से 59 माह तक के बच्चों को सप्ताह में दो बार सीरप तथा 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों को सप्ताह में एक बार आई.एफ.ए. गोली का अनुपूरण किया जाना है। आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के 6 माह से 10 वर्ष तक के बच्चों की लाइनलिस्ट का रजिस्टर में संधारण करेगी तथा कुल लाइनलिस्ट किये गये बच्चों की संख्या का कम-से-कम 70 प्रतिशत बच्चों को आई.एफ.ए. सीरप एवं गोली का अनुपूरण के उपरांत ₹100/- प्रति माह की दर से एक वर्ष में दो बार, छः माह के अंतराल पर कुल ₹600/- (₹600/- वर्ष में दो बार मात्र ₹1200/-) रुपये देय है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

राज्य में बालिका मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से इस योजना अंतर्गत कन्या के जन्म के उपरांत टीकाकरण हेतु 2000/- की दर से बच्ची के अभिभावक को लाभान्वित किया जा रहा है।

शिक्षा विभाग

किलकारी

किलकारी द्वारा 9 से 16 आयु वर्ग तक के बच्चों की सृजनशीलता को स्वस्थ तनावरहित एवं आनन्दमयी वातावरण में उभारने हेतु उनकी अभिरूचि के अनुसार मंगलवार से शनिवार प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी संक्षिप्त विवरणी निम्न है:-

- I. **नियमित प्रशिक्षण-** शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, चित्रकला, क्राफ्ट, मूर्तिकला, कराटे, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन, शतरंज, विज्ञान, लेखन, नाटक आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- II. **प्रकाशन-** किलकारी के बच्चों द्वारा हर माह बाल किलकारी नामक मासिक अखबार बच्चों से संबंधित किताबें ब्रोशर, मॉडयूल इत्यादि सामग्री के प्रकाशन की योजना।
- III. **गुल्लक (बच्चा बैंक)-** बच्चों द्वारा बचत की जाने वाली राशि की जमा योजना।
- IV. **फोटोग्राफी-बच्चों में देखने-समझने के नजरिये को विकसित करने की योजना-** वर्तमान में बच्चों बिहार की गुफाओं का शैक्षणिक भ्रमण कर फोटोग्राफी कर रहे हैं। इसके उपरांत पुस्तक निमार्ण की योजना।

- V. **चलंत पुस्तकालय-** बाल भवन की गतिविधियों से सरकारी विद्यालयों एवं स्लम के बच्चों को जोड़ने की योजना।
- VI. **पुस्तकालय (मस्ती की पाठशाला)-** बच्चों के बौद्धिक एवं शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है।
- VII. **किल्कारी की शाखाएं-** प्रमंडल स्तर पर 2 बाल भवनों गया तथा भागलपुर की स्थापना, जिससे बिहार के अन्य बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिल सके।
- VIII. **किल्कारी के वार्षिक आयोजन-** बाल दिवस, राष्ट्रीय बाल रंग महोत्सव, समर कैंप, बालश्री, राष्ट्रीय बाल लोक नृत्य महोत्सव आदि योजना।
- IX. **किल्कारी की अन्य परियोजनाएं-**
 - (क) टाटा दोराबजी के फंड से पटना के सरकारी विद्यालयों में तथा अन्य जिलों कैमूर, सहरसा, गया मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा धरहरा (भागपुर) में तीन-तीन घंटे बाल केन्द्र का संचालन।
 - (ख) यूनिसेफ के सहयोग से वैशाली जिले में बाल संसद परियोजना का संचालन। आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चे कला के क्षेत्र में आगे बढ़कर बिहार का नाम रौशन कर रहे हैं।

निजी विद्यालय में निर्धन एवं मेधावी छात्रों के शिक्षा अधिकार कार्यान्वयन योजना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को राशि प्रतिपूर्ति की जाती है, जिससे निजी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे निर्धन तथा गरीब बच्चे निशुल्क अथवा कम शुल्क पर पढ़ाई कर सकें।

प्राथमिक विद्यालय अन्तर्गत मुख्यमंत्री पोशाक योजना

मुख्यमंत्री पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्रों को पोशाक के लिए क्रमशः कक्षा 1-2 में अध्ययनरत छात्रों को 400/-वार्षिक, कक्षा 3-5 में अध्ययनरत् छात्रों को 500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6-8 में अध्ययनरत् छात्रों को 700/-वार्षिक राशि उपलब्ध कराया जाता है, ताकि अध्ययनरत् सभी छात्रों के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।

प्राथमिक विद्यालय अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को पोशाक के लिए क्रमशः कक्षा 1-2 में अध्ययनरत् छात्रों को ₹400/-वार्षिक, कक्षा 3-5 में अध्ययनरत् छात्रों को ₹500/- वार्षिक, तथा कक्षा 6-8 में अध्ययनरत् छात्रों को ₹700/-वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है ताकि अध्ययनरत् सभी छात्रों के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके।

मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण

छात्र/छात्राओं को अपने राज्य के ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक, मध्य एवं कन्या विद्यालय को प्रति वर्ष ₹20,000/- शैक्षणिक परिभ्रमण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से छात्र/छात्राओं का शैक्षणिक-सह-मानसिक विकास होता है।

मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम् में अध्ययनरत बालकों को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्र ₹3,000/- राशि उपलब्ध करायी जाती है, ताकि दूर-दराज के बच्चे भी विद्यालय पहुँच सकें। इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है तथा समय अपव्यय से रहित हो छात्र अध्ययन की ओर अधिकाधिक उन्मुख हुए हैं।

मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना

माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के तहत माध्यमिक विद्यालयों के वर्ग नवम् में अध्ययनरत सभी धर्म/जाति की बालिकाओं को विद्यालय जाने हेतु प्रति छात्रा ₹3,000/- (तीन हजार) रुपये मात्र की राशि उपलब्ध करायी जाती है, ताकि दूर-दराज के बच्चियाँ भी विद्यालय पहुँच सकें। इस योजना से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक वातावरण का निर्माण हुआ है तथा समय अपव्यय से रहित हो छात्राएँ अध्ययन की ओर अधिकाधिक उन्मुख हुयी हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के राजकीय/ राजकीयकृत/प्रोजेक्ट(उत्क्रमित सहित)/अल्पसंख्यक/अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए साईकिल क्रय हेतु जिलों को राशि उपलब्ध करायी जाती है।

बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी कोटि की छात्राओं को पोशाक के लिए कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को ₹1,500/- वार्षिक उपलब्ध कराया जाता है, ताकि अध्ययनरत सभी छात्राओं के बीच समानता का भाव उत्पन्न हो सके। राज्य योजना मद से राज्य के अंगीभूत/संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय/राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उत्क्रमित सहित/अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों एवं अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इंटर महाविद्यालयों में नवम् से बारहवीं कक्षा की छात्राओं को RTGS के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाती है।

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना (मैट्रिक प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण एवं प्री मैट्रिक छात्रावृत्ति)

मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रत्येक छात्रा को ₹10,000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित हो सकें एवं अंतर-स्नातक की पढ़ाई भी इस योजना द्वारा कर सकें और इसके लिए वे परिवार पर आंशिक रूप से ही निर्भर रहें। सामान्य कोटि एवं पिछड़ा वर्ग कोटि की छात्राओं के लिए RTGS के माध्यम से राशि हस्तान्तरित की जाती है। साथ ही राज्य के प्रत्येक राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट(उत्क्रमित सहित)/अल्पसंख्यक अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य कोटि की छात्राओं (9 से 10 तक प्री-मैट्रिक छात्रावृत्ति अंतर्गत) को प्रतिमाह ₹150/- (एक सौ पचास रुपये) रुपये मात्र RTGS के माध्यम से हस्तान्तरित की जाती है।

राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण तथा बालिका छात्रावास योजना

आर्थिक रूप से पिछड़े प्रत्येक प्रखंड में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु बालिका छात्रावास का निर्माण एवं प्रत्येक प्रखंड में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर मॉडल स्कूल विकसित किया जा रहा है।

साथ ही राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण हेतु राशि मुहैया की जाती है, जिससे पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण भवन का पुनर्निर्माण/मरम्मत की जा सके ताकि अध्ययनरत बालिकाएं उन्मुक्त वातावरण में पढ़ाई कर सकें।

आई0 सी0 टी0 परियोजना

इस परियोजना अंतर्गत कक्षा 09 से 12 तक के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है।

मध्य विद्यालय की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान

मध्य विद्यालयों की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान दिया जाता है। कराटे का प्रशिक्षण प्राप्त करने से बालिकाओं में स्व-रक्षार्थ आत्मविश्वास का संचार होता है।

बिहार सब-जूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग

जूनियर बालक/बालिकाओं के लिए स्पोर्ट्स में सब-जूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम हेतु अनुदान दी जाती है। प्राथमिक शिक्षान्तर्गत बालक/बालिकाओं हेतु वार्षिक खेल शैक्षणिक सेमिनार आयोजित की जाती है।

हुनर

राज्य सरकार की इस योजना के द्वारा डोमेन स्कीलिंग के तहत माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत छात्र/छात्राओं में हुनर का विकास किया जाता है।

उन्नयन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम अन्तर्गत स्मार्ट क्लास तथा अन्य तकनीकी सुविधाओं से विद्यालय को सुसज्जित कर छात्र/छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण ऑन-लाइन अध्ययन की सुविधा प्रदान कराने की योजना है। राज्य के चिह्नित विद्यालयों के लिए 45-56 इंच का स्मार्ट टी0वी0 एवं अन्य सामग्रियों का क्रय किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में शिक्षा विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण) के तहत अंतर स्नातक उत्तीर्ण बालिकाओं को प्रोत्साहन के रूप में ₹25,000/- की राशि RTGS द्वारा उनके खाते में उपलब्ध करायी जाती है। बिहार विद्यालय परीक्षा छात्रवृत्ति अंतर्गत छात्राओं को RTGS के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जाती है।

प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्तियाँ

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1-4 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ₹50/-प्रति माह अर्थात ₹600/-वार्षिक, कक्षा 5-6 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ₹100/- प्रति माह अर्थात ₹1200/- वार्षिक, तथा कक्षा 7-8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ₹150/-प्रति माह अर्थात ₹1800/-वार्षिक राशि उपलब्ध करायी जाती है, ताकि वे अध्ययन के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री क्रय कर सकें।

100/- प्रति माह अर्थात ₹1200/- वार्षिक, तथा कक्षा 7-8 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को

₹150/-प्रति माह अर्थात् ₹1800/-वार्षिक राशि उपलब्ध करायी जाती है, ताकि वे अध्ययन के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री क्रय कर सके।

किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना

इस योजना द्वारा विद्यालयों में 12 वर्ष से अधिक उम्र की नामांकित सभी बालिकाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में सामान्य जानकारी एवं माहवारी स्वास्थ्य तथा प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही माहवारी चक्र के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षिकाओं के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन क्रय करने हेतु ₹300/-प्रति वर्ष उपलब्ध कराते हुए उसके निस्तारण के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। बिहार सरकार की इस योजना ने लड़कियों के मस्तिष्क से रूढ़िवादिता, जड़ता एवं संकोच को बहुत हद तक दूर कर दिया है।

मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना

मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना अन्तर्गत राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक परिभ्रमण हेतु प्रति विद्यालय ₹20,000/- (बीस हजार रुपये) मात्र की दर से प्रत्येक विद्यालय को राशि उपलब्ध करायी जाती है। सरकार के इस योजना का उद्देश्य छात्र/छात्राओं में शैक्षणिक, व्यवहारिक एवं मानसिक ज्ञान में संतुलन स्थापित करना है। ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं पौराणिक स्थलों के भ्रमण से उनमें आत्मविश्वास एवं ज्ञान का विकास होता है।

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड

जो बच्चे अपरिहार्य कारणवश मैट्रिक परीक्षा/इंटर में शामिल नहीं हो पाते हैं, वे बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड में शामिल होकर उच्च शिक्षा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं।

शिक्षा भवन निर्माण

प्रत्येक जिला में शिक्षा भवन निर्माण की योजना है, ताकि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक में अध्ययनरत बालकों एवं बालिकाओं को इस निर्मित शिक्षा भवन में शैक्षणिक समस्याओं से निजात दिलाया जा सके।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय

सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय में वर्ग छः से मैट्रिक तक पढाई होती है। इस आवासीय विद्यालय में वर्ग 6 से वर्ग 10 तक प्रत्येक वर्ग में 60-60 बालक/बालिका अध्ययन करते हैं।

मॉडल स्कूल

प्रमंडलीय स्तर पर मॉडल स्कूल की स्थापना हेतु विद्यालयों को चिह्नित करते हुए उसे अधिकाधिक सुविधायुक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है।

शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव

शिक्षा दिवस, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिवस पर प्रत्येक 11 नवम्बर को मनायी जाती है, का मुख्य उद्देश्य उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का प्रचार प्रसार तथा उनके सर्व धर्म सद्भाव के संदेश को बच्चों, शिक्षकों एवं आम लोगों के

बीच पहुँचाना है। साथ ही इसी मद अन्तर्गत अन्य प्रकार के शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव का आयोजन किया जाता है।

प्राथमिक विद्यालय वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण योजना

जल-जीवन-हरियाली योजना अन्तर्गत राज्य के 3125 चिन्हित मध्य विद्यालयों में वर्षा जल संचय के लिए भौतिक संरचना निर्माण हेतु प्रति मध्य विद्यालय ₹80,000/- की दर से राशि उपलब्ध करायी जा रही है।

समग्र शिक्षा अभियान

समग्र शिक्षा अभियान की शुरूआत केन्द्र सरकार द्वारा 4 अगस्त, 2021 से की गयी है। समग्र शिक्षा स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है। यह सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा की तीन योजनाओं को समाहित करता है।

सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.)

पंचायती राज/नगर निकाय संस्थान अंतर्गत कार्यरत शिक्षक एवं उत्कर्मित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत शिक्षकों, जो समग्र शिक्षा अभियान से अच्छादित है, के वेतन भुगतान हेतु राशि बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक को उपलब्ध करायी जाती है।

केन्द्र प्रायोजित इस योजना में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में प्री-स्कूल से वर्ग 8 तक अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 40:1 के अनुपात में बच्चों एवं शिक्षक की संख्या रखने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है।

मध्याह्न भोजन योजना

राज्य सरकार द्वारा बच्चों को “स्वस्थ तन-स्वस्थ मन” के आधार पर केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सप्ताह में एक दिन अंडा/मौसमी फल बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है एवं भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत राशि के अन्तर्गत विमुक्त केन्द्रांश के समानुपातिक राज्य के राज्यांश की विमुक्ति का प्रावधान है। समग्र शिक्षा के तहत प्राप्त सहायक अनुदान की राशि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को उपलब्ध करायी जाती है। उत्कर्मित मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान इसी मद से दिया जाता है। इस योजना द्वारा विद्यार्थी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों राशि व्यय करती है एवं शिक्षक तथा छात्र का अनुपात 01:40 करने हेतु राज्य सरकार कटिबद्ध है।

अध्यापक शिक्षा संस्थान

समग्र शिक्षा अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु इस योजना को 60:40 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित की जाती है। यह कक्षा 10 +2 में अध्ययनरत छात्रों के लिए संचालित योजना है। जिसके तहत विद्यालय में अध्यापन हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन साक्षर भारत

वैसे छात्र जो अभी भी स्कूली शिक्षा से दूर हैं, को स्कूली शिक्षा से जोड़ने के लिए साक्षर भारत योजना चलायी जा रही है। इससे 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के अलावा 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे भी लाभान्वित होते हैं, जिसके कारण अब लगभग शत प्रतिशत बच्चे स्कूली शिक्षा से जुड़ चुके हैं।

राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय नियमित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन भुगतान

राज्य के प्राथमिक शिक्षा अन्तर्गत प्रखंड एवं पंचायत नगर निकायों में राज्य के राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों/राजकीयकृत उच्च विद्यालयों, परियोजना उच्च विद्यालय, कन्या उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए वेतन एवं अन्य मद में सरकार राशि आवंटित करती है, जिससे विद्यालयों में नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है।

गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

राज्य के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में विधिवत् रूप से कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए वेतनादि भुगतान हेतु राशि व्यय की जाती है।

प्राथमिक विद्यालय में नगर/प्रखंड/पंचायत नियोजित शिक्षकों का वेतन

संविधान की धारा 21 क अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। इसलिए 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 करने तथा राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय के अंदर लाने के लिए एवं उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 3.23 लाख पंचायत /प्रखंड/नगर शिक्षकों का नियोजन किया गया है। इनमें से 66104 नगर प्रखंड एवं पंचायत शिक्षक का वेतन भुगतान स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राज्य सरकार की निधि से किया जा रहा है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय अन्तर्गत नियमित शिक्षक वेतन भुगतान

राज्य के माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में राज्य के राजकीय उच्च विद्यालयों/राजकीयकृत उच्च विद्यालयों, परियोजना उच्च विद्यालय, कन्या उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए वेतन एवं अन्य मद में सरकार राशि आवंटित करती है, जिससे विद्यालयों में नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है।

बिहार के बाहर सैनिक विद्यालय में अध्ययनरत बिहारी बालकों को अनुदान योजना

सैनिक स्कूल सोसाइटी एवं रक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में सैनिक स्कूल नालन्दा एवं गोपलगंज तथा बिहार राज्य के बाहर अध्ययन कर रहे बच्चों को छात्रवृत्ति,

कपड़ा-धुलाई, पोषाहार एवं अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए राज्य सरकार अनुदान देती है।

माध्यमिक बहुदेशीय अल्पसंख्यक विद्यालय

राज्य के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय में विधिवत् रूप से बच्चों के पठन-पाठन हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान पर राशि व्यय की जाती है।

वित्तरहित विद्यालय को अनुदान योजना

राज्य के वित्त रहित उच्च विद्यालयों में बच्चों के पठन-पाठन हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए बिहार सरकार विद्यालयों को अनुदान देती है।

नियोजित माध्यमिक शिक्षक

राज्य के माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में राज्य के राजकीय उच्च विद्यालयों/राजकीयकृत उच्च विद्यालयों, परियोजना उच्च विद्यालय, कन्या उच्च विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन भुगतान हेतु सहायक अनुदान वेतन के रूप में राज्य सरकार राशि आवंटित करती है। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 करने तथा राज्य के सभी बच्चों को विद्यालय के अंदर लाने के लिए और उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत/जिला परिषद द्वारा शिक्षकों का नियोजन किया गया है।

इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा)

बिहार राज्य के 33 जिलों में अवस्थित 91 इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा) स्तर के व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालय संचालित है। ऐसे विद्यालयों में छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय

राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 (332+199) एवं अराजकीय प्रस्वीकृत 86 प्रतिकूल संस्कृत विद्यालय के प्रस्वीकृति विद्यालय में बच्चों के पठन-पाठन हेतु कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान पर राशि व्यय की जाती है।

मदरसा इसलामियां समसूल होदा

बिहार राज्य में मदरसा इसलामियां समसूल होदा स्थापित है, जिसमें प्राचार्य एवं अन्य कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु राशि आवंटित की जाती है। यहाँ बच्चें आवासित होकर सुचारु रूप से अध्ययन करते हैं।

गैर-सरकारी मदरसा

राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसा एवं 2459+1 कोटि के मदरसा अन्तर्गत विधिवत् रूप से नियुक्त कर्मियों को विभागीय संकल्प द्वारा वेतनानुदान का लाभ प्रदान किया गया है। इसके द्वारा मूल वेतन तथा अद्यतन मंहगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है। यहाँ बच्चें सुचारु रूप से गहन अध्ययन करते हैं।

प्रशिक्षण महाविद्यालय

राज्य के मान्यता प्राप्त 33 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाएट) में प्रति संस्थान 6 सुरक्षा प्रहरी, 27 प्राथमिक शिक्षक, शिक्षा महाविद्यालयों/प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रति संस्थान 4 सुरक्षा प्रहरी एवं 6 अध्यापक, शिक्षा महाविद्यालयों में प्रति संस्थान 4 सुरक्षा प्रहरी अर्थात् 66 प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है ताकि वो अध्यापन कार्य में निपुण हो सके और बच्चों को समुचित ढंग से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके।

बिहार राज्य पुस्तकालय प्राधिकार/उर्दू लाइब्रेरी एवं विभिन्न पुस्तकालय

राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छात्रों के अध्ययन हेतु पुस्तकालय की स्थापना की गयी है। राज्य सरकार द्वारा उक्त पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु सहायक अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

गृह विभाग

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार उत्तरजीविता विकास, संरक्षण और भागीदारी बच्चों के चार मूल अधिकार है। बिहार पुलिस “बाल संरक्षण” यथा बाल श्रमिक, निःशक्त बच्चे, आपदा प्रभावित बच्चे, विवाद प्रभावित बच्चे, बाल वेश्याएं, वेश्याओं के बच्चे, लावारिस बच्चों के उत्थान एवं मानव व्यापार के जोखिम से असुरक्षित बच्चे एवं किशोर अपराधियों के उत्थान हेतु सतत् प्रयासरत है।

राज्य अंतर्गत जेलों में महिला बंदियों के साथ रहने वाले बालकों एवं बालिकाओं के उत्थान एवं पोषण के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

श्रम संसाधन विभाग

सरकार के द्वारा बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है-

1. बाल श्रम (14 वर्ष से कम आयु वर्ग के) सभी प्रकार के नियोजनों में प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे अपने परिवार अथवा पारिवारिक व्यवसाय में स्कूल अवधि के उपरान्त सहयोग प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते उनकी स्कूली शिक्षा पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह सहयोग किसी प्रकार का नियोजन नहीं माना जायेगा एवं बच्चों एवं उनके अभिभावकों के बीच नियोजित-नियोक्ता का संबंध नहीं होगा।
2. नये अधिनियम में एक नयी कोटि “किशोर” जिनकी आयु 14-18 वर्ष की होगी, शामिल किया गया है। किशोरों के नियोजन को खतरनाक पेशों एवं प्रक्रियाओं में प्रतिषेध किया गया है तथा शेष नियोजनों में उनके कार्यों को पूर्व के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।
3. नये अधिनियम में बाल श्रम नियोजन को संज्ञेय अपराध का दर्जा दिया गया है। साथ ही दंड को और अधिक कठोर किया गया है। बाल श्रमिकों को नियोजित किये जाने पर न्यूनतम 6 महीने तक का कारावास जो अधिकतम 2 वर्ष तक हो सकता है, साथ ही न्यूनतम 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) तक का आर्थिक दंड जो अधिकतम 50,000/- (पचास हजार रुपये) तक हो सकता है, का प्रावधान है।

4. राज्य सरकार द्वारा जिलों में बाल एवं किशोर श्रम पुर्नवास कोष का गठन किया जायेगा। इस कोष में दोषी नियोजकों से दंडस्वरूप वसूली गयी राशि संचित की जायेगी, साथ ही राज्य सरकार के तरफ से भी विमुक्त प्रति बाल अथवा किशोर श्रमिक 15,000/- जमा किये जायेंगे। संचित अथवा निवेश की गई राशि का ब्याज विमुक्त बाल अथवा किशोर श्रमिक को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. 12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा Child Labour Tracking System (CLTS) का अनावरण किया गया। बाल श्रमिकों के पुर्नवास की दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है। Child Labour Tracking System (CLTS) एक Web Based Tracking System है, जिसके माध्यम से विमुक्त बाल श्रमिकों के आर्थिक एवं शैक्षणिक पुर्नवास का अनुश्रवण संभव हो सकेगा। उक्त दिवस को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गयी कि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक, जिनका विवरण Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज होगा, उन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति बाल श्रमिक ₹25,000/- की राशि प्रदान की जायेगी। वर्तमान में यह राशि सावधि जमा योजना (Annuity Scheme) के रूप में विमुक्त बाल श्रमिक को प्रदान की जा रही है।

बाल श्रमिक पुर्नवास तंत्र का सुदृढ़ीकरण

बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा-3 के अनुसार 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित है। बाल श्रम उन्मूलन हेतु पूरे राज्य में धावा दल के माध्यम से सघन अभियान चलाकर बाल श्रमिकों की विमुक्ति जारी है। विमुक्ति के समय प्रत्येक बाल श्रमिक को एक माह के राशन हेतु ₹2300/- (दो हजार तीन सौ), वस्त्र हेतु ₹500/- (पाँच सौ), आवश्यकतानुसार आहारपथ्य हेतु ₹100/- (एक सौ) एवं दवा हेतु ₹100/- (एक सौ) अर्थात कुल ₹3000/- (तीन हजार) का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम०सी०मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार प्रति विमुक्त बाल श्रमिक ₹5000/- की दर से जिलों में स्थापित बाल श्रमिक पुर्नवास-सह-कल्याण कोष में राशि जमा किया जा रहा है। नियोजक द्वारा ₹20,000/- बाल श्रमिक पुर्नवास-सह-कल्याण कोष में जमा किया जाता है।

बाल श्रमिकों की पुर्नवास प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए CLTS (Child Labour Tracking System) नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, साथ ही प्रत्येक विमुक्त कराये गये बाल श्रमिक को मुख्यमंत्री राहत कोष से रु. ₹25000/- प्रति विमुक्त बाल श्रमिक राशि उपलब्ध कराने की कार्रवाई भी की जा रही है।

विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक/व्यावसायिक पुर्नवास हेतु विशेष आवासीय केन्द्रों का संचालन

(क) राज्य में विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पुर्नवास हेतु विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन निविदा के माध्यम से चयनित गैर-सरकारी संगठनों से किये जाने का निर्णय लिया गया है। गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्र खोलने की तिथि से प्रथम तीन वर्षों के लिए केन्द्र संचालन की अनुमति दी गई है।

(ख) विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों में बाल श्रम से विमुक्त 6 से 14 साल के बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रखा जायेगा। इन बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही इन केन्द्रों में रखा जाना है। यह केन्द्र आवासीय है एवं विमुक्त बाल श्रमिकों को उनकी शैक्षणिक स्थिति के अनुसार ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराकर उनको मुख्यधारा के विद्यालयों से जोड़ने का

कार्य संबंधित केन्द्र द्वारा किया जाना है। साथ ही अगर विमुक्त बाल श्रमिक व्यावसायिक शिक्षा में रुचि रखता हो तो ऐसे बाल श्रमिक को 15 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा। इन केन्द्रों में विमुक्त बाल श्रमिकों के सभी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। विमुक्त बाल श्रमिकों के स्वस्थ एवं सुरक्षित बचपन के साथ उनका सर्वांगीण विकास ही इन केन्द्रों का प्रमुख लक्ष्य है।

(ग) राज्य में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु गया, नवादा, नालंदा, पटना, बांका, सीतामढ़ी एवं जमुई को पायलट जिले के रूप में चयनित कर सम्प्रति पटना, गया, जमुई एवं बांका जिले में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

केन्द्रीय पोस्ट-मैट्रिक योजनान्तर्गत बिहार का कोटा निर्धारित है, जबकि कुल योग्य आवेदनों की संख्या निर्धारित कोटे से ज्यादा होती है। इस प्रकार बड़ी संख्या में योग्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह जाते हैं। वंचित छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2017-18 से प्रारंभ की गई है।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक प्रथम श्रेणी एवं बिहार मदरसा बोर्ड से फोकानियाँ परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं एवं बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा में एक विषय के रूप में बंगाली भाषा रख कर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है।

केन्द्रीय छात्रवृत्ति स्कीम (प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति)

केन्द्र प्रायोजित प्री- मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में आर्थिक सहयोग करना है। भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे लाभार्थियों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन में होने वाले प्रशासनिक व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, अपितु प्रशासनिक व्यय का वहन बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र एवं गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के अंतर्गत विभाग द्वारा कुल 56447 वार्डों में “हर घर नल का जल” योजना के तहत पाईप जलापूर्ति योजना का निर्माण करते हुए गृह जल संयोजन का कार्य किया जाना है। इन सभी पेयजलापूर्ति योजनाओं में बाल कल्याण के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 15 प्रतिशत अनुमानित है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा 85 आवासीय विद्यालय संचालित है। आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत एवं आवासित छात्र/छात्राओं की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए विविधतापूर्ण पौष्टिक भोजन का मीनू (Menu) प्रस्तावित है। सभी आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी0सी0टी0वी0 कैमरे, शुद्ध पेय-जल उपलब्ध कराने हेतु RO Water Purifier, कौशल विकास हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से रसोईया, साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

बच्चों की शिक्षा एवं विकास

छात्रवृत्ति योजना

वर्ग 1 से 10 तक विद्यालय में पढ़ने वाले अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं तथा मुसहर/भुईयों के बच्चों को उच्च दर पर छात्रवृत्ति देने का योजना है। अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों को भी छात्रवृत्ति दिया जाता है। छात्रवृत्ति का वितरण शिक्षा विभाग के माध्यम से 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर किया जाता है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना के तहत ₹10,000/- (दस हजार रुपये) एवं ₹8,000/- (आठ हजार रुपये) प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है।

उसी प्रकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को क्रमशः ₹15,000/- एवं ₹10,000/- प्रोत्साहन राशि दिया जाता है।

आवासीय विद्यालय संधारण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 87 आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु विस्तृत संचालन अनुदेश निर्गत किए गए हैं (विभागीय पत्रांक-4681 दिनांक-15.07.2016) जिसमें पठन-पाठन, दिनचर्या, वार्षिकोत्सव, वाद-विवाद प्रतियोगिता के साथ-साथ विद्यालय अनुशासन संबंधी अनुदेश भी निर्गत किए गए हैं।

छात्रावास संधारण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 113 छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को उपस्कर,

रसोइया-सह-सेवक की सेवाएँ, रोशनी, बर्तन इत्यादि सुविधाएं सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रत्येक छात्रावास में एक छात्रावास अधीक्षक भी होते हैं, जिन्हें सरकार द्वारा मानदेय के रूप में अधीक्षक भत्ता दिया जाता है और जिन पर छात्रावास के संचालन का उत्तरदायित्व रहता है। संचालित छात्रावासों में छात्रों के उपयोग हेतु तौलिया, बेडसीट, कम्बल, तकिया, कौट, मच्छरदानी, मेट्रेस, स्टडी टेबल, खाना खाने एवं बनाने का बर्तन आदि की आपूर्ति की जाती है।

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने की स्वीकृति दी गई है।

खाद्यान्न आपूर्ति योजना

इस योजना के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को कुल 15 किलो (6 किलो गेहूँ एवं 9 किलो चावल) खाद्यान्न की आपूर्ति प्रति माह की जाती है।

परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु राशि दी जाती है।

समाज कल्याण विभाग

समेकित बाल विकास सेवा योजना

वर्ष 1975 से प्रारंभ हुई 'समेकित बाल विकास सेवा योजना' एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के बहुआयामी तथा पारस्परिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कारगर तथा कम लागत पर सेवाएँ दी जाती हैं।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समेकित रूप से निम्नलिखित छः सेवाओं द्वारा 0-6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है :-

- पूरक पोषण
- प्री-औपचारिक शिक्षा
- पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा
- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जांच और
- रेफरल सेवाएं

राज्य के सभी जिलों में जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं सभी प्रखंडों में 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय स्वीकृत एवं संचालित है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम

राज्य में कुल स्वीकृत 115009 आँगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी मान्य/कुपोषित/अतिकुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती/शिशुवती (धातृ) महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG/SABLA)

इस योजना के तहत 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ-साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। भारत सरकार से केन्द्रांश एवं राज्यांश में गैर-पोषण (60:40) एवं पोषण मद (50:50) का अनुपात निर्धारित है। इस योजना अन्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किशोरी बालिकाओं को पोषाहार, आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोली, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भित सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से प्रदान की जाती है।

आँगनवाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना

वित्तीय वर्ष 2018-19 से इस योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। राज्य में कुल स्वीकृत 544 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित सभी आँगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को ₹ 400/- प्रति बच्चे की वार्षिक दर से पोशाक हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है।

राष्ट्रीय पोषण अभियान (ISSNIP/NNM)

इस योजना द्वारा आई.सी.डी.एस. के माध्यम से बच्चों की प्री-स्कूल शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार, सामूहिक सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में किया जा रहा है।

योजना का मुख्य उद्देश्य

1. विभिन्न विभागों यथा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, पी0एच0ई0डी0 इत्यादि से समन्वयन स्थापित करते हुए 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों में बाधित विकास को 38 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक कम करना है।
2. बच्चों के कुपोषण दर में प्रति वर्ष 2 प्रतिशत तथा किशोरी एवं महिलाओं के एनीमिया दर में प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य है।
3. आई.सी.डी.एस. सेवाओं की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु एक सशक्त, सक्षम तथा सुगम अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली राज्य के सभी 38 जिलों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। आई.सी.डी.एस.- केश के माध्यम से आँगनवाड़ी केन्द्रों पर होने वाली गतिविधियों का संधारण मोबाईल-ऐप के द्वारा किया जा रहा है। आँगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधि का अनुश्रवण एवं सभी स्तरों पर डैशबोर्ड के माध्यम से मूल्यांकन सुगमतापूर्वक किया जाता है।

- समुदाय में पोषण प्रति जागरूकता एवं व्यवहार में परिवर्तन कर स्वस्थ आदतों को अपनाये जाने हेतु क्रमिक रूप से 'सतत क्षमता विकास' पद्धति के माध्यम से क्रमिक क्षमता विकास प्रक्रिया (ILA) अंतर्गत Module-1 से 15 तक का क्रियान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में संचालित कर लिया गया है। इस गतिविधि से क्षेत्रीय स्तर पर आँगनबाड़ी सेविकाओं, आशा एवं ANM का क्षमतावर्द्धन किया गया है, जिसके कारण उनकी कार्य कुशलता में बढ़ोतरी हुई है।
- समुदाय आधारित गतिविधि अन्तर्गत बच्चों में होने वाले कुपोषण दर में कमी लाने के लिए प्रत्येक माह की 19वी. तिथि को "अन्नप्रासन" एवं मातृपोषण व उनसे होने वाले शिशु के बेहतर पोषण के लिए प्रत्येक माह की 7वी. तारीख को "गोदभराई" दिवस का आयोजन किया जाता है।

नवाचार/अभिनव प्रयोग

अग्रगामी परियोजना के रूप में राज्य में 11 अभिश्रव प्रयोग किया जा रहे हैं, जिसमें पोषण अभियान के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अतिकुपोषित बच्चों का समुदाय स्तर पर प्रबंधन, पोषण वाटिका के द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषित खाद्य सामग्री की उपलब्धता एवं लाभार्थियों तक पहुँच, समुदाय रेडियो के माध्यम से जन-सामान्य तक पोषण के संदेशों को पहुँचाना तथा बच्चों में ऊपरी आहार को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य सामग्री पर जागरूकता जैसे विषयों के माध्यम से अभिनव प्रयोग किये जा रहे हैं। यह अभिनव प्रयोग राज्य के 10 जिलों में क्रियान्वित है।

प्रोत्साहन

पोषण अभियान के तहत आँगनबाड़ी केन्द्र पर, सेविकाओं को 60% से अधिक लक्षित गृह भ्रमण, 60% लक्षित समूह के बच्चों का वजन लेने पर प्रतिमाह ₹500/- (पाँच सौ रुपये) सेविकाओं को प्रोत्साहन राशि तथा सहायिकाओं को न्यूनतम 21 दिन आँगनबाड़ी केन्द्र जाने पर ₹250/- (दो सौ पचास रुपये) प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

ICDS - CAS

पोषण अभियान के तहत राज्य में संचालित सभी गतिविधियों के प्रतिवेदन का संधारण आँगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा मोबाईल एप के माध्यम से शत-प्रतिशत किया जाता है। राज्य के सभी 38 जिलों में ICDS-CAS संचालित किया जा रहा है।

क्रमिक क्षमता विकास प्रक्रिया (ILA)

सतत सीख प्रणाली के तहत क्रमिक क्षमता विकास (ILA) प्रशिक्षण 21 मॉड्यूल के माध्यम से सभी स्तर पर (राज्य, जिला, परियोजना, सेक्टर एवं आँगनबाड़ी केन्द्र स्तर तक) क्षमता संवर्द्धन किया जाता है। स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित 21 मॉड्यूलों के सुगमतापूर्वक उन्मुखीकरण के लिए डिजिटल किया गया है। राज्य के सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं आँगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन में एप के माध्यम (e-ILA) से प्रशिक्षित किया जा रहा है।

समुदाय आधारित गतिविधि (CBE)

समुदाय आधारित गतिविधि अन्तर्गत प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र में प्रतिमाह 19 तारीख को

अन्नप्रासन एवं 7वीं. तारीख को गोदभराई गतिविधि का संचालन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत गर्भवती एवं धातृ माताओं को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित परामर्श प्रदान किया जाता है, ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण आई.सी.डी.एस. तथा मनरेगा योजना के अभिसरण से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के निदेशानुसार सभी संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर शौचालय एवं पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है।

राष्ट्रीय क्रेच स्कीम (NCS)

भारत सरकार के निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 से इस नई योजना का संचालन आई.सी.डी.एस. निदेशालय अन्तर्गत किया जाता है। क्रेच एक सुविधा है, जहाँ काम-काजी महिलाएँ माह में न्यूनतम 15 दिन अपने 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को रख कर अपने कार्य हेतु जा सकती है। क्रेच में बच्चों की देखभाल, सम्पूर्ण विकास के साथ-साथ पोषण एवं स्वास्थ्य सुधार की सुविधा दी जाती है।

आँगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना

राज्य के बाल विकास परियोजनाओं अन्तर्गत कार्यरत सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर प्री-स्कूल शिक्षा प्राप्त कर रहे 03 से 06 वर्ष आयु के प्रत्येक बच्चों को ₹400/- की दर से पोशाक उपलब्ध करायी जाती है।

समेकित बाल संरक्षण योजना

बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के लिए राज्य में समेकित बाल संरक्षण का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति के संचालन पर होने वाले व्यय में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 35 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अवयवों में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है तथा गैर सरकारी संस्थाओं का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है। समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत संचालित होने वाले महत्वपूर्ण घटकों एवं कार्यक्रमों की विवरणी निम्नवत् है :-

- **राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS)** - समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत इकाई राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जाता है।
- **राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA)** - इसका मुख्य उद्देश्य अनाथ, परिष्कृत एवं अभ्यर्पित बच्चे जो अपने माता-पिता/वैधिक अभिभावक से पूर्णतः अलग हो चुके हों, को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनः परिवार में एकीकृत कराना है। यह दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समन्वय स्थापित करती है तथा राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थानों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करती है।
- **जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU)** - जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं कार्यरत इकाईयों के

अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु बाल संरक्षण इकाई कार्यरत है एवं इसके नोडल पदाधिकारी सहायक निदेशक, बाल संरक्षण हैं, जिनकी स्थायी नियुक्ति की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 2 बाल संरक्षण पदाधिकारी, परामर्शी की नियुक्ति की गयी है।

- **बाल गृह (Children's Home)** - बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा-50 के आलोक में 06 से 18 वर्ष आयु समूह के निराश्रित परित्यक्त परिवार विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (पारिवारिक पुनर्मिलन, दत्तकग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए सरकार द्वारा पटना में दो (बाल गृह, अपना घर एवं बालिका गृह, निशांत) एवं बेगूसराय जिले में एक (बाल गृह, बसेरा) अर्थात् कुल तीन बाल गृहों का संचालन पूर्व से किया जा रहा है। शेष बाल गृह स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं।
- **पर्यवेक्षण गृह (Observation Home)** - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-50 के आलोक में वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 38 पर्यवेक्षण गृहों (जो विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के मामले की सुनवाई तक आवासित करने के लिए) के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। वर्तमान में बिहार के 14 जिलों यथा- पटना, भोजपुर, गया, जमुई, नालंदा, मधेपुरा, छपरा, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, अररिया एवं पूर्वी चम्पारण में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों हेतु पर्यवेक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है।
- **विशेष गृह (Special home)** - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-48 के आलोक में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के दोष सिद्ध होने पर उन्हें विशेष गृह में रखे जाने का प्रावधान है। एक विशेष गृह पटना में संचालित है।
- **सुरक्षित संस्थान (Place of Safety)** - किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-49 के आलोक में 18 वर्ष से ऊपर के विधि विवादित बच्चे एवं 16-18 वर्ष के जघन्य अपराध करने वाले बच्चों को सुरक्षित संस्थान में रखे जाने का प्रावधान है।
- **खुला आश्रय (Open Shelter)** - शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों विशेषतया भिखारियों, आवारा तथा कामकाजी बच्चों, कुड़ा बीनने वाले बच्चों, छोटे विक्रेताओं, घूम-घूमकर तमाशा दिखाने वाले बच्चों, अनाथ बच्चों, परित्यक्त बच्चों, भागे हुए बच्चों तथा किसी अन्य संवेदी समूह के बच्चों को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य में प्रमंडल स्तर पर 9 खुला आश्रयों का संचालन समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।
- **विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (Specialized Adoption Agency)** - दत्तकग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं बच्चों के आवासन हेतु राज्य के 24 जिलों में कुल 25 विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान का संचालन समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत किया जा रहा है। विशिष्ट दत्तक संस्थान में आवासित बच्चों एवं दत्तकग्रहण करने वाले माता-पिता से संबंधित आँकड़ों का संधारण CARINGS प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
- **पालना केन्द्र शिशु स्वागत केन्द्र** - गैर कानूनी दत्तक ग्रहण को रोकने एवं कानूनी दत्तक ग्रहण को

बढ़ावा देने तथा बच्चों के सुरक्षित परित्याग सुनिश्चित करने हेतु सभी जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नर्सिंग होम/अन्य संस्थानों में 10-15 पालना लगाये गए हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अनचाहे नवजात शिशुओं को सड़क किनारे/डस्टबीन/रेलवे लाईन/खेत/झाड़ी/सार्वजनिक स्थानों पर फेंक दिया जाता है तथा ये बच्चे किसी जानवर का शिकार हो जाते हैं अथवा ज्यादा देरी होने के कारण शिशु की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। अब अनचाहे बच्चों को पालना केन्द्र में छोड़ा जा सकता है। इन पालना केंद्रों को नजदीकी विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान से जोड़ा गया है। इस माध्यम से पिछले 2 वर्षों में 12 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है।

- **विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit)** - सभी 44 पुलिस जिले में SJPU का गठन किया जा चुका है। बाल कल्याण समिति (CWC), किशोर न्याय परिषद (JJB), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) एवं सरकार द्वारा संचालित गृहों में रिक्त पदों पर नियोजन की जा रहा है।
- **किशोर न्याय सचिवालय/बाल मित्र विशेष न्यायालय** - उच्च न्यायालय, पटना में किशोर न्याय सचिवालय की स्थापना की गई है। पटना सिविल कोर्ट में बिहार के पहले विशेष न्यायालय/बाल मित्र विशेष न्यायालय का उद्घाटन किया जा चुका है। साथ ही बिहार के अन्य सभी जिलों में विशेष न्यायालय/बाल मित्र न्यायालय की स्थापना की गई है।

परवरिश

परवरिश राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत लक्षित 0-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को समाज में बेहतर पालन-पोषण एवं उनकी गैर सांस्थानिक देख-रेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता के रूप में ₹1000/- प्रतिमाह की दर से डी0बी0टी0 के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना की पात्रता निम्नवत है :-

(क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हों, जिनकी वार्षिक आय ₹60,000/- से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।

(ख) एच.आई.वी. (Positive) Visible Deformities Grade-ii अथवा कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोगों से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

(ग) इसके अतिरिक्त इस योजना की पात्रता में संशोधन करते हुए-वैसे बच्चे अनाथ एवं बेसहारा बच्चे माने जायेंगे, जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश के कारण वे अपने बच्चे की परवरिश करने में असमर्थ हो गए हों परन्तु, ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बाल अधिकार, विशेषतया पारिवारिक संरक्षण से वंचित यथा निराश्रित, उपेक्षित, अनैतिक पणन के शिकार, शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को अधिसूचित किया गया है। राज्य

सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 17(2) के आलोक में विभागीय संकल्प सं0- 2028 दिनांक- 23. 12.2008 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। बिहार राज्य में 2010 से बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यरत है, जिसने बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण तथा उनके अधिकारों के हनन के मामले में अपने कर्तव्य एवं दायित्वों को पूर्ण संवेदनशीलता एवं विविधसम्मत रूप से निर्वहन किया है। बाल अधिकार के हनन के मामले में पारदर्शी जाँच, अनुशंसा एवं त्वरित न्याय के लिए जो भी शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं, उसका उपयोग करते हुए इसने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार की कन्या को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार अथवा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000/- (साठ हजार) रुपये तक वार्षिक हो, की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/- (पाँच हजार) रुपये का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जाता है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के संरक्षण-स्वास्थ्य-शिक्षा-स्वावलंबन के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, कन्याओं के जन्म, निबंधन एवं सम्पूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि लाना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल-विवाह पर अंकुश लगाना तथा कुल प्रजनन दर में कमी लाना है। यह योजना बालिकाओं को शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने, सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का अवसर प्रदान करने तथा परिवार एवं समाज में उनके आर्थिक योगदान को बढ़ाने में भी सहायक होगी। यह योजना राज्य की सभी कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक होने तक के लिए है। इस योजना का लाभ परिवार की दो कन्या संतानों तक सीमित रहेगा।

समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या-2434 दिनांक-25.04.2018 के अनुसार इस योजना के तहत कन्या शिशु के जन्म पर शिशु के माता/पिता/अभिभावक के बैंक खाता में ₹2000/- (दो हजार) दी जायेगी तथा कन्या शिशु के 01 वर्ष पूरे होने पर तथा आधार पंजीकरण किये जाने के बाद ₹1000/- (एक हजार) उक्त खाते में पुनः देय होगा। यह लाभ दो कन्या शिशु तक ही देय होगा।

खेल विभाग

खेल सम्मान समारोह

अन्तर्राष्ट्रीय आधिकारिक खेल प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व अथवा पदक प्राप्त करने वाले एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने वाले सामान्य एवं दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित खेल सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 400 खिलाड़ियों एवं 11 प्रशिक्षकों को क्रमशः पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है।

गैर आवासीय प्रशिक्षण योजना

राज्य के आउटडोर स्टेडियम में सभी जिला मुख्यालयों में इण्डोर स्टेडियमों में स्थानीय महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों के लिए “गैर आवासीय प्रशिक्षण” योजना का संचालन बड़े पैमाने पर करने का लक्ष्य है। मार्च, 2024 तक प्रथम चरण में 50 केन्द्रों की स्थापना किया जाना है।

एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत प्रतिभाओं (बालक/बालिका) का चयन कर उन्हें वैज्ञानिक, योजनाबद्ध प्रशिक्षण, पौष्टिक आहार एवं अत्याधुनिक खेल उपकरणों की सुविधा प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारने का कार्य किया जाता है।

वर्तमान में राज्य में 49 प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत एवं 39 केन्द्र संचालित है।

खिलाड़ी कल्याण कोष

राज्य के युवा एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि के आधार पर खिलाड़ी कल्याण कोष योजना के तहत खेल किट्स, चिकित्सा एवं एन.आई.एस. कोर्स के लिए सहायक अनुदान प्रदान की जाती है।

मल्टी जिम, ओपेन जिम एवं खेल उपकरण

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत मल्टी जिम, ओपेन जिम उपकरण एवं खेल उपकरणों का अधिष्ठापन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत प्रखण्ड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण

मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत राज्य में खेल का वातावरण तैयार करने हेतु खेल अवसंरचना विकसित करने के क्रम में विभिन्न जिलों के अधीन प्रखण्ड स्तर पर स्टेडियम निर्माण हेतु वर्ष 2008-09 से अब तक 370 स्टेडियम निर्माण की स्वीकृत दी गई है, जिसमें 222 स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष प्रक्रियाधीन है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स एकेडमी एवं क्रिकेट स्टेडियम निर्माण

राजगीर में राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी-सह-अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

मोईनुलहक स्टेडियम, पटना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 10.02.2023 को खेल विभाग द्वारा अनापत्ति इस आशय के साथ दिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा इसके पुनर्निर्माण के संबंध में खेल विभाग से इसके खेल अवसंरचना एवं वास्तु निर्माण के संबंध में परामर्श लिया जायेगा। मोईनुलहक स्टेडियम परिसर में निर्माण होने वाली सभी खेल अवसंरचनाएं अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हो। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात स्टेडियम को खेल विभाग को हस्तांतरित किया जायेगा। निर्माणोपरान्त इस स्टेडियम का खेल प्रबंधन, नियंत्रण खेल विभाग, बिहार के द्वारा किया जायेगा।

व्यायामशाला-सह-खेल भवन के निर्माण

जिलों में प्रतिस्पर्धात्मक इण्डोर खेलों में प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करने एवं शारीरिक सौरभ्यता

के लिए अत्याधुनिक मल्टी जिम उपकरण एवं इण्डोर खेलों के आधुनिक खेल उपकरण यथा कुश्ती मैट/ताईक्वाण्डो मैट आदि उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण देने की योजना है। खेल भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब तक 29 जिलों में व्यायामशाला-सह-खेल भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है।

खेल संघों को सहायक अनुदान

आधिकारिक राज्य/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन/सहभागिता हेतु राज्य खेल संघों को अनुदान राशि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

खेलो इण्डिया योजना

- आधुनिक खेल अवसंरचनाओं का विकास

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की खेलो इण्डिया योजना के अंतर्गत राज्यों में आधुनिक खेल अवसंरचनाओं यथा-सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, हॉकी एस्ट्रोर्टर्फ, बहुदेशीय इण्डोर हॉल, तरणताल, फुटबॉल मैदान आदि का निर्माण होना है। अबतक 10 खेल अवसंरचना निर्माण योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जा चुकी है।

- एक्रेडेशन सेन्टर

राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी की सहायता हेतु खेलो इण्डिया योजना के तहत हर राज्य में एक्रेडेशन सेन्टर की स्थापना की जानी है। एक्रेडेशन सेन्टर में खेलो इण्डिया एथलीट को प्रशिक्षण, उपकरण, स्पोर्ट्स साईस सपोर्ट एथलीट के प्रगति हेतु अधिकतम 08 वर्ष तक उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा अल्फा स्पोर्ट्स एकेडमी, पटना का प्रस्ताव एक्रेडेशन सेन्टर की स्थापना हेतु भारत सरकार को भेजा गया है।

- स्टेट लेवल खेलो इण्डिया सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना में एथलेटिक्स, कुश्ती एवं भारोत्तोलन खेल-विधा हेतु Khelo India State Centre of Excellence के रूप में चयन किया गया है। पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना में Khelo India State Centre of Excellence के अन्तर्गत Viability Gap Funding तैयार कर विहित प्रपत्र में भारत सरकार को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति प्राप्त है।

- स्मॉल लेवल सेन्टर

खेलो इण्डिया सेन्टर (स्मॉल लेवल) के अन्तर्गत प्रत्येक जिला में एक सेन्टर का निर्माण किया जाना है, जिसका उद्देश्य इच्छुक बच्चों को खेल-कूद का प्रशिक्षण प्रदान करना, Past Champion Athlete को सरकार के बाहर आजीविका का स्थाई स्रोत प्रदान करना है। स्मॉल लेवल सेन्टर की स्थापना सभी जिलों में किया जाना प्रस्तावित है। अब तक कुल 38 जिलों में सेन्टर की स्वीकृति दी जा चुकी है।

वार्षिक खेल कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन

राज्य में वार्षिक खेल कार्यक्रम तैयार कर विद्यालय खेलों का तीन आयु वर्गों में, 32 खेलों का जिला एवं राज्य स्तर पर, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है। जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किये जाने का लक्ष्य है।

बाल-कल्याण बजट 2024-25 : विभागवार विवरणी

(राशि लाख रुपये में)					
माँग सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6
8	कला, संस्कृति एवं युवा	748.67	2000.00	2000.00	0.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	151903.85	158319.29	181465.06	164467.08
16	पंचायती राज	348151.41	405608.38	615732.99	430086.60
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	386.15	772.65	772.65	2077.00
20	स्वास्थ्य	32521.21	46173.03	64797.89	53862.84
21	शिक्षा	3704618.91	3455721.38	4897632.03	4336470.29
22	गृह	60.38	149.28	161.00	56.66
26	श्रम संसाधन	59.282	50.00	250.00	330.01
30	अल्पसंख्यक कल्याण	8300.48	15100.00	15100.00	16475.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	24511.98	29214.75	36714.12	21714.75
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	126282.70	136128.84	136028.84	129944.39
51	समाज कल्याण	387215.01	357192.49	458537.38	317694.16
52	खेल	0.00	0.00	0.00	14276.53
योग		4784760.02	4606630.09	6409191.95	5487455.31

बाल-कल्याण बजट 2024-25 : विभागवार विवरणी

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय					
(राशि लाख रुपये में)					
माँग सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6
8	कला, संस्कृति एवं युवा	291.76	500.00	500.00	0.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	2689.57	6443.24	7149.21	7061.57
16	पंचायती राज	342952.50	378968.39	589092.99	415416.60
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	61.50	70.00	70.00	77.00
21	शिक्षा	1089923.90	1300234.38	1652147.93	2291201.29
22	गृह	0.00	100.62	100.62	0.00
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	18306.04	21218.84	21218.84	23634.57
51	समाज कल्याण	521.71	623.64	623.64	710.18
52	खेल	0.00	0.00	0.00	776.53
	योग	1454747.00	1708159.11	2270903.23	2738877.74

बाल-कल्याण बजट 2024-25 : विभागवार विवरणी

राज्य स्कीम					
(राशि लाख रुपये में)					
माँग सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6
8	कला, संस्कृति एवं युवा	456.91	1500.00	1500.00	0.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	142883.28	140651.75	159805.75	146293.00
16	पंचायती राज	5198.91	26639.99	26640.00	14670.00
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	324.65	702.65	702.65	2000.00
20	स्वास्थ्य	6956.00	500.00	1825.00	2500.00
21	शिक्षा	423855.34	204197.00	471743.00	278483.00
26	श्रम संसाधन	59.28	250.00	250.00	330.01
30	अल्पसंख्यक कल्याण	8290.84	15000.00	15000.00	16375.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	24511.98	29214.75	36714.12	21714.75
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	20056.23	21214.80	26464.17	18017.55
51	समाज कल्याण	30331.23	24651.15	32632.75	15656.04
52	खेल	0.00	0.00	0.00	13500.00
	योग	732691.38	540697.34	841953.32	612018.42

बाल-कल्याण बजट 2024-25 : विभागवार विवरणी
केन्द्र प्रायोजित स्कीम

(राशि लाख रुपये में)					
मॉंग सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	6331.00	11224.30	14510.10	11112.51
20	स्वास्थ्य	25565.21	45673.03	62972.89	51362.84
21	शिक्षा	2190839.65	1951290.00	2773741.10	1766786.00
30	अल्पसंख्यक कल्याण	9.64	100.00	100.00	100.00
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	4455.75	7999.95	10249.95	3697.20
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	13697.95	9520.00	9420.00	2116.00
51	समाज कल्याण	356362.07	331917.70	425280.99	301327.94
योग		2597261.27	2357724.98	3296275.03	2136502.49

बाल-कल्याण बजट 2024-25 : विभागवार विवरणी
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम

(राशि लाख रुपये में)					
मॉंग सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6
22	गृह	60.38	48.66	60.38	56.66
योग		60.38	48.66	60.38	56.66

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय						
1	08-2204001040001	विद्यालय खेलकूद	291.76	500.00	500.00	0.00
योग			291.76	500.00	500.00	0.00
राज्य स्कीम						
2	08-2204001040102	मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत खेल प्रतियोगिता	456.91	1500.00	1500.00	0.00
योग			456.91	1500.00	1500.00	0.00
महायोग			748.67	2000.00	2000.00	0.00

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

1	11-2225032770010	पिछड़ी जातियों के लिए 12 कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण	1602.46	6047.80	6065.80	5941.56
2	11-2225032770002	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों का संधारण	1062.11	370.44	1058.41	1095.01
3	11-2225032770001	परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	25.00	25.00	25.00	25.00
योग			2689.57	6443.24	7149.21	7061.57

राज्य स्कीम

4	11-2225031970101	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	10916.87	10400.00	10400.00	10400.00
5	11-2225031980101		19896.55	19900.00	19900.00	19900.00
6	11-2225032770101	छात्रवृत्ति वजीफा/प्रोत्साहन	102069.86	100300.00	110404.00	95718.00
7	11-4225032770101	जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण एवं जीर्णोद्धार	0.00	1.75	1.75	175.00
8	03-2059800530101	पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	0.00	50.00	100.00	100.00
9	03-4059800510118	पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	10000.00	10000.00	19000.00	20000.00
योग			142883.28	140651.75	159805.75	146293.00

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

केन्द्र प्रायोजित स्कीम

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
10	11-2225032770215	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	2949.80	5899.60	8000.00
11	11-2225032770214	प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	2750.00	3766.00	3766.00	0.01
12	11-2225032770314		3581.00	3885.00	3885.00	2489.00
13	11-2225032770212	अनाधिसूचित घुमंतु	0.00	10.50	10.50	10.50
14	11-2225032770312	एवं अर्द्धघुमंतु जनजातियों के विकास	0.00	4.00	4.00	4.00
15	11-4225032770202	अन्य पिछड़ा वर्ग	0.00	409.50	819.00	409.50
16	11-4225032770302	कल्याण छात्रावास का निर्माण	0.00	199.50	126.00	199.50
योग			6331.00	11224.30	14510.10	11112.51
महायोग			151903.85	158319.29	181465.06	164467.08

पंचायती राज विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

1	16-2515001960007	षष्ठम् राज्य वित्त आयोग	24906.58	24219.00	55736.71	27812.36
2	16-2515001970004		23924.77	24219.00	55736.71	27812.36
3	16-2515001980009		121153.58	113022.00	260104.64	129791.03
4	16-2515001960009	पंद्रहवा वित्त आयोग	15560.10	15730.20	15730.20	16661.70
5	16-2515001970006		15596.70	15730.20	15734.12	16661.70
6	16-2515001980016		72630.02	73407.60	73407.60	77754.60
7	16-2515001960003	पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	10373.40	10486.80	10486.80	11107.80
8	16-2515001970001		10397.80	10486.80	10489.41	11107.80
9	16-2515001980001		48409.55	48938.40	48938.40	51836.40
10	16-2515001960008	पंद्रहवा वित्त आयोग (स्वास्थ्य प्रक्षेत्र)	0.00	42728.39	42728.40	44870.85
योग			342952.50	378968.39	589092.99	415416.60

राज्य स्कीम

11	16-2515001980113	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं नली-गली पक्कीकरण योजना	3564.25	7559.99	7560.00	1106.10
12	16-2515007890112		1487.95	1440.00	1440.00	900.00
13	16-2515007960119		46.79	0.00	0.00	243.90
14	16-2515001980115	“स्वच्छ गाँव-समृद्ध गाँव” निश्चय योजना	91.40	11900.83	11900.83	5712.77
15	16-2515007890115		8.19	5739.17	5739.17	6373.33
16	16-2515007960120		0.33	0.00	0.00	333.90
योग			5198.91	26639.99	26640.00	14670.00
महायोग			348151.41	405608.38	615732.99	430086.60

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

1	19-2406011010001	उद्यान	61.50	70.00	70.00	77.00
योग			61.50	70.00	70.00	77.00

राज्य स्कीम

2	19-2406021120101	इको पर्यटन एवं पार्क का विकास	324.65	702.65	702.65	2000.00
योग			324.65	702.65	702.65	2000.00
महायोग			386.15	772.65	772.65	2077.00

स्वास्थ्य विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य स्कीम						
1	20-2211001030102	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत संपूर्ण टीकाकरण	6956.00	500.00	1825.00	2500.00
योग			6956.00	500.00	1825.00	2500.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम						
2	20-2210012000209 20-2210031100203 20-2210012000309 20-2210031100303	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	2649.60	3844.49	4637.23	5006.99
3		संस्थान आधारित नवजात शिशु	1225.15	1643.72	2561.25	3310.73
4		समुदाय आधारित नवजात शिशु देखभाल इकाई	5106.54	6829.91	7876.09	8794.98
5		राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	1063.47	1818.31	3365.36	3027.29
6		एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम	137.11	7569.52	7663.42	8216.28
7		पोषण पुनर्वास केन्द्र	352.92	870.51	870.51	916.50
8		शिशु देख-रेख इकाई	0.00	0.00	12954.90	0.00
9		नियमित टीकाकरण	11072.40	17737.81	17685.37	16731.31
10		पल्स पोलियो अभियान	3958.02	5358.76	5358.76	5358.76
योग			25565.21	45673.03	62972.89	51362.84
महायोग			32521.21	46173.03	64797.89	53862.84

शिक्षा विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विषय कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय						
1	21-2202011010001	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	402697.89	522923.47	609072.47	1147690.02
2	21-2202011020001	गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	3362.24	2850.00	2850.00	3362.00
3	21-2202011120002	मध्याह्न भोजन योजना	23.50	930.40	935.40	936.40
4	21-2202011910001	नगर निगम को सहायता	4393.05	6547.88	6567.88	7202.66
5	21-2202011920001	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	6171.58	9010.59	9030.59	10812.70
6	21-2202011930001	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य का सहायता	9543.57	12598.96	12613.96	15118.76
7	21-2202011970002	ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर के पंचायतों को सहायता	249393.89	282921.77	283121.77	297067.00
8	21-2202011980002	ग्राम पंचायतों को सहायता	3652.84	4597.78	4597.78	5057.54
9	21-2202011910002	शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को समेकित भुगतान	24.98	156.48	156.48	156.48
10	21-2202011920002		20.34	240.00	240.00	240.00
11	21-2202011930002		22.16	214.08	214.08	256.89
12	21-2202011970003		1125.66	7457.28	7457.28	8203.00
13	21-2202020530001	माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार	0.00	50.00	2384.00	10350.00
14	21-2202021090001	राजकीय माध्यमिक विद्यालय	80221.95	86732.61	130092.64	380782.01
15	21-2202021100002	सैनिक विद्यालय	592.92	1300.01	1300.01	1300.00

शिक्षा विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
16	21-2202021100003	माध्यमिक बहूद्देशीय अल्पसंख्यक विद्यालय	7612.17	10000.00	10000.00	11000.00
17	21-2202021100006	सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय	750.00	750.00	850.00	800.00
18	21-2202021100007	गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता	30239.44	34200.00	34200.00	34200.00
19	21-2202021910001	नगर निगम को सहायता	17943.22	16892.57	18612.57	20271.08
20	21-2202021920001	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	21261.12	18469.93	18489.93	22163.91
21	21-2202021930001	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य का सहायता	14785.02	14898.49	14913.49	17878.18
22	21-2202021960001	जिला परिषद माध्यमिक शिक्षक	172495.26	178262.69	178462.69	198000.01
23	21-2202021910004	विद्यालय सहायक/परिचारी को समेकित भुगतान	13.36	75.60	75.60	201.78
24	21-2202021920004		10.21	43.20	43.20	564.96
25	21-2202021930004		3.35	32.40	32.40	1293.60
26	21-2202021960004		118.37	129.60	129.60	6384.00
27	21-2202031030001	इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा)	3670.75	2926.78	2926.78	3457.03
28	21-2202051030002	राजकीय संस्कृत विद्यालय	185.58	378.01	378.01	378.01
29	21-2202051030003	गैर सरकारी संस्कृत विद्यालय	11124.88	20000.00	106993.00	20000.00
30	21-2202052000001	मदरसा इसलामियां समसूल होदा	105.76	212.26	212.26	205.29

शिक्षा विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
31	21-2202052000002	गैर सरकारी मदरसा	38543.27	50000.00	178093.00	50000.00
32	21-2202052000005	बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड	600.00	477.01	477.01	627.01
33	21-2202800030005	अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय	828.10	1043.90	1687.67	1065.50
34	21-2202800030006	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	5074.99	8760.91	9259.19	8876.41
35	21-2202800030007	प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	312.70	533.36	676.36	650.12
36	21-2202800030008	प्राथमिक शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान	2524.00	3030.98	4309.94	3730.20
37	21-2205001050001	सार्वजनिक पुस्तकालय	194.72	180.90	180.90	256.81
38	21-2205001050002	सिन्हा लाइब्रेरी	27.88	2.51	72.51	121.00
39	21-2205001050003	श्री कृष्ण सेवा सदन लाइब्रेरी	0.00	12.00	12.00	12.00
40	21-2205001050004	प्रमंडलीय पुस्तकालय	30.00	75.00	90.00	113.00
41	21-2205001050005	जिला केन्द्रीय पुस्तकालय	65.75	113.00	113.00	136.00
42	21-2205001050006	अनुमंडलीय पुस्तकालय	16.95	37.00	42.00	54.00
43	21-2205001050007	विशिष्ट पुस्तकालय	24.00	40.00	40.00	40.01
44	21-2205001050009	खुदाबक्श खॉं ओरियंटल लाइब्रेरी	14.00	12.01	12.01	20.01
45	21-2205001050010	श्री शारदा सदन पुस्तकालय	0.00	0.01	0.01	20.00
46	21-2205001050011	राजा राम मोहन राय पुस्तकालय	49.49	40.00	40.00	40.00
47	21-2205001050012	राजकीय उर्दू पुस्तकालय	53.01	72.95	88.46	105.91
योग			1089923.92	1300234.38	1652147.93	2291201.29

शिक्षा विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7

राज्य स्कीम

48	21-2202010010107	किलकारी	1192.94	1500.00	1500.00	0.00
49	21-2202011020102	शिक्षा का अधिकार	7192.91	10000.00	20000.00	2300.00
50	21-2202011090101	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (सामान्य कोटि)	3453.98	4050.00	4050.00	850.00
51	21-2202017890102	मुख्यमंत्री पोशाक योजना (अनुसूचित जाति)	695.15	950.00	950.00	150.00
52	21-2202011090102	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	6970.52	5000.00	8600.00	1500.00
53	21-2202011090103	मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण	58.20	2000.00	2000.00	0.00
54	21-2202021070105	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (सामान्य कोटि)	16193.19	3500.00	10400.00	3500.00
55	21-2202027890101	मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना (अनुसूचित जाति)	3885.56	1500.00	3100.00	1500.00
56	21-2202021070106	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	16293.35	3500.00	10000.00	3500.00
57	21-2202027890102	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना (अनुसूचित जाति)	4135.07	1500.00	4000.00	1500.00
58	21-2202021070107	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	20813.55	3500.00	12599.00	3500.00
59	21-2202031070104	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (इंटरमीडिएट)	4676.77	500.00	2500.00	500.00
60	21-2202027890104	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना (अनुसूचित जाति)	1859.54	1000.00	1801.00	1000.00
61	21-2202021070108	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	19713.61	5000.00	14800.00	5000.00

शिक्षा विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
62	21-2202031070110	मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट उर्तीण) प्रोत्साहन योजना	65000.00	20000.00	60000.00	20000.00
63	21-4202012020103	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	22804.62	17401.00	72764.00	46801.00
64	21-4202017890101		2340.00	3600.00	3600.00	3200.00
65	21-4202012020109		9650.00	10400.00	18400.00	20500.00
66	21-2202021090105	आई० सी० टी० परियोजना	0.00	1.00	1001.00	2500.00
67	21-2204001010103	मध्य विद्यालय की बालिकाओं को कराटे	0.00	1.00	1.00	0.00
68	21-2204001040108	बिहार सवजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग	0.00	1001.00	1000.00	0.00
69	21-2202020040102	हुनर	1000.00	500.00	500.00	0.00
70	21-2202020520103	उन्नयन कार्यक्रम	2000.00	100.00	3100.00	2181.00
71	21-2202031070108	मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट उतीर्ण) प्रोत्साहन योजना	2130.30	0.00	0.00	0.00
72	21-2202021070110		130269.50	40000.00	103000.00	40000.00
73	21-2202011090105	प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्तियाँ	17927.38	15000.00	15000.00	1000.00
74	21-2202021090109	किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना	8792.10	2500.00	8046.00	2500.00
75	21-2202021090110	मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	608.40	1200.00	1992.00	0.00
76	21-2202011120104	मध्याह्न भोजन योजना	36319.46	30000.00	48500.00	30000.00
77	21-2202021030101	बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	1857.00	500.00	500.00	0.00
78	21-4202012010105	प्रारंभिक विद्यालय भवन निर्माण	9708.01	15002.00	28211.00	70001.00

शिक्षा विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
79	21-4202012020112	शिक्षा भवन निर्माण	800.00	1400.00	2300.00	2000.00
80	21-4202012020113	समुलतल्ला आवासीय विद्यालय	5014.24	690.00	5927.00	2500.00
81	21-4202012020114	मॉडल स्कूल	0.00	1.00	1.00	10000.00
82	21-2202010010105	शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	499.99	1000.00	1000.00	500.00
83	21-4202012010106	जल-जीवन-हरियाली	0.00	100.00	100.00	0.00
84	21-4202012020115		0.00	300.00	500.00	0.00
योग			423855.34	204197.00	471743.00	278483.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम						
85	21-2202011110201	समग्र शिक्षा अभियान	264477.88	685879.00	685879.00	705232.00
86	21-2202017890203	समग्र शिक्षा अभियान एस०सी०कम्पोनेंट	67664.86	184816.00	184816.00	184816.00
87	21-2202017960211	समग्र शिक्षा अभियान एस०टी०कम्पोनेंट	3859.18	8743.00	8743.00	9390.00
88	21-2202011110301	समग्र शिक्षा अभियान	176319.73	223338.00	265699.00	118566.00
89	21-2202017890308	समग्र शिक्षा अभियान एस०सी०कम्पोनेंट	45109.90	67388.00	67388.00	87284.00
90	21-2202017960309	समग्र शिक्षा अभियान एस०टी०कम्पोनेंट	2909.18	9650.00	9650.00	9650.00
91	21-2202011110302	समग्र शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	1443160.65	355105.00	1112744.00	265000.00
92	21-2202011120203	मध्याह्न भोजन योजना	75024.96	200200.00	200200.00	197010.00
93	21-2202017890209	मध्याह्न भोजन योजना एस०सी०कम्पोनेंट	15096.47	45000.00	45000.00	47920.00
94	21-2202017960210	मध्याह्न भोजन योजना एस०टी०कम्पोनेंट	1398.10	4800.00	4800.00	5070.00

शिक्षा विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
95	21-2202011120303	मध्याह्न भोजन योजना	45160.53	68299.00	68299.00	42120.00
96	21-2202017890306	मध्याह्न भोजन योजना एस०सी०कम्पोनेंट	7992.96	14658.00	14658.00	15280.00
97	21-2202017960310	मध्याह्न भोजन योजना एस०टी०कम्पोनेंट	1332.16	2443.00	2443.00	2000.00
98	21-2202021090207	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	15920.77	56668.00	56668.00	57341.00
99	21-2202027890207	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एस०सी०कम्पोनेंट	3980.20	8745.00	8745.00	9639.00
100	21-2202027960209	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	1458.00	1458.00	1693.00
101	21-2202021090307	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	10613.85	7965.00	30106.00	4984.00
102	21-2202027890307	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एस०सी०कम्पोनेंट	2653.47	1818.00	1818.00	1817.00
103	21-2202027960309	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	718.00	718.00	717.00
104	21-2202021090312	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति	8104.67	1.00	1.00	0.00
105	21-2202042000203	अध्यापक शिक्षा संस्थान	31.37	300.00	300.00	1061.00
106	21-2202047890203	अध्यापक शिक्षा संस्थान एस०सी०कम्पोनेंट	7.85	35.00	35.00	0.00
107	21-2202047960204	अध्यापक शिक्षा संस्थान एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	20.00	20.00	0.00
108	21-2202042000303	अध्यापक शिक्षा संस्थान	20.91	183.00	343.00	196.00
109	21-2202047890301	अध्यापक शिक्षा संस्थान एस०सी०कम्पोनेंट	0.00	60.00	60.00	0.00
110	21-2202047960301	अध्यापक शिक्षा संस्थान एस०टी०कम्पोनेंट	0.00	40.00	40.00	0.00

शिक्षा विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
111	21-2202042000205	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन साक्षर भारत	0.00	1761.00	1882.66	0.00
112	21-2202042000305	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन साक्षर भारत	0.00	1199.00	1227.44	0.00
योग			2190839.65	1951290.00	2773741.10	1766786.00
महायोग			3704618.91	3455721.38	4897632.03	4336470.29

गृह विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय						
1	22-2056001010001	महिला बंदियों के साथ रहने वाले बालकों/बालिकाओं का देखरेख	0.00	39.54	39.54	0.00
2	22-2056001010002		0.00	52.10	52.10	0.00
3	22-2056001010003		0.00	8.98	8.98	0.00
योग			0.00	100.62	100.62	0.00
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम						
4	22-4055002100402	महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध साईबर क्राईम की रोकथाम (सी0सी0पी0डब्लू0सी0)	36.66	36.66	36.66	36.66
5	22-2055000030401		23.72	12.00	23.72	20.00
योग			60.38	48.66	60.38	56.66
महायोग			60.38	149.28	161.00	56.66

श्रम संसाधन विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य स्कीम						
1	26-2230011030103	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	36.03	79.00	79.00	144.01
2	26-2230017890104		9.07	17.00	17.00	24.00
3	26-2230017960102		0.11	4.00	4.00	12.00
4	26-2235012020107		14.07	150.00	150.00	150.00
5	26-2230011010106	बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग	38.93	250.00	250.00	366.18
योग			59.28	250.00	250.00	330.01

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य स्कीम						
1	30-2225042770101	राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	3000.00	3000.00	3000.00
2	30-2202021070109	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	8290.84	12000.00	12000.00	13375.00
योग			8290.84	15000.00	15000.00	16375.00
केन्द्र प्रायोजित स्कीम						
3	30-2202021070210	केन्द्रीय छात्रवृत्ति स्कीम (प्री- मैट्रिक एवं पोस्ट- मैट्रिक छात्रवृत्ति)	9.64	100.00	100.00	100.00
योग			9.64	100.00	100.00	100.00
महायोग			8300.48	15100.00	15100.00	16475.00

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
राज्य स्कीम						
1	36-4215021060104	शहरी क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	4.69	75.00	75.00	7.50
2	36-4059010510128	कार्यालय निर्माण	0.00	375.00	375.00	300.00
3	36-4215011020132	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	8088.29	8966.74	8966.74	4980.00
4	36-4215017890114		2465.75	2998.31	2998.31	1770.00
5	36-4215017960119		127.02	0.00	0.00	0.00
6	36-2215011020106	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	624.69	819.00	819.00	525.00
7	36-2215017890104		104.09	156.00	156.00	225.00
8	36-2215017960105		4.57	0.00	0.00	0.00
9	36-4215017960120	मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	13.61	0.00	0.00	0.00
10	36-4215011020133		1731.61	630.00	630.00	1207.20
11	36-4215017890115		328.50	120.00	120.00	592.80
12	36-2215020030102	बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन प्रशिक्षण सह शोध कार्य	0.00	15.00	15.00	1.50
13	36-4215011020125	जल गुणवत्ता निगरानी	12.44	150.00	150.00	15.00
14	36-4216010510103	आवासीय निर्माण	0.00	150.00	150.00	66.30
15	36-4215011020124	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति हेतु भौगोलिक अन्वेषण कार्य	0.00	2.25	2.25	2.25

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
16	36-4215011020101	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	3.15	7.50	6.87	75.00
17	36-4215011020103		256.43	630.00	630.00	500.70
18	36-4215017890111		53.00	120.00	120.00	249.30
19	36-4215017960107		5.49	0.00	0.00	0.00
20	36-4215011020134	ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण	0.00	75.00	75.00	75.00
21	36-2215011020107	ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रख-रखाव	6232.90	5925.00	11175.00	7425.00
योग			20056.23	21214.80	26464.17	18017.55

केन्द्र प्रायोजित स्कीम

22	36-4215011020230	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	1416.75	5040.00	5040.00	2520.00
23	36-4215011020330		2491.50	1679.96	2879.96	540.00
24	36-4215017890212		0.00	960.00	960.00	480.00
25	36-4215017890312		480.00	319.99	1369.99	157.20
26	36-4215017960217		37.50	0.00	0.00	0.00
27	36-4215017960317		30.00	0.00	0.00	0.00
योग			4455.75	7999.95	10249.95	3697.20
महायोग			24511.98	29214.75	36714.12	21714.75

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय						
1	44-2225011970001	मुशहर/भुईयां एवं अस्वच्छ कार्य में लगे लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति	0.00	10.00	10.00	0.00
2	44-2225011970002		0.00	10.00	10.00	10.00
3	44-2225011980001		0.00	50.00	50.00	50.00
4	44-2225012770007		78.42	0.00	0.00	100.00
5	44-2225012770011	परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	300.00	300.00	300.00	300.00
6	44-2225022770001		30.00	30.00	30.00	30.00
7	44-2225012770003	अनु० जाति आवासीय विद्यालय संधारण	13903.02	15905.60	15905.60	17919.45
8	44-2225012770002	अनु० जाति छात्रवास संधारण	1260.06	1546.72	1546.72	1638.18
9	44-2225022770004	अनु० जनजाति आवासीय विद्यालय संधारण	2648.40	3161.59	3161.59	3349.17
10	44-2225022770003	अनु० जनजाति छात्रवास संधारण	86.14	204.93	204.93	237.77
योग			18306.04	21218.84	21218.84	23634.57
राज्य स्कीम						
11	44-2225011970101	विद्यालय छात्रवृत्ति	5885.23	7105.00	7105.00	7105.00
12	44-2225011980101	विद्यालय छात्रवृत्ति	14430.00	17427.00	17427.00	17427.00
13	44-2225012770107	विद्यालय छात्रवृत्ति/ मेधावृत्ति योजना	29085.65	38668.00	38668.00	31768.00

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
14	44-2225021970101	विद्यालय छात्रवृत्ति	790.50	678.00	678.00	678.00
15	44-2225021980101	विद्यालय छात्रवृत्ति	2422.48	2073.00	2073.00	2073.00
16	44-2225022770101	विद्यालय छात्रवृत्ति/ मेधावृत्ति योजना	5585.16	4028.00	4028.00	3528.00
17	44-2225010010102	आवासीय विद्यालय संधारण	85.80	130.00	130.00	135.00
18	44-2225022770106	आवासीय विद्यालय संधारण	402.65	500.00	500.00	1500.00
19	44-2225012770101	आवासीय विद्यालयों एवं छात्रवासों में	1525.93	2031.00	2031.00	2250.00
20	44-2225022770101	उपस्कर की आपूर्ति	811.31	1250.00	1250.00	1890.00
21	03-4059017890101	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास	18690.00	30000.00	30000.00	34149.00
22	03-4059017960104	निर्माण एवं जीर्णोद्धार	14564.00	1500.00	1500.00	1690.82
योग			94278.71	105390.00	105390.00	104193.82
केन्द्र प्रायोजित स्कीम						
23	44-2225012770222	अनु० जाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	8177.38	6000.00	6000.00	1.00
24	44-2225012770324		5022.67	2205.00	2205.00	1000.00
25	44-2225022770214	अनु० जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति/मेरिट उन्नयन योजना	0.00	10.00	10.00	10.00
26	44-2225022770315		497.90	400.00	300.00	200.00
27	44-2225022770217	अनु० जनजाति प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	0.00	905.00	905.00	905.00
योग			13697.95	9520.00	9420.00	2116.00
महायोग			126282.70	136128.84	136028.84	129944.39

समाज कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय						
1	51-2235021060001	प्रतिप्रेक्षण गृह	418.60	475.51	475.51	535.95
2	51-2235021060008	बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद्	103.11	148.13	148.13	174.23
योग			521.71	623.64	623.64	710.18
राज्य स्कीम						
3	51-2235021030111	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	6700.70	10500.00	10500.00	10000.00
4	51-2235027890109	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना	5469.30	1500.00	1500.00	2000.00
5	51-2235021060107	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	185.04	387.73	387.73	391.72
6	51-2235021060106	बाल दोषी अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना (बाल संरक्षण इकाई)	1300.40	1450.00	1530.00	1650.28
7	51-2235021020116	परवरिश	800.00	1500.00	1500.00	1600.00
8	51-2235021020121	बाल सहायता योजना	0.00	15.00	15.00	14.00
9	51-4235021020109	ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन	0.00	0.02	0.02	0.02
10	51-2235021020117	ऑगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक	11865.97	4973.80	12875.40	0.01
11	51-2235027890103	योजना	4009.82	4324.60	4324.60	0.01
योग			30331.23	24651.15	32632.75	15656.04
केन्द्र प्रायोजित स्कीम						
12	51-2235021020223	समेकित बाल संरक्षण योजना	3454.24	5013.00	6715.00	5461.89
13	51-2235021020323		2999.98	3200.00	2434.75	2134.74

समाज कल्याण विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7
14	51-2235021020222	आई.सी.डी.एस.	77460.89	83303.06	88938.06	77856.69
15	51-2235021020322		59352.35	20936.22	54564.66	15742.02
16	51-2236021010203	पूरक पोषाहार	75487.13	98988.57	98988.57	63763.15
17	51-2236027890204		15204.17	40507.35	40507.35	63881.56
18	51-2236021010303		26195.23	0.01	30500.01	0.01
19	51-2236027890304		56270.38	49413.91	49413.91	30165.99
20	51-2236027960305		7559.92	9834.00	9834.00	9834.00
21	51-2235021020224		किशोरियो के लिए योजना	904.93	2257.00	2257.00
22	51-2235021020324	692.27		192.41	679.91	787.30
23	51-2235027890312	18.79		64.13	226.63	262.43
24	51-4235021020208	ऑंगनवाड़ी केन्द्र भवन	13585.60	0.02	360.00	6000.00
25	51-4235021020308		4999.88	0.02	240.00	0.01
26	51-2235021020225	राष्ट्रीय पोषाहार मिशन	9455.80	15290.00	23790.45	19893.63
27	51-2235021020325		2607.70	2893.24	15805.93	2370.97
28	51-2235021020226	राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	107.37	15.00	15.00	14.63
29	51-2235021020326		5.44	9.76	9.76	9.76
योग			356362.07	331917.70	425280.99	301327.94
महायोग			387215.01	357192.49	458537.38	317694.16

खेल विभाग
वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बाल कल्याण बजट

(राशि लाख रुपये में)						
क्र.सं.	विपत्र कोड	स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 (वास्तविकी)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (बजट प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2023-24 (पुनरीक्षित प्राक्कलन)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (बजट प्राक्कलन)
1	2	3	4	5	6	7

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

1	52-2204001010002	शारीरिक शिक्षा	0.00	0.00	0.00	318.45
2	52-2204001040011	खेल कूद	0.00	0.00	0.00	354.06
3	52-2204001040012	बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	60.00
4	52-2251000900031	खेल विभाग	0.00	0.00	0.00	44.02
योग			0.00	0.00	0.00	776.53

राज्य स्कीम

5	52-2204001040109	खेल कूद	0.00	0.00	0.00	5250.00
6	03-4059600510106	स्टेडियम एवं खेल संरचना	0.00	0.00	0.00	8250.00
योग			0.00	0.00	0.00	13500.00
महायोग			0.00	0.00	0.00	14276.53



Child Welfare Budget

2024-25

Comparative Indicators for Children in Bihar and India

S . No.	Indicators	India		Bihar	
		Male	Female	Male	Female
1	Population (Crore) (2011)	62.33	58.76	5.43	4.98
2	Population (Crore) (2011) (0-6 years)	8.58	7.88	0.98	0.92
3	Population (Crore) (2011) (0-18 years)	24.75	22.46	2.62	2.35
4	Sex Ratio (All Age Group) (2011)	1000	943	1000	918
5	Child Sex Ratio (0-6 years) (2011)	1000	919	1000	935
6	Child Sex Ratio (0-18 years) (2011)	1000	908	1000	897
7	Infant Mortality Rate (per 1000) (2020)	28	28	26	29
8	Literacy Rate (7-18 years)(2011)	89.7	86.8	81.7	75.7
9	Literacy Rate (2011)	80.9	64..6	71.2	51.5
10	Gross Enrolment Ratio (2021-22) (I-VIII)	99.3	101.1	95.1	97.4
11	Gross Enrolment Ratio (2021-22) (IX-X)	79.7	79.4	63.1	66.8
12	Gross Enrolment Ratio (2021-22) (XI-XII)	57	58.2	35.6	36.2
13	Dropout Rate in Primary Level (2021-22)	1.6	1.4	0.0	0.0
14	Dropout Rate in Upper Primary Level (2021-22)	2.7	3.3	4.0	5.2

Source: Census of India (S. No.1 to 9), Sample Registration System (SRS) (S.No.7), DISE (S.No.10 to 14)

Comparative Indicators for Children in Bihar and India

S . No.	Indicators	NFHS-5 (2019-21)			
		India		Bihar	
		Boy	Girl	Boy	Girl
1	Children under 5 years of age whose birth was registered with the civil authorities (%)	88.8	89.4	74.4	77.0
2	Children less than 3 years of age who started breastfeeding within one day of birth (%)	86.2	87.5	83.1	86.0
3	Percentage of children aged 12-23 months who received all basic vaccinations	76.9	76.0	73.2	68.5
4	Children aged 6-59 months in Households using iodized salts	94.0	94.0	93.4	92.8
5	Children below 5 years of age who are stunted (Height for age)	36.2	34.6	43.3	42.6
6	Children below 5 years of age who are Underweight (Weight for age)	32.9	31.2	40.7	41.4

Source: National Family Health Survey (NFHS)

Some Major Achievements:

- There has been a significant decline in Infant Mortality Rate in Bihar from 42 per 1000 live births in 2015 to 27 per 1000 live births in 2020.
- There has also been an unexpected decline in Child Mortality Rate in Bihar from 12.0 per 1000 live births in 2015 to 6.9 per 1000 live births in 2020.
- The full immunisation coverage among children aged 12-23 months in Bihar has increased substantially from 11.6 percent (NFHS-2, 1998-99) to 71.0 percent in 2019- 20 (NFHS-5), an increase of 59.4 percentage points.
- The stunting in children declined by 12.7 percentage points from 55.6 percent in 2005-06 (NFHS-3) to 42.9 percent in 2019-20(NFHS-5).
- According to NFHS data, the children under 5 years who are underweight has reduced from 43.9 percent in 2015-16 (NFHS-4) to 41.0 percent in 2019-20 (NFHS-5), a decline of 2.9 percentage points.
- The total enrolment, taking primary and upper primary together, stood at 190.23 lakh, of which 97.49 lakh are boys and 92.73 lakh are girls.
- The gender gap at the elementary level (maximum age group 14 years) reduced from 7.29 lakh in 2015-16 to 4.76 lakh in 2022-23.
- At the primary level, the dropout rate declined to zero which means presently all students are completing primary education. In upper primary, the dropout has declined by 39.4 percentage points from 42.2 percent in 2015-16 to 2.77 percent in 2022-23. At secondary level also, the decline is 40.0 percentage points between 2015-16 and 2022-23. In 2022-23, changing the previous trend, the dropouts of girls are less than that of boys at upper primary and secondary levels.
- The concept of Bagless Safe Saturday was started on November 11, 2022 (Shiksha Diwas) to make students aware of various aspects of Disaster Management activities.
- Monthly Parent Teacher Meetings (PTM) have been started in all government elementary schools since October 2022.

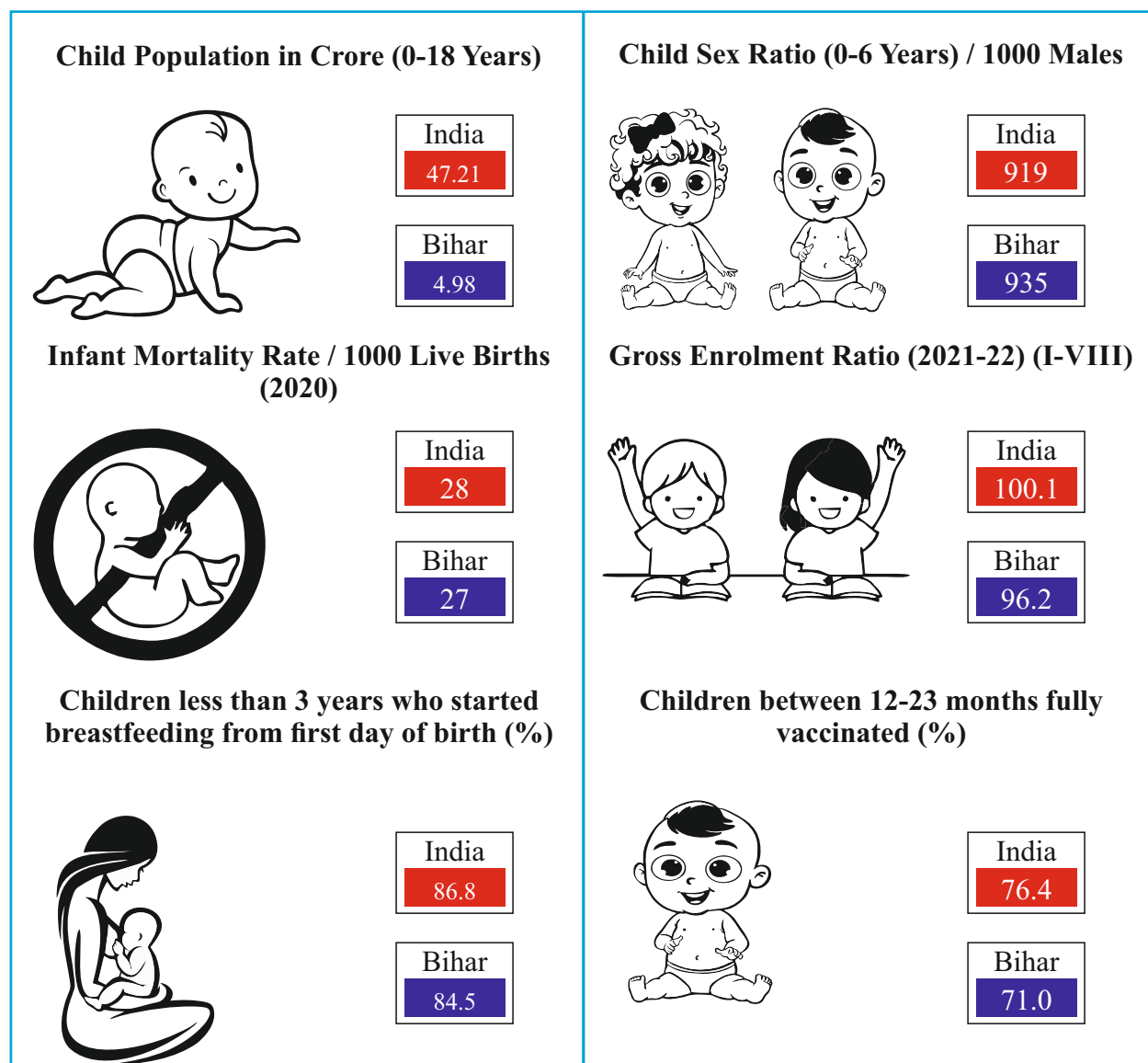
Sustainable Development Goals for Children

The Sustainable Development Goals (SDGs) were adopted by the United Nations as a universal call in 2015 to eradicate poverty and ensure peace and prosperity by 2030. The SDGs are global actions taken from 2015 to 2030 to achieve better health, eradicate poverty and ensure a life of peace and prosperity for all. The SDGs aim to eliminate hunger and poverty around the world by 2030 and provide a decent life for all. To fulfil this vast objective, 17 targets and 169 standards have been set. No goal is achieved unless children are involved in it. In the SDGs, goals like health, education, nutrition, gender equality etc. have been created keeping children in mind, because they are the foundation of society.

According to UNICEF, in the context of the Sustainable Development Goals set by the United Nations, there are 17 SDGs and 169 targets under it, out of which 44 indicators are related to children. These 44 indicators are arranged into 5 dimensions of child rights. The specific 05 dimensions of child rights are as follows: -

1. Safety, security and growth of every child
2. Education for every child
3. Protection of every child from violence, exploitation and malpractice
4. Every child should live in a clean and safe environment.
5. Decent opportunity in the life of every child

Child Indicators of India and Bihar



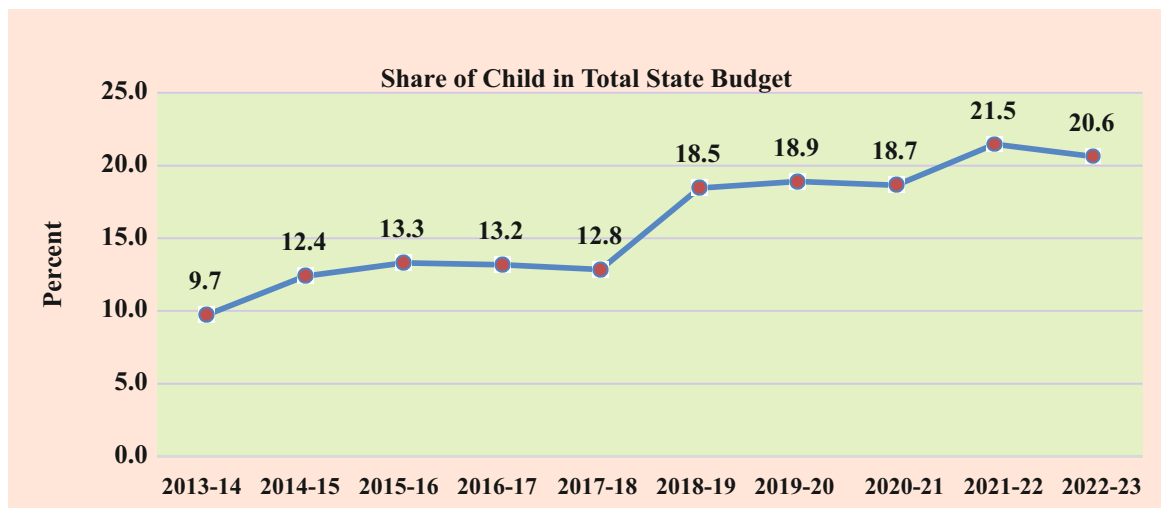
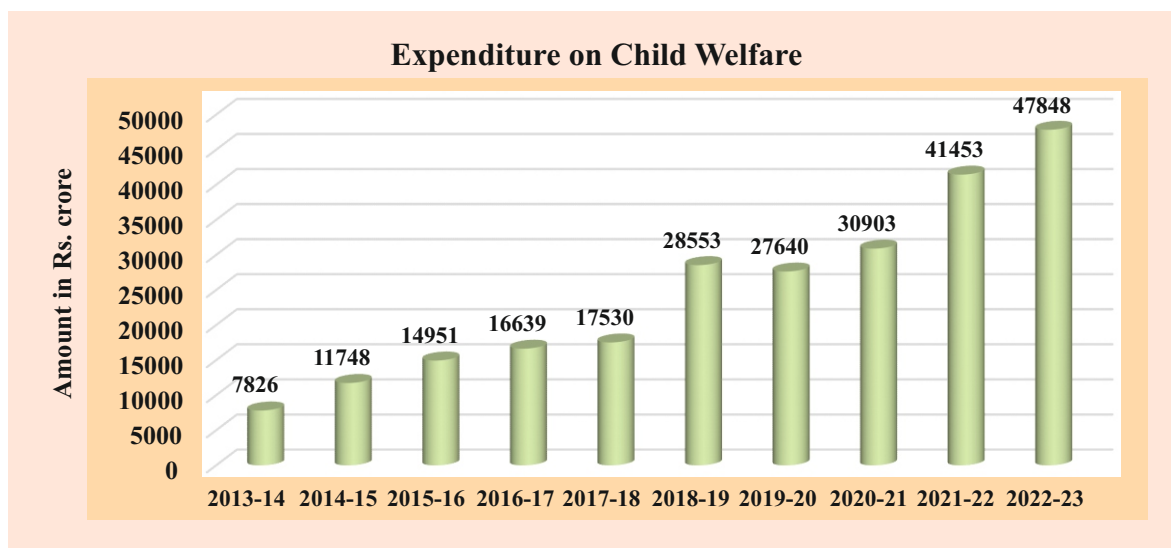
Child Budgeting in Bihar

Human resource development goals can be achieved only when proper attention is given to children. The process of child budgeting in Bihar started in 2013-14. The child budget includes all the financial details of schemes related to child welfare. These allocations mainly focus on the four pillars of child development, health, education, security and participation. The Child Budget document of the Government of Bihar serves as an important tool to consider the priority of the government in the development and welfare of children. Apart from this, the document also serves as essential literature and a mechanism for monitoring the overall situation of children in Bihar. At the same time, it is also an important tool for understanding the scope of increase in budget as it

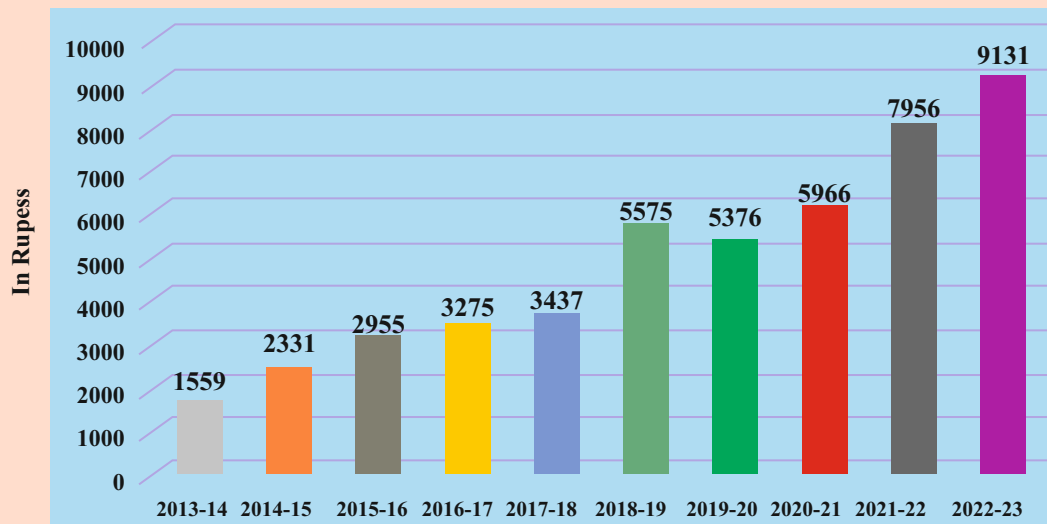
presents the facts and figures of funds allocated for the welfare of children in the state.

Child Budgeting: A Glance

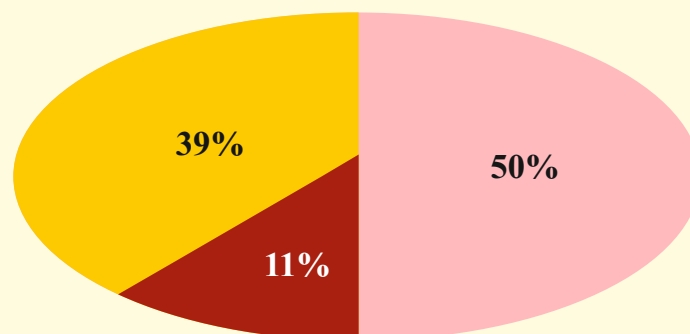
- The total expenditure on children has increased at an annual rate of 20.5 percent from Rs 7825.7 crore in the year 2013-14 to Rs 47847.6 crore in 2022-23.
- On average, in these 10 years the share of expenditure on child development amounted to 16.0 percent of the total state budget.
- During the same period, the per capita expenditure on children increased 5.9 times from Rs. 1559 in 2013-14 to Rs. 9131 in 2022-23.



Per capita Expenditure on Children



Distribution of Child Budget Schemes (2024-25)



- Establishment & committed Expenditure
- State Scheme
- Centrally Sponsored Schemes+Central Sector Scheme

Important Schemes being implemented by the state government for the proper development of Children

The child welfare budget document indicates the provisions made under various schemes, the objective of which is the welfare of children in general and the overall (physical and mental) development of children in particular. For this, various departments are implementing child welfare-focused schemes and programmes.

Bihar Government has laid down the Standard Operating Procedure (SOP) and marked the bill codes related to children in consultation with various departments so that transparency is reflected in the expenditure for the welfare of children.

The details of various schemes implemented by the Bihar government keeping children at the centre are as follows:-

Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department

Mukhyamantri Backward Class (BC) and Extremely Backward Class (EBC) Pre-Matric Scholarship Yojana

Under the Other Backward Class Pre-Matric (School) Scholarship Scheme, the scholarships were paid to the BC and EBC students studying from classes 1 to 10 in schools recognized and established by the state government.

Since, the financial year 2022-23, this state scheme, 'Mukhyamantri BC and EBC Pre-Matric Scholarship Yojana' provides scholarships to BC and EBC students studying in classes 1 to 10 in government schools, government-recognized and establishment-approved schools of the state. The approval has been given for the operation and execution of the scheme through the Education Department.

Scholarship under the above scheme will be paid in a lump sum at the following rate:-

S.No.	Class	Rate of Scholarship (Annual)
1	Class I to IV	Rs. 600/-
2	Class V to VI	Rs. 1200/-
3	Class VII to X	Rs. 1800/-
4	Class I to X (Hostels)	Rs. 3000/-

Other Backward Class Post-Entrance Scholarship Yojana

Under this scheme, there is a provision to provide post-entrance scholarships at the prescribed rate to the students of other backward classes studying in class 11 and above and in diploma/degree level medical/engineering/management and other post-entrance courses. To receive a post-entrance scholarship, the maximum limit of annual family income of BC and EBC students

was fixed at Rs.1.50 lakh, which has been increased to Rs. 2.50 lakh with effect from the financial year 2020-21. All its processes are online. From the financial year 2018-19, scholarships are being distributed through the Education Department.

Mukhyamantri EBC Scholarship Yojana

The Mukhyamantri EBC Scholarship Scheme has been run by the State Government since the financial year 2008-09 with the aim of increasing awareness about education among students of extremely backward classes and encouraging them towards higher education.

Under this scheme, a lump sum stipend of Rs. 10,000/-(ten thousand) per student will be given to EBC students permanently residing in the state of Bihar who have passed the Secondary (10th) examination conducted by Bihar School Examination Board, Patna with first division. The scheme is being implemented through the Education Department from the financial year 2017-18.

Mukhyamantri BC Scholarship Yojana

Mukhyamantri BC Scholarship Yojana was started by the state government from the financial year 2015-16 with the aim of increasing the awareness of BC students towards education and encouraging them towards higher education.

Under this scheme, BC students permanently residing in the state of Bihar, who have passed the Secondary (10th) examination conducted by Bihar School Examination Board, Patna, with first division and whose annual family income is less than Rs. 1,50,000/- (One Lakh Fifty thousand rupees), will be given a lump sum stipend of Rs.10,000/- per student. This amount is given by the Education Department to the girl students of the backward class. The scheme is being implemented through the Education Department from the financial year 2017-18.

Pre-Examination Training Centre Yojana

This scheme has been started to provide free preparation opportunities to the students of BC and EBC community for UPSC/BPSC and other competitive examinations. The supervision and evaluation of pre-examination training centres are done by the Bihar State Backward Classes Finance and Development Corporation. Free preparation for the competitive examination is provided to 120 candidates per centre. A total of 38 centres are approved in the state under the scheme, of which currently centres are being operated in 36 districts.

Reimbursement of Examination Fees

The state government reimburses the examination fees paid by the students of other backward classes for the secondary examination of the Bihar School Examination Board.

Other Backward Class Welfare Hostel

Other Backward Class Welfare Hostel is operated under the Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department for the students belonging to the backward and extremely backward classes. The students living in these hostels are provided with facilities like cook-cum-servant services, lights, utensils etc.

Jannayak Karpuri Thakur Hostel Yojana

In the financial year 2008-09, this scheme was started to construct Jananayak Karpuri Thakur Hostel with 100 seats in each district for extremely backward class students.

Other Backward Class Girls Residential +2 High School

At present, under the Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department, a total of 12 OBC Girls Residential +2 High Schools with classes from 6 to 12 are being run for the girls of Backward Class and Extremely Backward Class. The girl students studying in these schools are provided free accommodation, clothes, study materials, food etc. Work is in progress to construct all the school buildings with 520 seats. So far, administrative approval has been given for the construction of 29 residential schools in 28 districts.

Mukhyamantri BC and EBC Skill Development Yojana

Mukhyamantri BC and EBC Skill Development Yojana is operated with the aim of raising the standard of living of the people of the backward class and extremely backward class. This scheme will lead to economic and social upliftment of members of backward classes and extremely backward classes as well as increase their participation in the economic development of the state.

Mukhyamantri BC and EBC Skill Development Yojana was started from the financial year 2017-18 to economically strengthen the members of backward and extremely backward classes. Under this scheme, the training is given in various trades at training centres recommended by the Labor Resources Department.

Mukhyamantri EBC Civil Sewa Protsahan Yojana

This scheme was started in the financial year 2018-19, under which, a lump sum amount of Rs. 50,000/- (Fifty thousand rupees) is given to the extremely backward class candidates who pass the preliminary test (PT) of the joint competitive examination conducted by Bihar Public Service Commission (BPSC), Patna, for further preparation and a lump sum of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lakh) is given to the extremely backward class candidates who pass the PT examination of the Civil Services Competitive Examination conducted by the Union Public Service Commission (UPSC), New Delhi.

Mukhyamantri BC and EBC Hostel Grant Yojana

This scheme has been started from the financial year 2018-19. At present, there is a provision to give a hostel grant at the rate of Rs. 1000/- (one thousand rupees) per month per student to the backward class and extremely backward class students studying in BC and EBC hostels.

Food Supply Scheme in hostels

This scheme has been started from the financial year 2018-19. Food grains (9 kg rice and 6 kg wheat) are supplied free of cost at the rate of 15 kg per month to the students studying in hostels run under the Backward Class and Extremely Backward Class Welfare Department. In light of the letter issued by the Government of India, food grains are supplied to the respective hostels under the Door Step Delivery Scheme 2016.

Mukhyamantri BC and EBC Post-Entrance Scholarship Yojana

The Backward Class and Extremely Backward Class students who qualify and are not covered by the currently operated Other Backward Class Post-Entrance Scholarship Scheme and whose family's annual income is more than Rs. 2.50 lakh and up to Rs. 3.00 lakh are provided scholarships at the rate fixed by the State Government time to time. Approval has been given for the Scheme from the financial year 2021-22 and implementation of the scheme will be done by the Education Department. This is a state scheme. Like other backward class post-entrance scholarship schemes, it is also being implemented through the PMS Online portal.

Mukhyamantri Vocational Course Guidance and Induction Yojana

To increase the participation of BC and EBC students in appointment to academic posts and for admission in higher institutions and professional courses like management, law etc. guidance is provided to help BC and EBC students prepare for competitive exams like NET, GATE, JRF (CSIR), Ph.D, M.Phil, etc. free of cost. So far, 10 centres have been approved under the scheme.

Jannayak Library and Digital Study Centre

Jannayak Library and Digital Study Centre have been developed in all the Jannayak Karpuri Thakur Hostels, Other Backward Class Welfare Hostels and Other Backward Class Girls Residential +2 High Schools run in the state. The main objective of these centres is to provide competitive and high-quality study material, to ensure quality studies through digital learning and also to organize guidance sessions for the preparation of competitive examinations through experts and previous successful students.

Panchayati Raj Department

Mukhyamantri Grameen Peyjal Nishchay Yojana

Under the good governance programme of Mukhyamantri Saat Nishchay Yojana, a separate plan has been made for each ward by considering the wards of Gram Panchayats as one unit under the Mukhyamantri Grameen Peyjal Nishchay Yojana. The requirement of water in the wards of Gram Panchayat is being met through boring, submersible pumps and distribution pipelines. To ensure the purity and availability of water, the minimum depth of the water source (boring) is being kept at 100 meters. Water distribution to homes is being ensured through pipelines. The expenditure on the development of child welfare under this scheme in each ward of Gram Panchayat of the state is estimated to be about 25 percent.

Mukhyamantri Rural Solar Street Light Yojana

Under the 'Clean Village-Prosperous Village'(Swatchh Gaon-Samridh Gaon) Nishchay under the Saat Nishchay part 2 yojana of Atmanirbhar Bihar under the Good Governance Programme, 2020-25, there is a plan of installation of ten solar street lights in each ward of all Gram Panchayats. In the list selected by the Ward Implementation and Management Committee, solar street lights are to be installed on a priority basis in sports venues, health centres and public places. This will help in the overall development of boys and girls.

Sixth State Finance Commission

In the light of the recommendation of the Sixth State Finance Commission, the amount made available as grant-in-aid to the three-tier Panchayati Raj Institutions of the state from the General Fund (50 percent) item will be spent for the management of playgrounds, public libraries, public toilets, capacity building, etc. Additionally, there is a provision to spend the amount of Panchayat Samiti's Development Fund (30 percent) on the construction of a garden in the government school/college premises with the consent of the school/college. This will help in the overall development of boys and girls.

15th Finance Commission (Tied & Untied)

In the light of the recommendation of the 15th Finance Commission, the amount of tied and untied grants received from the Government of India is made available to the three-tier Panchayati Raj institutions (Zilla Parishads, Panchayat Samitis and Gram Panchayats). Out of the Untied grants (40%) of the said amount, there is a provision for expenditure on works like playgrounds/gardens, provision of open gyms, construction of boundary walls of primary and secondary schools in Panchayats and construction of libraries in Gram Panchayat buildings/community buildings etc. Also, there is a provision to spend the amount of Tied grants (30%) on providing gravity-based toilets and drinking water facilities in primary and secondary schools, construction of block-level libraries, construction of community toilets in high schools etc. This will help in the overall development of boys and girls.

15th Finance Commission (Health Sector Grant)

In light of the recommendations of the 15th Finance Commission, the amount of Health Sector Grant received from the Government of India to strengthen primary health services, there is a provision to spend the fund on works like infrastructure support to primary health care facilities, block-level public health units, converting rural PHCs and CHCs into Health and Wellness Centres, etc. This will help in the all-round development of the children.

Environment, Forest and Climate Change Department

Apart from Sanjay Gandhi Biological Park in Patna, 06 major parks are being maintained by the state government:

1. Shaheed Veer Kunwar Singh Azadi Park
2. Naveen Sinha Memorial Park
3. Punaichak Park
4. Shivaji Park
5. Sri Krishnapuri Park, and
6. Sri Krishnanagar Park

Buddha Vihar Vatika and JP Vatika are being maintained under Gaya Forest Division.

Kusiargaon Biodiversity Park is being maintained on the banks of Purnia-Araria road NH-57 under the Araria district.

Children's play equipment and facilities have been installed in all these parks. Generally, about 10 percent of the total visitors in these parks are children. Apart from these, work is being done to develop Madhopur Eco-park in Chakai block of Jamui district and Supaha Eco-park in Amarpur block of Banka district.

Health Department

Rashtriya Bal Swasthya Karyakarm

Under this programme, health check-up of children aged 0-18 years of the state is done and free medicines and referral facilities are provided to them as per requirement. Under this scheme, mobile medical teams have been formed on the basis of primary health centres for health check-ups. The health check-ups of children are done in Anganwadi centres and government and government-aided schools of their area and health cards are distributed to the children. This aims at bringing qualitative improvement in the health of children by providing proper treatment to children with disorders and highlighting their inherent physical and intellectual abilities.

Under the 'Rashtriya Bal Swasthya Karyakarm', health check-up facilities are provided at institutional delivery sites, communities, Anganwadi centres and school levels. For examination, health check-up activity is carried out by dividing children from birth to 18 years of age into the following sub-sections:

- (a) 0-6 weeks old children.
- (b) Children of 6 weeks to 6 years.
- (c) Children between 6 years to 18 years.

Agreement has been signed with the following 09 medical colleges/institutions of the state to provide 22 types of surgeries to children:

All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Patna, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences (IGIMS), Patna, Indira Gandhi Institute of Cardiology (IGIC), Patna, Patna Medical College Hospital (PMCH), Patna, Darbhanga Medical College Hospital (DMCH), Laheriasarai, Jawahar Lal Nehru Medical College Hospital (JLNMCH), Bhagalpur, Nalanda Medical College Hospital, (NMCH), Patna, Anugrah Narayan Magadh Medical College Hospital, (ANMCH), Gaya, Shri Krishna Medical College Hospital, (SKMCH), Muzaffarpur.

Institution-based Newborn Care Unit

To reduce the infant mortality rate in the state, under the Facility Based Newborn Care (FBNC), Special Newborn care Units (SNCU) are being established in all district hospitals and medical college hospitals, and Newborn Stabilization Units are being established in sub-divisional and referral hospitals. Through these units, special services are being provided to sick babies. Apart from this, the Kangaroo Mother Care Ward is to be established in the special newborn care unit

functioning in the state. Paediatric units are being established and operated in 20 district hospitals of the state.

Home Care of The Newborn Baby

There is a provision to pay Rs. 250/- to the ASHA worker for visiting the home for the care of the newborn baby and the pregnant mother. Six visits are planned (3rd, 7th, 14th, 21st, 28th and 42nd day) in case of institutional delivery and seven visits (1st, 3rd, 7th, 14th, 21st, 28th and 42nd day) in case of home delivery. This also includes preparing a line list of pregnant women and lactating mothers. ASHAs make a microplan and accordingly hold meetings with a group of 5-8 such mothers thrice every month. In this way, a total of 9 meetings are to be organized every three months. For this, every ASHA worker is given Rs. 100/- per quarter as an incentive.

During the Intensified Diarrhoea Control Pakhwada, an incentive amount of Rs. 100/- will be payable to ASHA workers after they visit at least 80 percent of the houses in their area, prepare a line list of children from birth to 5 years according to the micro plan and give it to ANMs and distribute O.R.S.

Under the Home-Based Care for Young Child (HBYC) programme in the 13 Aspirational Districts of the state, the home visit of each child is to be done by the ASHA worker for 15 months in the 3rd, 6th, 9th, 12th and 15th months respectively. An incentive amount of Rs 250 is payable to each ASHA worker after five successful visits.

National Deworming Programme

For the successful conduct of deworming, funds have been made available to all the districts in two rounds at the rate of Rs 100/- per ASHA. The said amount will be paid to the ASHA worker after preparing a line list of children between 1 to 19 years in her area and sending it to the ANM.

Nutrition Rehabilitation Centre under NRHM

Nutrition Rehabilitation Centre has been established in every district of the state to provide proper care to severely malnourished children who have medical complications and prevent them from death. In light of the guidelines of the Government of India, severely malnourished children with medical complications are to be admitted to the Nutrition Rehabilitation Centre and after proper treatment and care, they are to be sent home after gaining a more than 15 percent increase in the weight, as well as, their follow-up is also to be done.

Anaemia Free Bihar Programme

This programme is to be implemented in all 38 districts of the state. As per the guidelines, for successful implementation of this programme, children aged between 6 months to 59 months will be given syrup twice a week and children aged between 5 years to 10 years will be given IFA tablets once a week, as a supplement. Asha workers will maintain the line list of children aged between 6 months to 10 years in their area in the register and at least 70 percent of the total number of line-listed children will be given IFA. After supplementation of syrup and tablets, a total of Rs. 600/- (Rs. 600/- twice a year, only Rs. 1200/-) is payable at the rate of Rs.100/- per month, twice a year, at an interval of six months.

Chief Minister Kanya Utthan Yojana

To reduce the girl child mortality rate in the state, under this scheme, the parents of the girl child are being benefited with Rs 2000/- for vaccination after the birth of the girl child.

Education Department

Kilkari

To enhance the creativity of children in the age group between 9 to 16 years in a healthy, stress-free and joyful environment, Kilkari provides training as per their interest from Tuesday to Saturday from 10 am to 5 pm, the brief description of which is as follows:-

- I. **Regular Training-** Training is given in classical dance, classical singing, painting, craft, sculpture, karate, badminton, ball badminton, chess, science, writing, drama etc.
- II. **Publication** - A plan is made to publish a monthly newspaper named Bal Kilkari in which books, brochures, modules etc. prepared by the children of Kilkari will be published.
- III. **Gullak (Child Bank)** – Deposit scheme for saving money by children.
- IV. **Photography-Plan to develop the ability to see and understand in children-** Presently, children are going for educational tours to the caves of Bihar and taking photography. After this, there is a plan to produce a book.
- V. **Mobile Library-** The scheme to connect children of government schools and slums with the activities of Bal Bhavan.
- VI. **Library (School of Fun)** – The library is being run to increase the intellectual and educational level of children.
- VII. **Kilkari Branches-** Two Bal Bhavans have been established at the divisional level, Gaya and Bhagalpur so that other children of Bihar can also get the benefit of this scheme.
- VIII. **Annual events of Kilkari** - Children's Day, National Children's Colour Festival, Summer Camp, Balshree, National Children's Folk Dance Festival etc. are organised.
- IX. **Other projects of Kilkari-**
 - (a) Operation of children's centers for three hours each in government schools of Patna and other districts of Kaimur, Saharsa, Gaya, Muzaffarpur, Chhapra, Darbhanga, Dharhara (Bhagpur) with the funds of Tata Dorabji.
 - (b) Operation of Bal Sansad Project in Vaishali district with the help of UNICEF. In the present context, children are making Bihar proud by moving forward in the field of art.

Implementation plan for the Right to Education of poor and brilliant students in private schools

In light of the Right to Education Act, 2009, funds are reimbursed to approved private schools, so that poor children studying in private schools can study for free or at reduced fees.

Mukhyamantri Poshak Yojana under Primary School

Under the Mukhyamantri Poshak Yojana, students studying in primary schools are given Rs. 400/- per annum to the students studying in classes 1-2, Rs. 500/- per annum to the students studying in classes 3-5, and Rs. 700/- per year to the students studying in class 6-8, respectively for purchasing the uniforms which develops a feeling of equality among all the students.

Mukhyamantri Balika Poshak Yojana under Primary School

Under the Mukhyamantri Balika Poshak Yojana, girl students studying in primary schools are given Rs. 400/- per annum in classes 1-2, Rs. 500/- per annum in classes 3-5, and Rs. 700/- per annum in class 6-8 respectively, for purchasing school uniform and to grow a feeling of equality among students.

Educational Tour for Middle School Students

An amount of Rs. 20,000/- is made available every year to every primary, middle and girls school for educational tours to create awareness among the students about the historical, geographical and other important places of their state. This scheme helps in academic-cum-mental development of the students.

Mukhyamantri Balak Cycle Yojana

Under the Mukhyamantri Balak Cycle Yojana, an amount of Rs.3,000 per student is provided to the children studying in class 9th of secondary schools to go to school, so that children from far away places can also reach the school. This scheme has created an educational environment, especially in rural areas and students have become more and more oriented towards studies without wastage of time.

Mukhyamantri Balika Cycle Yojana

Under the Secondary Education, under the Mukhyamantri Balika Cycle Yojana, an amount of Rs.3,000/-(three thousand rupees) is provided per girl student of all religions/castes studying in Class IX of secondary schools, so that they can go to school from remote areas. This scheme has created an educational environment, especially in rural areas and the girl students have become more and more oriented towards studies without wastage of time. Every financial year, funds are made available to the districts for purchasing bicycles for girl students in government/government approved/project (including upgraded)/minority/subsidized approved madrasas/Sanskrit and unfunded secondary/higher secondary schools/inter colleges of the state.

Bihar Shatabdi Mukhyamantri Balika Poshak Yojana

Under the Mukhyamantri Balika Poshak Yojana, Rs. 1,500/- is provided annually to all categories of girl students studying in secondary schools from class 9 to 12 for dress, so that a sense of equality can be created among all the girl students. Under the State Scheme, the girl students of class 9th to 12th in the state's incorporated/affiliated colleges/government/nationalized/including project upgraded/minority secondary schools and subsidized approved madrasas/Sanskrit and non-financed secondary/higher secondary schools/inter colleges will be provided funds through RTGS.

Mukhyamantri Protsahan Yojana (Matric First-Class Pass and Pre-Matric Scholarship)

Under this, Rs. 10,000/- is given as an incentive amount to every girl student who has passed the matriculation examination with the first division, so that they can be encouraged to pursue higher education and can also pursue inter-graduate studies through this scheme and can be only partially dependent on their families. For general category and BC category girl students, the amount is transferred through RTGS. Also, Rs.150/- per month is transferred through RTGS under pre-matric scholarship to the general category girl students studying in classes 9 to 10 in state/nationalized/project (including upgraded)/minority aided approved madrasa/Sanskrit and non-financed secondary schools of the state.

Construction of buildings of government and government-owned secondary schools and Balika Chatrawas Yojana

To encourage girls' education in every economically backward block, girls' hostels are being constructed and model schools are being developed on the lines of Kendriya Vidyalayas in every block. Besides, funds are provided for the construction of buildings of government and government-owned secondary schools, so that the old and dilapidated buildings can be rebuilt/repared and the girls studying there can study in a free environment.

ICT Project

Under this project, computer education is provided to students from classes 9 to 12.

Grant for Karate Training to Middle School Girls

Girls in middle schools are given grants for karate training. This karate training instils self-defence and confidence in girls.

Tarang (Bihar Sub-Junior Sports Meet)

Grant is given for sub-junior sports meet under the Tarang programme to junior boys/girls. An annual sports educational seminar is organized for boys/girls in primary education.

Hunar

Through this scheme of the state government, skills are developed among the secondary students under domain skilling.

Unnayan Karyakarm

Under this scheme, there is a plan to provide quality online study facilities to the students by equipping the school with smart classes and other technical facilities. For the selected schools of the state, 45-56 inch smart TV and other materials have been purchased.

Mukhyamatri Balika Protsahan Yojana (Intermediate Passed)

Mukhyamatri Balika Protsahan Yojana (Intermediate Passed) is one of the components of the Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana. Under the Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana (Intermediate Passed) implemented through the Education Department, an amount of Rs. 25,000/- is given to the account of the girls who have passed intermediate as an incentive. Under the Bihar

School Examination Scholarship, funds are transferred to girl students through RTGS.

Scholarships in Elementary Schools

Scholarships are provided to all categories of students studying in primary schools. Students studying in classes 1 to 4 are given Rs. 50/- per month i.e. Rs. 600/- annually, students studying in classes 5-6 are given Rs. 100/- per month i.e. Rs. 1200/- annually, and class 7- Students studying in Class 8 are provided with an amount of Rs. 150/- per month i.e. Rs. 1800/- annually so that they can purchase the necessary study material for their studies.

Kishori Swasthya Karyakarm Yojana

Through this scheme, general information regarding reproductive health and specific information regarding menstrual health and management is being provided to all girls above 12 years of age enrolled in schools. Apart from this, to ensure cleanliness during the menstrual cycle, Rs. 300/- is given per year to girl students for purchasing sanitary napkins through teachers as per requirement. Also, information is given regarding the disposal of the napkins. This scheme of the Bihar government has removed conservatism, inertia and hesitation from the minds of girls to a great extent.

Mukhyamantri Bihar Darshan Yojana

Under Mukhyamantri Bihar Darshan Yojana, funds are provided to each school at the rate of only Rs. 20,000/-(twenty thousand rupees) per school for educational tours of students of government/state-owned/non-government aided (including minority) secondary schools. The objective of this scheme of government is to establish a balance between academic, practical and mental knowledge among the students. Visiting historical, geographical and mythological places helps them develop self-confidence and knowledge.

Bihar Open Schooling and Examination Board

Children who are not able to appear in Matriculation/Inter examination due to unavoidable reasons, prepare themselves for higher education by joining Bihar Open Schooling and Examination Board.

Construction of Building for Education

There is a plan to construct an education building in every district, so that the boys and girls studying in secondary/higher secondary can get proper support in education.

Simultalla Residential School

Simultalla Residential School provides education from class 6 to matriculation. In this residential school, 60-60 boys/girls each are studying in different grades from class 6 to class 10.

Model School

At the regional level, work is being done to identify schools for setting up model schools and make them as convenient as possible.

Educational Seminars, Workshops and Various Educational Events and Festivals

The main objective of Education Day, which is celebrated every 11th November on the birthday of Maulana Abul Kalam Azad, the first Education Minister of India and Bharat Ratna awardee, is to propagate his personality and work and to convey his message of harmony between all religions to children and teachers and to reach out among the common people. Under this head, different types of educational seminars, workshops and various educational events and festivals are organized.

Primary School Water Harvesting Construction Scheme

Under the Jal-Jeevan-Hariyali Yojana, funds are being provided at the rate of Rs. 80,000/- per middle school for the construction of physical structures for rainwater harvesting in 3125 identified middle schools of the state.

Samagra Shiksha Abhiyan

Samagra Shiksha Abhiyan was started by the Central Government on August 4, 2021. Samagra Shiksha is an integrated plan for school education from pre-school to class XII to ensure inclusive and equitable quality education at all levels. It encompasses three schemes namely Sarva Shiksha Abhiyan, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan and Teacher Education.

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA)

Funds are made available under Samagra Shiksha Abhiyan, to the Bihar Education Project Director for payment of salaries of teachers working under Panchayati Raj/Municipal Body Institutions and teachers of graduate level pay scale of district cadre in upgraded middle schools and teachers working on the post of headmaster.

In this centrally sponsored scheme, in the light of the instructions received from the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the state has decided to maintain the number of children and teachers in the ratio of 40:1 to provide quality education to the children studying from pre-school to class 8.

Mid day Meal Scheme (PM POSHAN)

The state government is providing cooked food to the students studying in government and government-aided schools under the centrally sponsored scheme based on Healthy Body-Healthy Mind. Eggs/seasonal fruits are also provided to the children once a week.

National Secondary Education Campaign

Under the Centrally Sponsored Scheme in the National Secondary Education Campaign, the share of the Centre and the State is 60:40 and under the sanctioned amount received from the Government of India, there is a provision of releasing the State's share in proportion to the released Central Share. The amount of grant-in-aid received under Samagra Shiksha is made available to the Bihar Education Project Council. The salaries of teachers working in upgraded middle schools are paid from this head. Through this scheme, both the Central Government and the State Government

spend money to provide quality education to the students and the State Government is committed to making the teacher-student ratio to 01:40.

Teacher Education Institute (TEI)

To train teachers for holistic education, this scheme is run with the cooperation of the Central and State Governments in a ratio of 60:40. This is a scheme operated for students studying in class 10 + 2. Also under this, teachers are trained to teach in schools.

National Education Mission Sakshar Bharat

Sakshar Bharat Yojana is being run to connect those students who are still away from school education. Apart from children between 6 to 14 years, children above 14 years also benefit from this, due to which now almost 100 percent of children are connected to school education.

Salary Payment Of Government Primary and Middle School Regular Teachers/Non-Teaching Staff

Under primary education of the state, the government allocates funds for salaries and other items for teachers/non-teaching staff working in state primary and middle schools/government-owned high schools, project high schools, girls' high schools in block and panchayat municipal bodies, due to which regular and quality education is taking place in schools.

Assistance To Non-Government Primary Schools

The amount is also spent for the payment of salaries to teachers/non-teaching staff duly employed in non-government-recognized minority primary and middle schools of the state.

Salary Of City/Block/Panchayat Niyojit Teachers in Primary School

As per Article 21A of the Constitution, free elementary education for children in the age group of 6 to 14 years has become their fundamental right. Therefore, it is the responsibility of the state government to provide elementary education to children in the age group of 6 to 14 years. To increase the teacher-student ratio to 1:40 and to bring all the children of the state into schools by providing them with quality education, the Bihar government has appointed 3.23 lakh Panchayat/Block/City teachers in the primary schools of the state. Out of these, the salaries of 66104 city block and panchayat teachers are being paid from the state government funds under establishment and committed expenditure.

Regular Teacher Salary Payment Under Government Secondary School

Under the secondary education of the state, the government allocates funds for salaries and other items for the teachers/non-teaching staff working in the state high schools/nationalized high schools, project high schools, girls' high schools, Zila Parishad and various municipal bodies, through which the schools regular and quality education is taking place.

Grant Scheme for Bihari Children Studying in Sainik Schools Outside Bihar

In the light of the instructions given by the Sainik School Society and Defence Minister,

Government of India, the State Government provides grants for scholarships, laundry, nutrition and other non-academic works to the children studying in Sainik School Nalanda and Gopalganj and other Sainik schools outside the state of Bihar.

Secondary Multipurpose Minority School

The Bihar government spends an amount on paying the salaries of teachers working for the education of children in non-government-recognized minority secondary schools of the state.

Grant Scheme to Unfunded Schools

The Bihar government gives grants to schools to pay the salaries of teachers working for the education of children in unfunded high schools of the state.

Niyojit Secondary School Teachers

Under the secondary education of the state, the state grants grant-in-aid in the form of salary for payment of salaries of employed (niyojit) teachers, higher secondary teachers and librarians working in government high schools/nationalized high schools, project high schools, girls' high schools, in Zila Parishad and various municipal bodies of the state. To increase the teacher student ratio to 1:40, bring all the children of the state inside the school and provide them with quality education, teachers have been appointed by the Government of Bihar in Municipal Corporation/Nagar Parishad/Nagar Panchayat/Zila Parishad in the secondary/higher secondary schools of the state.

Intermediate Education (+2 Education)

There are 91 intermediate (+2 education) level vocational education schools located in 33 districts of Bihar. In such schools, students are given training for skill development with the aim to make them self-reliant.

Non-Government Sanskrit School

The amount is spent on paying the salaries of teachers working for the education of children in 531 non-government-approved schools (332+199) and 86 non-government-approved Sanskrit schools in the state.

Madrassa Islamiyan Samsool Hoda

Madrassa Islamiyan Samasool Hoda was established in the state of Bihar, in which funds are allocated for the payment of salaries of the principal and other working personnel. Here children stay and study smoothly.

Non-Government Madrasa

Through a departmental resolution, the benefit of salary subsidy has been provided to the duly appointed employees under 1128 non-government approved madrassas and 2459 +1 category madrassas of the state. Through this, basic salary and updated dearness allowance are paid. Here children study smoothly and intensively.

Training College

In 33 recognized District Education and Training Institutes (DIET) of the state, arrangements are made for the training of 6 security guards per institute, 27 primary teachers, education colleges/block education and training institutes, 4 security guards and 6 teachers per institute, 4 security guards per institute in education colleges and for teachers in 66 training institutes so that they can become proficient in teaching and children can be given quality education in a proper manner.

Bihar State Library Authority/Urdu Library and Various Libraries

A library has been established for the study of students in remote rural areas of the state and different areas of the city. The amount of grant-in-aid is provided by the state government to pay the salaries of the employees working in these libraries.

Home Department

According to the National Commission for Protection of Child Rights and the National Child Policy, 2013, survival, development, protection and participation are the four fundamental rights of children. Bihar Police is continuously making efforts for the upliftment of child protection for child labour, disabled children, disaster-affected children, conflict-affected children, child prostitutes, children of prostitutes, abandoned children and children who are vulnerable to the risk of human trafficking and juvenile criminals.

The state government is committed to the upliftment and nutrition of boys and girls living with women prisoners in jails under the state.

Labour Resources Department

Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 has been notified by the government. The following are the main features of this Act:

1. Child labour (below 14 years of age) is prohibited in all types of employment. Children under the age of 14 years can assist in family business after school hours, provided there is no adverse impact on their schooling. This cooperation will not be considered as any kind of employment and there will be no employed-employer relationship between the children and their parents.
2. A new category of 'juveniles' in the age group of 14-18 years has been included in the new Act. The employment of juveniles in hazardous occupations and processes has been prohibited and in the remaining employment, their work will be regulated as per the provisions of the earlier Act.
3. In the new Act, employment of child labour has been given the status of a cognizable offence. Also, the punishment has been made more stringent. If child labour is employed, there is a provision for imprisonment up to a minimum of 6 months which may extend to a maximum of 2 years, along with a fine of a minimum of Rs 25,000/- (twenty-five thousand rupees) and a maximum of Rs 50,000/- (fifty thousand rupees).

4. The Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund will be constituted in the districts by the state government. In this fund, the amount collected as a penalty from the guilty employers will be deposited, along with this, Rs. 15,000/- per released child or adolescent labour will also be deposited by the state government. The interest on the amount accumulated or invested will be made available to the released child or adolescent labour.
5. On the occasion of World Child Labour Prohibition Day on June 12, 2016, the Child Labour Tracking System (CLTS) was unveiled by the Honourable Chief Minister Shri Nitish Kumar. This is an important step taken towards the rehabilitation of child labourers. Child Labour Tracking System (CLTS) is a Web Based Tracking System, through which it will be possible to monitor the economic and educational rehabilitation of released child labourers. On the said day, it was announced by the Honourable Chief Minister that every released child labourer, whose details will be recorded in the CLTS State Government Register, will be provided with an amount of Rs. 25,000/- per child labourer from the Chief Minister's Relief Fund. Presently, this amount is being provided to the released child labour in the form of an Annuity Scheme.

Strengthening Of Child Labour Rehabilitation System

According to Section 3 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, employment of child labourers below 14 years of age is prohibited in 18 occupations and 65 processes. For the eradication of child labour, the liberation of child labour is going on by running an intensive campaign through raid teams in the entire state. At the time of release, each child labourer will be given Rs. 2300/- (two thousand three hundred) for one month's ration, Rs. 500/- (five hundred) for clothes, Rs. 100/- (one hundred) for food as per requirement and Rs.100 for medicine. /- (one hundred) i.e. a total of Rs.3000/- (three thousand) is being paid. Apart from this, as per the guidelines given by the Honourable Supreme Court in M.C. Mehta vs. Government of Tamil Nadu, the amount is being deposited in the Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund established in the districts at the rate of Rs.5000/- per released child labourer. The employer will deposit Rs.20,000/- in the Child Labor Rehabilitation-cum-Welfare Fund.

To keep an eye on the rehabilitation process of child labourers, a software called CLTS (Child Labour Tracking System) has been launched, and action is also being taken to provide an amount of Rs.25000/- per released child labourer from the Chief Minister's Relief Fund.

Operation Of Special Residential Centers for Educational/Vocational Rehabilitation of Released Child Labourers

(a) It has been decided to operate a special residential training centre for the educational and vocational rehabilitation of released child labourers in the state through non-government organizations selected through tender. Non-government organizations have been allowed to operate the centre for the first three years from the date of opening of the centre.

(b) Children aged 6 to 14 years freed from child labour will be kept in special residential training centres until they reach 18 years of age. These children are to be kept in these centres only

after being presented before the Child Welfare Committee. This centre is residential and the work of connecting the released child labourers with mainstream schools by providing them with bridge courses as per their educational status is to be done by the concerned centre. Also, if the released child labourer is interested in vocational education, then such child labour will be linked to skill training programmes after completing the age of 15 years. In these centres, all the daily needs of liberated child labourers are fulfilled. The main goal of these centres is the all-around development of freed child labourers along with their healthy and safe childhood.

(c) Gaya, Nawada, Nalanda, Patna, Banka, Sitamarhi and Jamui are selected as pilot districts for operating special residential training centres in the state and special residential training centres are operated in Patna, Gaya, Jamui and Banka districts.

Minority Welfare Department

State Post Matric Scholarship Yojana

Bihar's quota is fixed under the Central Post-Matric Scheme, while the total number of eligible applications exceeds the fixed quota. Thus, a large number of deserving minority students are deprived of the benefits of scholarships. With the aim of benefiting underprivileged students, the State Post-Matric Scholarship Scheme has been started from the year 2017-18.

Mukhyamantri Vidyarthi Protsahan Yojana

An incentive amount is given to Minority students who have passed Matriculation in first class from Bihar School Examination Board and Fokanian examination in first class from Bihar School Examination Board, minority girl students who have passed Intermediate in first class from Bihar School Examination Board and minority girl students who have passed Maulvi Examination in first class from Bihar Madrasa Board. Apart from this, a provision has also been made to give incentive amounts to the students who have passed in the first division by keeping Bengali language as a subject in the matriculation examination from the Bihar School Examination Board.

Central Scholarship Scheme (Pre-Matric and Post-Matric Scholarship)

Centrally Sponsored Pre-Matric and Post-Matric Scholarship schemes are completely centrally funded. The objective of this scheme is to provide financial assistance to minority students in their education. The amount is transferred directly into the accounts of the beneficiaries by the Ministry of Minority Affairs, Government of India. However, the administrative expenditure incurred in the implementation of this scheme is borne by the Bihar Government.

Public Health Engineering Department

Under the Mukhyamantri Peyjal Nishchay Yojana (Quality Affected Areas and Non-Quality Affected Areas), the department is carrying out the work of connecting households to water supply by constructing piped water supply under the “Har Ghar Nal Ka Jal” scheme in a total of 56447 wards. In all these drinking water supply schemes, the expenditure on child welfare development is estimated to be around 15 percent.

Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department

Children's Health and Nutrition

The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department is running 85 residential schools in the state. Arrangements are made for daily needs like food, clothes, medicine etc. for the students studying and living in residential schools. A diverse nutritious food menu is proposed for the students of residential schools. Arrangements will also be made for security in all residential schools through CCTV cameras, for providing pure drinking water, RO water purifier will be installed. Computer training/vocational training will be provided for skill development. Arrangements for cooking, cleanliness and security will also be made through outsourcing.

Children's Education and Development through Scholarship Scheme

There is a scheme to give scholarships at a higher rate to the students of Scheduled Caste and Scheduled Tribe and children of Musahar/Bhuiyan studying in school from classes 1 to 10. Scholarships are also given to children of people engaged in unhygienic work. Scholarships are distributed through the Education Department on the basis of 75 percent attendance.

Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Merit Scheme

Under the Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Merit Scheme, Rs. 10,000/- (Ten thousand rupees) and Rs.8,000/- (eight thousand rupees) are given as incentive amounts.

Similarly, Scheduled Caste and Scheduled Tribe girl students who have passed with first division and second division in class 12th from Bihar School Examination Board are given incentive amounts of Rs. 15,000/- and Rs. 10,000/- respectively.

Residential School Maintenance

Under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department, there is a provision of free education in a total of 87 residential schools for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Detailed operational instructions have been issued for the operation of residential schools (Departmental letter no. 4681 dated 15.07.2016) in which instructions related to reading, routine, annual festival, debate competition as well as school discipline have also been issued.

Hostel Maintenance

A total of 113 hostels of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are operated under the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Welfare Department. Facilities like equipment, cook-cum-servant services, lighting, utensils etc. are provided to the students living in these hostels at government expense. Every hostel also has a hostel superintendent, who is given a superintendent's allowance as an honorarium by the government and who is responsible for the operation of the hostel. In the operated hostels, towels, bed sheets, blankets, pillows, cots, mosquito nets, mattresses, study tables, utensils for eating and cooking etc. are supplied for the use of students.

Mukhyamantri Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hostel Grant

Under this scheme, approval was given to provide the benefit of a hostel grant at the rate of

Rs.1000/- (one thousand rupees) per month per student to the students studying in Scheduled Caste/Scheduled Tribe hostels.

Food Grains Supply Scheme

Under this scheme, a total of 15 kg (6 kg wheat and 9 kg rice) of food grains are supplied per month to the students residing in the hostels.

Examination Fee Reimbursement

Students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are given an amount to reimburse the examination fee for the annual examination of the Bihar School Examination Board.

Social Welfare Department

Integrated Child Development Services Scheme

The Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme, started in the year 1975, is a centrally sponsored scheme. It is a unique community-based programme of early childhood care and development, providing effective and cost-effective services to meet the multidimensional and interrelated needs of pregnant women and children.

To fulfil the above objectives, children aged 0-6 years, pregnant and lactating mothers and adolescent girls are benefited by the following six services in an integrated manner: -

- Supplementary nutrition
- Pre-formal education
- Nutrition and health education
- Vaccination
- Health checkup and
- Referral services

District Programme Offices in all the districts of the state and 544 Child Development Project Offices in all the blocks are approved and are operating.

Supplementary Nutrition Programme

Supplementary Nutrition is provided to all eligible/malnourished/severe children aged between 6 months to 6 years and all pregnant/lactating mother through a total of 115009 approved Anganwadi centres (including mini Anganwadi centres) in the state.

Scheme for Adolescent Girls (SAG/SABLA)

Under this scheme, out-of-school adolescent girls in the age group of 11 to 14 years are provided with supplementary nutrition along with making them self-reliant. The ratio of the central and state shares for non-nutritional (60:40) and nutritional items (50:50) has been fixed by the Government of India. Under this scheme, nutrition, iron and folic acid tablets, health check-ups,

referral services, nutrition and health education are provided to adolescent girls through Anganwadi centres with the help of the Health Department.

Poshak Yojana for children of Anganwadi centres

This scheme is being operated by the state government from the financial year 2018-19. Children in the age group of 3 to 6 years receiving pre-school education at all the Anganwadi centres (including mini) operated in the total 544 approved child development projects in the state are provided funds for clothing at the annual rate of Rs.400/- per child.

National Nutrition Campaign (ISSNIP/NNM)

Efforts are being made to provide better services to the beneficiaries through the ICDS scheme for expected improvement in children's preschool education, nutrition and health, collective participation, monitoring and evaluation. National Nutrition Mission is being implemented in all 38 districts of the state.

Main objective of the scheme

1. Establishing coordination with various departments like Women and Child Development, Health, Education, Panchayati Raj, PHED etc., to reduce the stunted growth in children aged 0-6 years from 38 percent to 25 percent.
2. The target is to reduce the malnutrition rate in children by 2 percent per year and the rate of anaemia among adolescent girls and women by 3 percent per year.
3. To bring the desired improvement in the quality of services of I.C.D.S, a strong, efficient and easy monitoring and supervision system is being successfully implemented in all 38 districts of the state. The activities done at Anganwadi centres through ICDS-Cash are being managed through the mobile app. The activities carried out by Anganwadi centres are easily monitored and evaluated through dashboards at all levels.
4. To adopt healthy habits by changing nutrition awareness and behaviour in the community, the Gradual Capacity Development Process (ILA) through the continuous capacity development method implementation of manual No.1 to 15 has been operated in all 38 districts of the state. Through this activity, the capacity of Anganwadi workers, Asha and ANM has been enhanced at the regional level, due to which their work efficiency has increased.
5. To reduce the malnutrition rate in children under community-based activity, on the 19th day of every month “Annaprasan” and on the 7th day of every month for better nutrition of the mother and the newborn child “Baby shower” is organized.

Innovation/Innovative Experiment

As a forward-looking project, keeping in mind the goals of the Poshan Abhiyaan, 11 new experiments are being conducted in the state for the management of severely malnourished children at the community level, through the availability of healthy and nutritious food items under Poshan

Vatika and outreach to the beneficiaries, community Innovative experiments are being done through subjects like spreading nutrition messages to the general public through radio and creating awareness on locally available food items to promote nutritious food among children. This innovative experiment is being implemented in 10 districts of the state.

Incentive

Under the nutrition campaign, for visiting more than 60% of targeted home and for weighing 60% children of targetted group, Rs. 500/- (five hundred rupees) per month is given as an incentive amount to the Sevikas of the Anganwadi centres and Rs. 250 is given to Sahayikas for visiting the Anganwadi centre for minimum 21 days.

ICDS - CAS

Under the nutrition campaign, 100 percent reports of all the activities conducted in the state are maintained by the Anganwadi workers through the mobile app. The ICDS-CAS is operational in all 38 districts of the state.

Gradual Capacity Development Process (ILA)

Under the Continuous Learning System, capacity building is done at all levels (up to State, District, Project, Sector and Anganwadi Centre level) through 21 modules of Gradual Capacity Development training. The 21 modules related to health and nutrition have been digitalized for easy orientation. All the female supervisors and Anganwadi workers of the state are being trained through the app on smartphones (e-ILA).

Community-Based Activity (CBA)

Under community based activity, Annaprasan is organized in every Anganwadi centre on 19th of every month and a Baby shower activity is organised on 7th of every month, under which pregnant and lactating mothers are provided counselling related to children's nutrition, health and hygiene so that maternal and child mortality can be reduced.

Anganwadi Centre Building Scheme

Anganwadi Centre building was constructed by the convergence of MNREGA scheme and ICDS. It is being done by the Rural Development Department. As per the instructions of the Government of India, toilet and drinking water facilities have been made available at all the operated Anganwadi centres.

National Crèche Scheme (NCS)

As per the instructions of the Government of India, this scheme is operated by ICDS from the financial year 2018-19. This comes under the Directorate. Creche is a facility where working women can go for their work keeping their children aged between 6 months to 6 years for a minimum of 15 days in a month. In crèches, facilities for child care, overall development as well as nutrition and health improvement are provided.

Poshak Yojana for children of Anganwadi centre

Uniforms are provided at the rate of Rs. 400/- to each child of 03 to 06 years of age, receiving preschool education at all the Anganwadi centres under the child development projects of the state.

Integrated Child Protection Scheme

For child rights, child protection and child welfare, integrated child protection is being implemented in the state by establishing coordination with the central government, state government and voluntary organizations. Under this scheme, the contribution of the Central and State Governments is 35 percent and 65 percent in the expenditure incurred on the operation of the Juvenile Justice Council and Child Welfare Committee. Apart from this, in all the components run by the state government, the contribution of central and state governments is 60 percent and 40 percent and the contribution of non-government organizations is 60 percent, 30 percent and 10 percent respectively. The details of important components and programmes to be operated under the Integrated Child Protection Scheme are as follows:-

State Child Protection Committee (SCPS)

The implementation, monitoring and supervision of the programmes run under the Integrated Child Protection Scheme is done by the State Child Protection Committee, a unit working under the Social Welfare Department at the state level.

State Adoption Resource Agency (SARA)

Its main objective is to reintegrate orphan, abandoned and surrendered children who are completely separated from their parents/legal guardians into the family through domestic and inter-country adoption. It coordinates between the Adoption Resource Authority and the State Government and monitors and supervises the specialized adoption institutions operating in different districts of the state.

District Child Protection Unit (DCPU)

Child Protection Unit is working on the implementation of the scheme and monitoring and supervision of the working units at the district level and its nodal officer is the Assistant Director, Child Protection, who is appointed permanently. Apart from this, 2 child protection officers and counsellors are also appointed.

Children's Home (Bal Grih)

In the light of Section 50 of the Care and Protection of Children Act, 2015, destitute abandoned family less children in the age group of 06 to 18 years are accommodated till their rehabilitation (family reunification, adoption, foster care etc.). To achieve this, the government is already running two (Children's Home, Apna Ghar and Balika Grih, Nishant) in Patna and one (Children's Home, Basera) in Begusarai district i.e. a total of three children's homes are already being operated. The remaining children's homes are being run through voluntary organizations.

Observation Homes (Paryevakshan Grih)

In the light of Section 50 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, at present a total of 38 observation homes (which hear cases of juveniles in conflict with the law) are functioning in different districts of the state. Approval for the construction has been obtained. At present, observation homes are being operated for juveniles violating the law in 14 districts of Bihar, namely Patna, Bhojpur, Gaya, Jamui, Nalanda, Madhepura, Chapra, Bhagalpur, Darbhanga, Purnia, Muzaffarpur, Munger, Araria and East Champaran.

Special Home (Vishesh Grih)

In light of Section 48 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, there is a provision for a special home which is operated in Patna to keep juveniles who violate the law in a special home if they are proven guilty.

Place of Safety (Surakshit Sansthan)

In the light of Section 49 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, secure institutions are provided to children in conflict with the law above 18 years of age and children aged 16-18 years who have committed heinous crimes.

Open Shelter (Khula Ashray)

Children in need of care and protection in urban and semi-urban areas, especially beggars, vagabonds and working children, rag pickers, small vendors, street performers, orphan children, abandoned children, runaway children and children of any other vulnerable group are provided temporary shelters. Under this, 9 open shelters are being operated at the divisional level in the state through various voluntary organizations under the Integrated Child Protection Scheme.

Special Adoption Institutes (Visisith Dattak Grahan Sasthan)

A total of 25 Special Adoption Institutes are being operated under the Integrated Child Protection Scheme in 24 districts of the state for the implementation of the adoption programme and accommodation of children. The data related to the children residing in the specialized adoption institution and the adoptive parents is maintained through the CARINGS system.

Cradle Centre Child Welcome Centre

To prevent illegal adoption and promote legal adoption and ensure the safe abandonment of children, 10-15 cradles have been installed in primary health centres/nursing homes/other institutions of all the districts. It is often seen that unwanted newborn babies are thrown on the roadside/dustbin/railway line/field/bushes/public places and these babies become prey to some animal or due to too much delay, it becomes difficult to save the baby's life. But now unwanted children can be left in foster care centres. These foster centres are linked to the nearest specialized adoption institutions. In the last two years, 12 children have been saved safely.

Special Juvenile Police Unit (SJPU)

SJPU has been formed in all 44 police districts. Recruitment is being done for vacant posts in

the Child Welfare Committee (CWC), Juvenile Justice Council (JNC), District Child Protection Unit (DCPU) and government-run homes.

Juvenile Justice Secretariat/Bal Mitra Special Court

Juvenile Justice Secretariat has been established in the High Court, Patna. Bihar's first Special Court//Bal Mitra Special Court has been inaugurated in Patna Civil Court. Also, Special Courts/Child-Friendly Courts have been established in all other districts of Bihar.

Parvarish

Parvarish is an ambitious scheme of the state government, under which targeted children in the age group of 0-18 years are provided an allowance of Rs. 1000/- per month to encourage good upbringing and non-institutional care of them in the society. Financial assistance is being provided through DBT. The eligibility of this scheme is as follows:-

(a) Orphan and destitute children or orphan children living with their close relatives or close relatives, whose annual income is less than Rs.60,000/- or below the poverty line.

(b) HIV (Positive) Visible Deformities Grade-ii or children suffering from leprosy or children of parents suffering from these diseases.

(c) Apart from this, while amending the eligibility of this scheme, such children will be considered orphans and destitute children, whose mother and father have either died due to mental disability or imprisonment or due to any other judicial order they have become unable to raise their child. However, once such compelling circumstances cease, their eligibility will also automatically cease.

Bihar Child Rights Protection Commission

The Child Rights Protection Commission Act 2005 has been notified for the protection of child rights, especially those deprived of family protection, such as destitute, neglected, and victims of immoral trafficking and exploitation and for prompt action in cases of their violation. In the light of Section 17(2) of this Act, the Bihar Child Rights Protection Commission has been constituted by the State Government through Departmental Resolution No. 2028 dated 23.12.2008. The Child Rights Protection Commission has been functioning in the state of Bihar since 2010 and has discharged its duties and responsibilities with full sensitivity and diversity in the matter of safety, protection and violation of children's rights. It has discharged its responsibilities by using whatever powers it has for transparent investigation, recommendations and speedy justice in cases of violation of child rights.

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana

The objective of this scheme is to provide financial assistance to girls from poor families at the time of marriage, encourage marriage registration, boost girl education and prevent child marriage. Under this scheme, Rs 5000/- (five thousand) is paid through DBT at the time of marriage to the daughter of the BPL family or other families whose annual income is up to Rs 60,000/- (sixty thousand).

Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana

Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana has been implemented by the state government for the protection, health, education and self-reliance of girls. The objective of this scheme is to stop female feticide, encourage birth registration and complete vaccination of girls, increase the sex ratio, reduce girl child mortality rate, promote girl education, stop child marriage and curb total fertility. This scheme will also help make girls self-reliant by educating them, providing them an opportunity to live a dignified life and increasing their economic contribution to the family and society. This scheme is for all the girls of the state from birth till graduation. The benefit of this scheme will be limited to two girl children of the family.

According to the Notification No. 2434 dated 25.04.2018 of the Social Welfare Department, under this scheme, on the birth of a girl child, Rs. 2000/- (two thousand) will be given to the bank account of the mother/father/guardian of the girl child. On completion of one year and after Aadhaar registration, Rs. 1000/- (one thousand) will be payable again in the said account. This benefit will be payable only up to two girl children.

Department of Sports

Khel Samman Samaroh

Normal and disabled players who represent the country in international official sports competitions or win medals in national-level sports competitions are honoured in a Khel Samman Samaroh organized on the occasion of National Sports Day on 29th August every year. In the financial year 2023-24, 400 players and 11 coaches have been rewarded and honoured respectively.

Non-Residential Training Scheme

The aim is to conduct Non-Residential Training on a large scale for local men and women players in indoor stadiums and in all the district headquarters in the outdoor stadiums of the state. A total of 50 centres are to be established in the first phase by March 2024.

Eklavya State Residential Sports Training Centre

Under the Mukhyamantri Sports Development Scheme, through Eklavya State Residential Sports Training Centres, the work of selecting talents (boys/girls) studying in schools is done to enhance their talent by providing them with facilities of scientific, planned training, nutritious food and modern sports equipment.

At present, 49 training centres are approved and 39 centres are operating in the state.

Players Welfare Fund

Young and talented players of the state are provided with a grant for sports kits, medical and NIS courses under the Players Welfare Fund Scheme on the basis of their achievements at the national level.

Multi Gym, Open Gym and Sports Equipment

Multi gym, open gym equipment and sports equipment are being installed under the Mukhyamantri Sports Development Scheme.

Construction of block-level outdoor stadium under Mukhyamantri Sports Development Scheme

Under the Mukhyamantri Sports Development Scheme, in order to develop sports infrastructure to create a sports environment in the state, approval has been given for the construction of 370 stadiums at the block level in various districts from the year 2008-09. As of now, out of 370 stadiums, 222 have been constructed. The remaining work is under process.

Construction of International-level sports academy and cricket stadium

The construction work of the State Sports Academy-cum-International Level Cricket Stadium is in progress in Rajgir.

Moinulhaq Stadium, Patna

In the light of the proposal received from the Urban Development and Housing Department, Bihar, Patna, no objection was given by the Department of Sports on 10.02.2023 with the intention that the Urban Development and Housing Department will take the consent of Department of Sports regarding necessary steps related to its reconstruction. Consultation will be taken regarding Vaastu construction also. All the sports infrastructure to be constructed in the Moinulhaq Stadium complex should be as per international standards. After the completion of the construction work, the stadium will be transferred to the Department of Sports. After construction, the sports management and control of this stadium will be done by the Department of Sports, Bihar.

Construction of Gymnasium-cum-Sports Building

There is a plan to encourage participation in competitive indoor sports in the districts and provide training for physical fitness by providing modern multi-gym equipment and modern sports equipment for indoor sports such as wrestling mats/taekwondo mats etc. The construction work for the sports hall is being done by Bihar State Building Construction Corporation Limited. So far, approval has been given for the construction of gymnasium-cum-sports buildings in 29 districts.

Subsidiary Grants to Sports Associations-

For organizing/participating in official state/national/international sports competitions, a grant amount is made available to the state sports associations through the Bihar State Sports Authority.

Khelo India Scheme

Development of modern sports infrastructure

Under the Khelo India Scheme of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, modern sports infrastructure like synthetic athletic tracks, hockey astroturf, multipurpose indoor halls, swimming pools, football grounds etc. are to be constructed in the states. So far, 10 sports infrastructure construction schemes have been approved by the Government of India.

Accreditation Centre

Under the Khelo India Scheme, accreditation centres are to be established in every state to

assist national/regional/state sports academies. In the Accreditation Centre, Khelo India athletes are provided training, equipment and sports science support for the progress of the athlete for a maximum period of 08 years. The department has sent the proposal of Alpha Sports Academy, Patna to the Government of India for the establishment of an accreditation centre.

State Level Khelo India Centre of Excellence

The Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, has selected Patliputra Sports Complex, Kankarbagh, Patna for the state of Bihar as the Khelo India State Centre of Excellence for the sports disciplines of Athletics, Wrestling and Weightlifting. In the Pataliputra Sports Complex, Kankarbagh, Patna, a draft has been prepared for Khelo India State Centre of Excellence assessing the Viability Gap Funding and sent to the Government of India in the prescribed format, which has been approved.

Small Level Centre

Under Khelo India Centre (Small Level), one centre is to be built in every district. The objective of this is to provide sports training to interested children and to provide a permanent source of livelihood to the Past Champion Athlete. It is proposed to establish small-level centres in all the districts. Till now, centres have been approved in a total of 38 districts.

Organization Of Various Levels of Competitions Through Annual Sports Programme

By preparing an annual sports programme in the state, school sports competitions in three age groups and 32 sports are to be organized at the district and state level. The aim is to organize disabled sports competitions at the district level and state level.

Child Welfare Budget 2024-25 : Department wise Details

Amount in Rs. Lakh					
Demand No	Name of Department	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6
8	Art, Culture and Youth	748.67	2000.00	2000.00	0.00
11	BC and EBC Welfare	151903.85	158319.29	181465.06	164467.08
16	Panchayati Raj	348151.41	405608.38	615732.99	430086.60
19	Environment, Forest and Climate Change	386.15	772.65	772.65	2077.00
20	Health	32521.21	46173.03	64797.89	53862.84
21	Education	3704618.91	3455721.38	4897632.03	4336470.29
22	Home	60.38	149.28	161.00	56.66
26	Labour Resources	59.28	250.00	250.00	330.01
30	Minority Welfare	8300.48	15100.00	15100.00	16475.00
36	Public Health and Engineering	24511.98	29214.75	36714.12	21714.75
44	SC and ST Welfare	126282.70	136128.84	136028.84	129944.39
51	Social Welfare	387215.01	357192.49	458537.38	317694.16
52	Sports	0.00	0.00	0.00	14276.53
Total		4784760.02	4606630.09	6409191.95	5487455.31

Child Welfare Budget 2024-25 Department wise Details

Establishment and Committed Expenditure

Amount in Rs. Lakh					
Demand No	Name of Department	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6
8	Art, Culture and Youth	291.76	500.00	500.00	0.00
11	BC and EBC Welfare	2689.57	6443.24	7149.21	7061.57
16	Panchayati Raj	342952.50	378968.39	589092.99	415416.60
19	Environment, Forest and Climate Change	61.50	70.00	70.00	77.00
21	Education	1089923.92	1300234.38	1652147.93	2291201.29
22	Home	0.00	100.62	100.62	0.00
44	SC and ST Welfare	18306.04	21218.84	21218.84	23634.57
51	Social Welfare	521.71	623.64	623.64	710.18
52	Sports	0.00	0.00	0.00	776.53
Total		1454747.00	1708159.11	2270903.23	2738877.74

Child Welfare Budget 2024-25 : Departmentwise Details
State Scheme

Amount in Rs. Lakh					
Demand No	Name of Department	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6
8	Art, Culture and Youth	456.91	1500.00	1500.00	0.00
11	BC and EBC Welfare	142883.28	140651.75	159805.75	146293.00
16	Panchayati Raj	5198.91	26639.99	26640.00	14670.00
19	Environment, Forest and Climate Change	324.65	702.65	702.65	2000.00
20	Health	6956.00	500.00	1825.00	2500.00
21	Education	423855.34	204197.00	471743.00	278483.00
26	Labour Resources	59.28	250.00	250.00	330.01
30	Minority Welfare	8290.84	15000.00	15000.00	16375.00
36	Public Health and Engineering	20056.23	21214.80	26464.17	18017.55
44	SC and ST Welfare	94278.71	105390.00	105390.00	104193.82
51	Social Welfare	30331.23	24651.15	32632.75	15656.04
52	Sports	0.00	0.00	0.00	13500.00
Total		732691.38	540697.34	841953.32	612018.42

Child Welfare Budget 2024-25 : Departmentwise Details

Centrally Sponsored Scheme

Amount in Rs. Lakh					
Demand No	Name of Department	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6
11	BC and EBC Welfare	6331.00	11224.30	14510.10	11112.51
20	Health	25565.21	45673.03	62972.89	51362.84
21	Education	2190839.65	1951290.00	2773741.10	1766786.00
30	Minority Welfare	9.64	100.00	100.00	100.00
36	Public Health and Engineering	4455.75	7999.95	10249.95	3697.20
44	SC and ST Welfare	13697.95	9520.00	9420.00	2116.00
51	Social Welfare	356362.07	331917.70	425280.99	301327.94
Total		2597261.27	2357724.98	3296275.03	2136502.49

Child Welfare Budget 2024-25 : Departmentwise Details

Central Sector Scheme

Amount in Rs. Lakh					
Demand No	Name of Department	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6
22	Home	60.38	48.66	60.38	56.66
Total		60.38	48.66	60.38	56.66

Art, Culture and Youth Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
Establishment and Committed Expenditure						
1	08-2204001040001	School Sports	291.76	500.00	500.00	0.00
योग			291.76	500.00	500.00	0.00
State Scheme						
2	08-2204001040102	Sports Competition under Mukhyamantri Khel Vikas Yojana	456.91	1500.00	1500.00	0.00
Total			456.91	1500.00	1500.00	0.00
Grand Total			748.67	2000.00	2000.00	0.00

BC and EBC Welfare Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
Establishment and Committed Expenditure						
1	11-2225032770010	Maintenance of 12 Girls Residential High Schools for B.C.	1602.46	6047.80	6065.80	5941.56
2	11-2225032770002	Maintenance of Hostels for Other Backward Class Welfare	1062.11	370.44	1058.41	1095.01
3	11-2225032770001	Examination Fee Reimbursement	25.00	25.00	25.00	25.00
Total			2689.57	6443.24	7149.21	7061.57
State Scheme						
4	11-2225031970101	Pre-Matric Scholarship	10916.87	10400.00	10400.00	10400.00
5	11-2225031980101		19896.55	19900.00	19900.00	19900.00
6	11-2225032770101	Scholarship/Incentive	102069.86	100300.00	110404.00	95718.00
7	11-4225032770101	Construction and Renovation of Jannayak Karpuri Thakur Hostels	0.00	1.75	1.75	175.00
8	03-2059800530101	Maintenance of Residential school and Hostel Buildings for B.C.	0.00	50.00	100.00	100.00
9	03-4059800510118	Construction and Renovation of Residential School and Hostel Buildings for B.C.	10000.00	10000.00	19000.00	20000.00
Total			142883.28	140651.75	159805.75	146293.00
Centrally Sponsored Scheme						
10	11-2225032770215	Post-Matric Scholarship	0.00	2949.80	5899.60	8000.00

BC and EBC Welfare Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
11	11-2225032770214	Pre-Matric Scholarship	2750.00	3766.00	3766.00	0.01
12	11-2225032770314		3581.00	3885.00	3885.00	2489.00
13	11-2225032770212	Development of Unnotified nomad and Semi-nomad Tribals	0.00	10.50	10.50	10.50
14	11-2225032770312		0.00	4.00	4.00	4.00
15	11-4225032770202	Construction of Hostels for OBC Welfare	0.00	409.50	819.00	409.50
16	11-4225032770302		0.00	199.50	126.00	199.50
Total			6331.00	11224.30	14510.10	11112.51
Grand Total			151903.85	158319.29	181465.06	164467.08

Panchayati Raj Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
Establishment and Committed Expenditure						
1	16-2515001960007	6th State Finance Commission	24906.58	24219.00	55736.71	27812.36
2	16-2515001970004		23924.77	24219.00	55736.71	27812.36
3	16-2515001980009		121153.58	113022.00	260104.64	129791.03
4	16-2515001960009	15th Finance Commission	15560.10	15730.20	15730.20	16661.70
5	16-2515001970006		15596.70	15730.20	15734.12	16661.70
6	16-2515001980016		72630.02	73407.60	73407.60	77754.60
7	16-2515001960003	Grant to Panchayati Raj Institutions	10373.40	10486.80	10486.80	11107.80
8	16-2515001970001		10397.80	10486.80	10489.41	11107.80
9	16-2515001980001		48409.55	48938.40	48938.40	51836.40
10	16-2515001960008	15th Finance Commission (Health Sector Grant)	0.00	42728.39	42728.40	44870.85
Total			342952.50	378968.39	589092.99	415416.60
State Scheme						
11	16-2515001980113	Mukhyamantri Grameen Peyjal	3564.25	7559.99	7560.00	1106.10
12	16-2515007890112	awam Nali-Gali	1487.95	1440.00	1440.00	900.00
13	16-2515007960119	Pakkikaran Nishchay Yojana	46.79	0.00	0.00	243.90
14	16-2515001980115	Swachchha Gaon-	91.40	11900.83	11900.83	5712.77
15	16-2515007890115	Samriddh Gaon	8.19	5739.17	5739.17	6373.33
16	16-2515007960120	Nishchay Yojana	0.33	0.00	0.00	333.90
Total			5198.91	26639.99	26640.00	14670.00
Grand Total			348151.41	405608.38	615732.99	430086.60

Environment, Forest and Climate Change

Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
Establishment and Committed Expenditure						
1	19-2406011010001	Udyan	61.50	70.00	70.00	77.00
Total			61.50	70.00	70.00	77.00
State Scheme						
2	19-2406021120101	Development of Eco Tourism and Park	324.65	702.65	702.65	2000.00
Total			324.65	702.65	702.65	2000.00
Grand Total			386.15	772.65	772.65	2077.00

Health Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
State Scheme						
1	20-2211001030102	Complete Vaccination under Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana	6956.00	500.00	1825.00	2500.00
Total			6956.00	500.00	1825.00	2500.00
Centrally Sponsored Scheme						
2	20-2210012000209 20-2210031100203 20-2210012000309 20-2210031100303	National Child Health Programme	2649.60	3844.49	4637.23	5006.99
3		Institute Based Infant Child Care unit	1225.15	1643.72	2561.25	3310.73
4		Community Based Infant Child Care unit	5106.54	6829.91	7876.09	8794.98
5		National Adolescent Health Programme	1063.47	1818.31	3365.36	3027.29
6		Annimeea Free Bharat Programme	137.11	7569.52	7663.42	8216.28
7		Nutrition Rehabilitation Centre	352.92	870.51	870.51	916.50
8		Child Care Unit	0.00	0.00	12954.90	0.00
9		Regular Vaccination	11072.40	17737.81	17685.37	16731.31
10		Pulse Polio Abhiyan	3958.02	5358.76	5358.76	5358.76
Total			25565.21	45673.03	62972.89	51362.84
Grand Total			32521.21	46173.03	64797.89	53862.84

Education Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
Establishment and Committed Expenditure						
1	21-2202011010001	Rajkiya Elementary and Middle School	402697.89	522923.47	609072.47	1147690.02
2	21-2202011020001	Grant to Non Government Elementary School	3362.24	2850.00	2850.00	3362.00
3	21-2202011120002	Mid Day Meal (PM Poshan)	23.50	930.40	935.40	936.40
4	21-2202011910001	Grant to Nagar Nigam	4393.05	6547.88	6567.88	7202.66
5	21-2202011920001	Grant to Nagar Palika/Parishad	6171.58	9010.59	9030.59	10812.70
6	21-2202011930001	Grant to Nagar Panchayt and equivalent notified Samiti	9543.57	12598.96	12613.96	15118.76
7	21-2202011970002	Grant to Block Panchayat	249393.89	282921.77	283121.77	297067.00
8	21-2202011980002	Grant to Gram Panchayat	3652.84	4597.78	4597.78	5057.54
9	21-2202011910002	Payment to Physical Teacher and Health Instructor	24.98	156.48	156.48	156.48
10	21-2202011920002		20.34	240.00	240.00	240.00
11	21-2202011930002		22.16	214.08	214.08	256.89
12	21-2202011970003		1125.66	7457.28	7457.28	8203.00
13	21-2202020530001	Renovation of Middle School Building	0.00	50.00	2384.00	10350.00
14	21-2202021090001	Rajkiya Middle School	80221.95	86732.61	130092.64	380782.01

15	21-2202021100002	Sainik School	592.92	1300.01	1300.01	1300.00
16	21-2202021100003	Minority Middle School	7612.17	10000.00	10000.00	11000.00
17	21-2202021100006	Simultalla Residential School	750.00	750.00	850.00	800.00
18	21-2202021100007	Grant to Non Government School	30239.44	34200.00	34200.00	34200.00
19	21-2202021910001	Grant to Nagar Nigam	17943.22	16892.57	18612.57	20271.08
20	21-2202021920001	Grant to Nagar Palika/Parishad	21261.12	18469.93	18489.93	22163.91
21	21-2202021930001	Grant to Nagar Panchayt and equivalent notified Samiti	14785.02	14898.49	14913.49	17878.18
22	21-2202021960001	Zila Parishad Madhyamik Teacher	172495.26	178262.69	178462.69	198000.01
23	21-2202021910004	Consolidated Payment to School Assistant/Attendent	13.36	75.60	75.60	201.78
24	21-2202021920004		10.21	43.20	43.20	564.96
25	21-2202021930004		3.35	32.40	32.40	1293.60
26	21-2202021960004		118.37	129.60	129.60	6384.00
27	21-2202031030001	Intermediate (10+2) Education	3670.75	2926.78	2926.78	3457.03
28	21-2202051030002	Rajkiya Sanskrit Vidyalaya	185.58	378.01	378.01	378.01
29	21-2202051030003	Non Government Sanskrit Vidyalaya	11124.88	20000.00	106993.00	20000.00
30	21-2202052000001	Madarsa Islamiya Samsool Hoda	105.76	212.26	212.26	205.29
31	21-2202052000002	Non Government Madarsa	38543.27	50000.00	178093.00	50000.00
32	21-2202052000005	Bihar Sanskrit Shiksha Board	600.00	477.01	477.01	627.01
33	21-2202800030005	Teacher Training College	828.10	1043.90	1687.67	1065.50

34	21-2202800030006	District Education and Training Institute	5074.99	8760.91	9259.19	8876.41
35	21-2202800030007	Block Education and Training Institute	312.70	533.36	676.36	650.12
36	21-2202800030008	Elementary Teacher and Training Institute	2524.00	3030.98	4309.94	3730.20
37	21-2205001050001	Public Library	194.72	180.90	180.90	256.81
38	21-2205001050002	Sinha Library	27.88	2.51	72.51	121.00
39	21-2205001050003	Shri Krishna Sewa Sadan Library	0.00	12.00	12.00	12.00
40	21-2205001050004	Commissionary Level Library	30.00	75.00	90.00	113.00
41	21-2205001050005	District Central Library	65.75	113.00	113.00	136.00
42	21-2205001050006	Sub-divisional Library	16.95	37.00	42.00	54.00
43	21-2205001050007	Special Library	24.00	40.00	40.00	40.01
44	21-2205001050009	Khuda Buksh Khan Oriental Library	14.00	12.01	12.01	20.01
45	21-2205001050010	Shri Sharda Sadan Library	0.00	0.01	0.01	20.00
46	21-2205001050011	Raja Ram Mohan Roy Library	49.49	40.00	40.00	40.00
47	21-2205001050012	Rajkiya Urdu Library	53.01	72.95	88.46	105.91
Total			1089923.92	1300234.38	1652147.93	2291201.29
State Scheme						
48	21-2202010010107	Kilkari	1192.94	1500.00	1500.00	0.00
49	21-2202011020102	Right to Education	7192.91	10000.00	20000.00	2300.00
50	21-2202011090101	Mukhyamantri Poshak Yojana (General)	3453.98	4050.00	4050.00	850.00
51	21-2202017890102	Mukhyamantri Poshak Yojana (SC)	695.15	950.00	950.00	150.00
52	21-2202011090102	Mukhyamantri Balika	6970.52	5000.00	8600.00	1500.00

53	21-2202011090103	Tour for Middle School Students	58.20	2000.00	2000.00	0.00
54	21-2202021070105	Mukhyamatri Balak Cycle Yojana (General)	16193.19	3500.00	10400.00	3500.00
55	21-2202027890101	Mukhyamatri Balak Cycle Yojana (SC)	3885.56	1500.00	3100.00	1500.00
56	21-2202021070106	Mukhyamatri Balika Cycle Yojana	16293.35	3500.00	10000.00	3500.00
57	21-2202027890102	Mukhyamatri Balika Cycle Yojana(SC)	4135.07	1500.00	4000.00	1500.00
58	21-2202021070107	Mukhyamatri Balika Poshak Yojana	20813.55	3500.00	12599.00	3500.00
59	21-2202031070104	Mukhyamatri Balika Poshak Yojana (intermediate)	4676.77	500.00	2500.00	500.00
60	21-2202027890104	Mukhyamatri Balika Poshak Yojana (SC)	1859.54	1000.00	1801.00	1000.00
61	21-2202021070108	Mukhyamatri Protsahan Yojana	19713.61	5000.00	14800.00	5000.00
62	21-2202031070110	Mukhyamatri Balika (Inter pass) Protsahan Yojana	65000.00	20000.00	60000.00	20000.00
63	21-4202012020103	Construction of Building for Government Middle School	22804.62	17401.00	72764.00	46801.00
64	21-4202017890101		2340.00	3600.00	3600.00	3200.00
65	21-4202012020109		9650.00	10400.00	18400.00	20500.00
66	21-2202021090105	ICT Pariyojana	0.00	1.00	1001.00	2500.00
67	21-2204001010103	Grant to Middle School for Karate Training of Girls	0.00	1.00	1.00	0.00
68	21-2204001040108	Bihar Sub Junior Sports meet-Tarang	0.00	1001.00	1000.00	0.00
69	21-2202020040102	Hunar	1000.00	500.00	500.00	0.00
70	21-2202020520103	Unnayan Karyakram	2000.00	100.00	3100.00	2181.00

71	21-2202031070108	Mukhyamatri Balika (Inter pass) Protsahan Yojana	2130.30	0.00	0.00	0.00
72	21-2202021070110		130269.50	40000.00	103000.00	40000.00
73	21-2202011090105	Scholarships for Primary Schools	17927.38	15000.00	15000.00	1000.00
74	21-2202021090109	Kishori Swasthya Karyakram Yojana	8792.10	2500.00	8046.00	2500.00
75	21-2202021090110	Mukhyamantri Bihar Darshan Yojana	608.40	1200.00	1992.00	0.00
76	21-2202011120104	Mid Day Meal (PM Poshan)	36319.46	30000.00	48500.00	30000.00
77	21-2202021030101	Bihar Open School Education and Examination Board	1857.00	500.00	500.00	0.00
78	21-4202012010105	Construction of Building for primary School	9708.01	15002.00	28211.00	70001.00
79	21-4202012020112	Building Construction for Education	800.00	1400.00	2300.00	2000.00
80	21-4202012020113	Simultalla Residential School	5014.24	690.00	5927.00	2500.00
81	21-4202012020114	Model School	0.00	1.00	1.00	10000.00
82	21-2202010010105	Various Educational Seminar and Workshops	499.99	1000.00	1000.00	500.00
83	21-4202012010106	Jal-Jeevan-Hariyali	0.00	100.00	100.00	0.00
84	21-4202012020115		0.00	300.00	500.00	0.00
Total			423855.34	204197.00	471743.00	278483.00
Centrally Sponsored Scheme						
85	21-2202011110201	Samagra Sikha Abhiyan	264477.88	685879.00	685879.00	705232.00
86	21-2202017890203	Samagra Sikha Abhiyan (SC)	67664.86	184816.00	184816.00	184816.00
87	21-2202017960211	Samagra Sikha Abhiyan (ST)	3859.18	8743.00	8743.00	9390.00
88	21-2202011110301	Samagra Sikha Abhiyan	176319.73	223338.00	265699.00	118566.00

89	21-2202017890308	Samagra Sikha Abhiyan (SC)	45109.90	67388.00	67388.00	87284.00
90	21-2202017960309	Samagra Sikha Abhiyan (ST)	2909.18	9650.00	9650.00	9650.00
91	21-2202011110302	Fulfillment of Less received Amount under Samagra Shiksha Abhiyan (Central Share) by State Resources	1443160.65	355105.00	1112744.00	265000.00
92	21-2202011120203	Mid Day Meal (PM Poshan)	75024.96	200200.00	200200.00	197010.00
93	21-2202017890209	Mid Day Meal (PM Poshan) (SC)	15096.47	45000.00	45000.00	47920.00
94	21-2202017960210	Mid Day Meal (PM Poshan) (ST)	1398.10	4800.00	4800.00	5070.00
95	21-2202011120303	Mid Day Meal (PM Poshan)	45160.53	68299.00	68299.00	42120.00
96	21-2202017890306	Mid Day Meal (PM Poshan) (SC)	7992.96	14658.00	14658.00	15280.00
97	21-2202017960310	Mid Day Meal (PM Poshan) (ST)	1332.16	2443.00	2443.00	2000.00
98	21-2202021090207	Rashtriya Madhyamik Siksha Abhiyan	15920.77	56668.00	56668.00	57341.00
99	21-2202027890207	Rashtriya Madhyamik Siksha Abhiyan (SC)	3980.20	8745.00	8745.00	9639.00
100	21-2202027960209	Rashtriya Madhyamik Siksha Abhiyan (ST)	0.00	1458.00	1458.00	1693.00
101	21-2202021090307	Rashtriya Madhyamik Siksha Abhiyan	10613.85	7965.00	30106.00	4984.00
102	21-2202027890307	Rashtriya Madhyamik Siksha Abhiyan (SC)	2653.47	1818.00	1818.00	1817.00
103	21-2202027960309	Rashtriya Madhyamik Siksha Abhiyan (ST)	0.00	718.00	718.00	717.00

104	21-2202021090312	Fulfillment of Less received Amount under Rashtirya Madhyamik Shiksha Abhiyan (Central Share) by State Resources	8104.67	1.00	1.00	0.00
105	21-2202042000203	Teacher Education Institute	31.37	300.00	300.00	1061.00
106	21-2202047890203	Teacher Education Institute (SC)	7.85	35.00	35.00	0.00
107	21-2202047960204	Teacher Education Institute (ST)	0.00	20.00	20.00	0.00
108	21-2202042000303	Teacher Education Institute	20.91	183.00	343.00	196.00
109	21-2202047890301	Teacher Education Institute (SC)	0.00	60.00	60.00	0.00
110	21-2202047960301	Teacher Education Institute (ST)	0.00	40.00	40.00	0.00
111	21-2202042000205	Rashtriya Siksha Mission - Sakshar Bharat	0.00	1761.00	1882.66	0.00
112	21-2202042000305	Rashtriya Siksha Mission - Sakshar Bharat	0.00	1199.00	1227.44	0.00
Total			2190839.65	1951290.00	2773741.10	1766786.00
Grand Total			3704618.91	3455721.38	4897632.03	4336470.29

Home Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
Establishment and Committed Expenditure						
1	22-2056001010001	Care of Child living with Female Prisoners	0.00	39.54	39.54	0.00
2	22-2056001010002		0.00	52.10	52.10	0.00
3	22-2056001010003		0.00	8.98	8.98	0.00
Total			0.00	100.62	100.62	0.00
Centrally Sponsored Scheme						
4	22-4055002100402	Cyber Crime Prevention against Women and Children	36.66	36.66	36.66	36.66
5	22-2055000030401		23.72	12.00	23.72	20.00
Total			60.38	48.66	60.38	56.66
Grand Total			60.38	149.28	161.00	56.66

Labour Resource Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
State Scheme						
1	26-2230011030103	Mechanism for Strengthening of Child Labour Rehabilitation	36.03	79.00	79.00	144.01
2	26-2230017890104		9.07	17.00	17.00	24.00
3	26-2230017960102		0.11	4.00	4.00	12.00
4	26-2235012020107		14.07	150.00	150.00	150.00
5	26-2230011010106	Bihar Rajya Bal Shramik Aayog	38.93	250.00	250.00	366.18
Total			59.28	250.00	250.00	330.01

Minority Welfare Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
State Scheme						
1	30-2225042770101	State Post Matric Scholarship	0.00	3000.00	3000.00	3000.00
2	30-2202021070109	Mukhyamantri Vidyarthi protsahan Yojana	8290.84	12000.00	12000.00	13375.00
Total			8290.84	15000.00	15000.00	16375.00
Centrally Sponsored Scheme						
3	30-2202021070210	Central Scholarship Scheme (Pre-Matric Post Matric)	9.64	100.00	100.00	100.00
Total			9.64	100.00	100.00	100.00
Grand Total			8300.48	15100.00	15100.00	16475.00

Public Health and Engineering Department

Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
State Scheme						
1	36-4215021060104	Strengthening of Drinking Water and Sanitation Facility in Urban Areas	4.69	75.00	75.00	7.50
2	36-4059010510128	Office Construction	0.00	375.00	375.00	300.00
3	36-4215011020132	Mukhyamantri Peyjal Nishchay Yojana (Quality affected Area)	8088.29	8966.74	8966.74	4980.00
4	36-4215017890114		2465.75	2998.31	2998.31	1770.00
5	36-4215017960119		127.02	0.00	0.00	0.00
6	36-2215011020106	Mukhyamantri Peyjal Nishchay Yojana (non Quality affected Area)	624.69	819.00	819.00	525.00
7	36-2215017890104		104.09	156.00	156.00	225.00
8	36-2215017960105		4.57	0.00	0.00	0.00
9	36-4215017960120	Mukhyamantri Peyjal Nishchay Yojana (non Quality affected Area)	13.61	0.00	0.00	0.00
10	36-4215011020133		1731.61	630.00	630.00	1207.20
11	36-4215017890115		328.50	120.00	120.00	592.80
12	36-2215020030102	Training and Reserch Work for Bihar Rajya Jal Swachchhta Mission	0.00	15.00	15.00	1.50
13	36-4215011020125	Supervision of Water Quality	12.44	150.00	150.00	15.00
14	36-4216010510103	Residential Construction	0.00	150.00	150.00	66.30

Public Health and Engineering Department

Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
15	36-4215011020124	Geographical Investigation Work for Water Supply in Rural Areas	0.00	2.25	2.25	2.25
16	36-4215011020101	Rural Water Supply Yojana	3.15	7.50	6.87	75.00
17	36-4215011020103		256.43	630.00	630.00	500.70
18	36-4215017890111		53.00	120.00	120.00	249.30
19	36-4215017960107		5.49	0.00	0.00	0.00
20	36-4215011020134	Construction Work for Rural Water Supply Yojana	0.00	75.00	75.00	75.00
21	36-2215011020107	Operation and Maintenance of Water Rural Water Supply Yojana	6232.90	5925.00	11175.00	7425.00
Total			20056.23	21214.80	26464.17	18017.55
Centrally Sponsored Scheme						
22	36-4215011020230	Rashtriya Grameen peyjal Karyakram	1416.75	5040.00	5040.00	2520.00
23	36-4215011020330		2491.50	1679.96	2879.96	540.00
24	36-4215017890212		0.00	960.00	960.00	480.00
25	36-4215017890312		480.00	319.99	1369.99	157.20
26	36-4215017960217		37.50	0.00	0.00	0.00
27	36-4215017960317		30.00	0.00	0.00	0.00
Total			4455.75	7999.95	10249.95	3697.20
Grand Total			24511.98	29214.75	36714.12	21714.75

SC and ST Welfare Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
Establishment and Committed Expenditure						
1	44-2225011970001	Scholarship for Childern of Mushahar/Bhuniyan and People engaged in unhygienic Work	0.00	10.00	10.00	0.00
2	44-2225011970002		0.00	10.00	10.00	10.00
3	44-2225011980001		0.00	50.00	50.00	50.00
4	44-2225012770007		78.42	0.00	0.00	100.00
5	44-2225012770011	Reimbursement of Examination Fee	300.00	300.00	300.00	300.00
6	44-2225022770001		30.00	30.00	30.00	30.00
7	44-2225012770003	Maintenance of Scheduled Caste Residential School	13903.02	15905.60	15905.60	17919.45
8	44-2225012770002	Maintenance of Scheduled Caste Hostel	1260.06	1546.72	1546.72	1638.18
9	44-2225022770004	Maintenance of Scheduled Tribe Residential School	2648.40	3161.59	3161.59	3349.17
10	44-2225022770003	Maintenance of Scheduled Tribe Hostel	86.14	204.93	204.93	237.77
Total			18306.04	21218.84	21218.84	23634.57
State Scheme						
11	44-2225011970101	School Scholarship	5885.23	7105.00	7105.00	7105.00
12	44-2225011980101	School Scholarship	14430.00	17427.00	17427.00	17427.00

13	44-2225012770107	School Scholarship/ Merit Programme	29085.65	38668.00	38668.00	31768.00
14	44-2225021970101	School Scholarship	790.50	678.00	678.00	678.00
15	44-2225021980101	School Scholarship	2422.48	2073.00	2073.00	2073.00
16	44-2225022770101	School Scholarship/ Merit Programme	5585.16	4028.00	4028.00	3528.00
17	44-2225010010102	Maintenance of Residential School	85.80	130.00	130.00	135.00
18	44-2225022770106	Maintenance of Residential School	402.65	500.00	500.00	1500.00
19	44-2225012770101	Supply of Equipments to Residential Schools and Hostels	1525.93	2031.00	2031.00	2250.00
20	44-2225022770101		811.31	1250.00	1250.00	1890.00
21	03-4059017890101	Construction and Rennovation of Residential Schools and Hostels	18690.00	30000.00	30000.00	34149.00
22	03-4059017960104		14564.00	1500.00	1500.00	1690.82
Total			94278.71	105390.00	105390.00	104193.82
Centrally Sponsored Scheme						
23	44-2225012770222	Scheduled Caste Pre-Matric Scholarship	8177.38	6000.00	6000.00	1.00
24	44-2225012770324		5022.67	2205.00	2205.00	1000.00
25	44-2225022770214	Scheduled Caste Pre-Matric Scholarship/ Merit	0.00	10.00	10.00	10.00
26	44-2225022770315	Upgradation Programme	497.90	400.00	300.00	200.00

27	44-2225022770217	Scheduled Tribe Pre-Matric Scholarship	0.00	905.00	905.00	905.00
Total			13697.95	9520.00	9420.00	2116.00
Grand Total			126282.70	136128.84	136028.84	129944.39

Social Welfare Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
Establishment and Committed Expenditure						
1	51-2235021060001	Pratiprekshan Grih	418.60	475.51	475.51	535.95
2	51-2235021060008	Bal Kalyan Samiti awam Kishore Nyay Parishad	103.11	148.13	148.13	174.23
Total			521.71	623.64	623.64	710.18
State Scheme						
3	51-2235021030111	Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana	6700.70	10500.00	10500.00	10000.00
4	51-2235027890109	Mukhyamantri Kanya Uththan Yojana	5469.30	1500.00	1500.00	2000.00
5	51-2235021060107	Establishment of Juvenile Court and Child Welfare Board	185.04	387.73	387.73	391.72
6	51-2235021060106 Unit)	Special Scheme for Juvenile Deliquent Orphans and Destitute Children (Child Protection	1300.40	1450.00	1530.00	1650.28
7	51-2235021020116	Parwarish	800.00	1500.00	1500.00	1600.00
8	51-2235021020121	Bal Sahayata Yojana	0.00	15.00	15.00	14.00
9	51-4235021020109	Anganwadi Kendra Bhawan	0.00	0.02	0.02	0.02

10	51-2235021020117	Poshak Yojana for Children of Anganwadi Kendra	11865.97	4973.80	12875.40	0.01
11	51-2235027890103		4009.82	4324.60	4324.60	0.01
Total			30331.23	24651.15	32632.75	15656.04
Centrally Sponsored Scheme						
12	51-2235021020223	Integrated Child Protection Scheme	3454.24	5013.00	6715.00	5461.89
13	51-2235021020323		2999.98	3200.00	2434.75	2134.74
14	51-2235021020222	ICDS	77460.89	83303.06	88938.06	77856.69
15	51-2235021020322		59352.35	20936.22	54564.66	15742.02
16	51-2236021010203	Purak Poshahar	75487.13	98988.57	98988.57	63763.15
17	51-2236027890204		15204.17	40507.35	40507.35	63881.56
18	51-2236021010303		26195.23	0.01	30500.01	0.01
19	51-2236027890304		56270.38	49413.91	49413.91	30165.99
20	51-2236027960305		7559.92	9834.00	9834.00	9834.00
21	51-2235021020224	Scheme for Adolescent Girls	904.93	2257.00	2257.00	3149.16
22	51-2235021020324		692.27	192.41	679.91	787.30
23	51-2235027890312		18.79	64.13	226.63	262.43
24	51-4235021020208	Anganwadi Kendra Bhawan	13585.60	0.02	360.00	6000.00
25	51-4235021020308		4999.88	0.02	240.00	0.01
26	51-2235021020225	National Nutrition Mission	9455.80	15290.00	23790.45	19893.63
27	51-2235021020325		2607.70	2893.24	15805.93	2370.97
28	51-2235021020226	National Creche Scheme	107.37	15.00	15.00	14.63
29	51-2235021020326		5.44	9.76	9.76	9.76
Total			356362.07	331917.70	425280.99	301327.94
Grand Total			387215.01	357192.49	458537.38	317694.16

Sports Department
Child Welfare Budget for F.Y. 2024-25

Amount in Rs. Lakh						
Sl. No.	Budget Code	Name of Scheme	F.Y. 2022-23 (Actual)	F.Y. 2023-24 (B.E.)	F.Y. 2023-24 (R.E.)	F.Y. 2024-25 (B.E.)
1	2	3	4	5	6	7
Establishment and Committed Expenditure						
1	52-2204001010002	Physical Education	0.00	0.00	0.00	318.45
2	52-2204001040011	Sports	0.00	0.00	0.00	354.06
3	52-2204001040012	Bihar State Sports Authority	0.00	0.00	0.00	60.00
4	52-2251000900031	Sports Department	0.00	0.00	0.00	44.02
Total			0.00	0.00	0.00	776.53
State Scheme						
5	52-2204001040109	Sports	0.00	0.00	0.00	5250.00
6	03-4059600510106	Stadium and Game Structure	0.00	0.00	0.00	8250.00
Total			0.00	0.00	0.00	13500.00
Grand Total			0.00	0.00	0.00	14276.53



बिहार सरकार

वित्त विभाग
बिहार सरकार